



कार्यालय, नगर पालिक निगम, भिलाई

आकाश गंगा, सुपेला, जी.ई.रोड, भिलाई, जिला-दुर्ग (छ.ग.) 490023,
ई-मेल : bhilai-nagar-nigam@cg.gov.in

क्रमांक/सात/दो/भ.अ./2025/588

भिलाई, दिनांक 29/05/2025

//नोटिस//

प्रति,

श्री दिलीप कुमार आ. पूनाराम साहू
पता- कुरुद, भिलाई, जिला-दुर्ग (छ.ग.)

विषय :-

अवैध रूप से भूखण्डों का विक्रय किये जाने दुस्प्रेरण करने के संबंध में।

सन्दर्भ:-

1. कार्यालय मुख्यालय वरिष्ठ उप-पंजीयक दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) का पत्र क्रमांक/101/मु.व.उ.प./2025 दुर्ग, दिनांक 24.02.2025
2. कार्यालय मुख्यालय वरिष्ठ उप-पंजीयक दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) का पत्र क्रमांक/103/मु.व.उ.प./2025 दुर्ग, दिनांक 24.02.2025

-----0000-----

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है, कि नगर पालिक निगम, भिलाई क्षेत्रान्तर्गत आपके द्वारा अवैध प्लानिंग कार्य करने साक्ष्य के रूप में कार्यालय मुख्यालय वरिष्ठ उप पंजीयक दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) द्वारा संदर्भित पत्र क्रमांक (1) व (2) के माध्यम से आपके द्वारा अपने स्वामित्व की भूमि ग्राम-कुरुद खसरा क्रमांक 386/3, 387/2, 387/3 को अवैध रूप से छोटे भूखण्डों में विघटित कर विक्रय किया जाने की जानकारी/दस्तावेज प्राप्त हुए हैं। जो कि उक्त खसरों का अवैध रूप से छोटे भूखण्डों में विघटित कर विक्रय किये जाने को स्पष्ट करता है। यह कृत्य छ.ग. नगर पालिक निगम तथा नगर पालिका (कॉलोनाईजर का रजिस्ट्रीकरण निर्बाधन तथा शर्तें) नियम 2013 व छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के प्रावधानों का उल्लंघन है, जिस हेतु छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के धारा 292(ग)(3) के अंतर्गत इस कृत्य हेतु कम से कम 03 वर्ष और अधिक से अधिक 07 वर्ष के कारावास से तथा न्यूनतम 01 लाख रु. के जुर्माना से दण्डित किये जाने का प्रावधान है।

अतः क्यों न आपके विरुद्ध भूमि के अवैध रूप से विखण्डन कर विक्रय करने एवं अवैध कॉलोनी के निर्माण करने का दुस्प्रेरण करने हेतु छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के धारा 292(ग)(3) के तहत कार्यवाही की जावे, इस संबंध में आप अपना पक्ष पत्र प्राप्ति के 15 दिवस के भीतर अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष उपस्थित होकर अथवा लिखित रूप से भू-स्वामी दस्तावेज एवं अन्य आवश्यक दस्तावेजों सहित प्रस्तुत करेंगे, उक्त समयावधि के भीतर अपना पक्ष प्रस्तुत नहीं किये जाने अथवा प्रस्तुत पक्ष तर्क संगत/सार्थक नहीं होने पर की स्थिति में यह मान लिया जावेगा कि आप उक्त कार्यवाही हेतु सहमत हैं।

सूचना जाने।

आयुक्त
नगर पालिक निगम
भिलाई

पृ.क्र./सात/दो/भ.अ./2025/589

भिलाई, दिनांक 29/05/2025

प्रतिलिपि :-

1. कलेक्टर, दुर्ग, जिला कार्यालय दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) को सादर सूचनार्थ।
2. पुलिस अधीक्षक, दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) को सादर सूचनार्थ।
3. जिला पंजीयक, पंजीयन कार्यालय दुर्ग, जिला- दुर्ग (छ.ग.) को सूचनार्थ।
4. अनुविभागीय अधिकारी (रा.), दुर्ग, जिला दुर्ग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
5. तहसीलदार, दुर्ग/अतिरिक्त तहसीलदार भिलाई नगर, जिला- दुर्ग (छ.ग.) को सूचनार्थ।
6. जोन आयुक्त, जोन क्रं. 02 वैशाली नगर, पालिक निगम, भिलाई को उपरोक्त स्थलों पर आवश्यक नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु प्रेषित।

आयुक्त
नगर पालिक निगम
भिलाई





कार्यालय, नगर पालिक निगम, भिलाई

आकाश गंगा, सुपेला, जी.ई.रोड, भिलाई, जिला-दुर्ग (छ.ग.) 490023,

ई-मेल : bhilai-nagar-nigam@cg.gov.in

क्रमांक/सात/दो/भ.अ./2025/590

भिलाई, दिनांक 29/05/2025

//नोटिस//

प्रति,

आंचल खन्ना/श्री सतीश खन्ना
पता- पांच रास्ता, पुरानी बस्ती
सुपेला, भिलाई, जिला-दुर्ग (छ.ग.)

विषय :-

सन्दर्भ:-

अवैध रूप से भूखण्डों का विक्रय किये जाने दुस्प्रेरण करने के संबंध में।

1. कार्यालय मुख्यालय वरिष्ठ उप-पंजीयक दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) का पत्र क्रमांक/101/मु.व.उ.प./2025 दुर्ग, दिनांक 24.02.2025

2. कार्यालय मुख्यालय वरिष्ठ उप-पंजीयक दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) का पत्र क्रमांक/103/मु.व.उ.प./2025 दुर्ग, दिनांक 24.02.2025

00000000

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है, कि नगर पालिक निगम, भिलाई क्षेत्रान्तर्गत आपके द्वारा अवैध प्लानिंग कार्य करने साक्ष्य के रूप में कार्यालय मुख्यालय वरिष्ठ उप पंजीयक दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) द्वारा संदर्भित पत्र क्रमांक (1) व (2) के माध्यम से आपके द्वारा अपने स्वामित्व की भूमि ग्राम-कुरुद खसरा क्रमांक 495/16 को अवैध रूप से छोटे भूखण्डों में विघटित कर विक्रय किया जाने की जानकारी/दस्तावेज प्राप्त हुए हैं। जो कि उक्त खसरों का अवैध रूप से छोटे भूखण्डों में विघटित कर विक्रय किये जाने को स्पष्ट करता है। यह कृत्य छ.ग. नगर पालिक निगम तथा नगर पालिका (कॉलोनाईजर का रजिस्ट्रीकरण निर्बाधन तथा शर्तें) नियम 2013 व छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के प्रावधानों का उल्लंघन है, जिस हेतु छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के धारा 292(ग)(3) के अंतर्गत इस कृत्य हेतु कम से कम 03 वर्ष और अधिक से अधिक 07 वर्ष के कारावास से तथा न्यूनतम 01 लाख रु. के जुर्माना से दण्डित किये जाने का प्रावधान है।

अतः क्यों न आपके विरुद्ध भूमि के अवैध रूप से विखण्डन कर विक्रय करने एवं अवैध कॉलोनी के निर्माण करने का दुस्प्रेरण करने हेतु छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के धारा 292(ग)(3) के तहत कार्यवाही की जावे, इस संबंध में आप अपना पक्ष पत्र प्राप्ति के 15 दिवस के भीतर अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष उपस्थित होकर अथवा लिखित रूप से भू-स्वामी दस्तावेज एवं अन्य आवश्यक दस्तावेजों सहित प्रस्तुत करेंगे, उक्त समयावधि के भीतर अपना पक्ष प्रस्तुत नहीं किये जाने अथवा प्रस्तुत पक्ष तर्क संगत/सार्थक नहीं होने पर की स्थिति में यह मान लिया जावेगा कि आप उक्त कार्यवाही हेतु सहमत हैं।

सूचना जाने।

आयुक्त

नगर पालिक निगम
भिलाई

पू.क्र./सात/दो/भ.अ./2025/59)

भिलाई, दिनांक 29/05/2025

प्रतिलिपि :-

1. कलेक्टर, दुर्ग, जिला कार्यालय दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) को सादर सूचनार्थ।
2. पुलिस अधीक्षक, दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) को सादर सूचनार्थ।
3. जिला पंजीयक, पंजीयन कार्यालय दुर्ग, जिला- दुर्ग (छ.ग.) को सूचनार्थ।
4. अनुविभागीय अधिकारी (रा.), दुर्ग, जिला दुर्ग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
5. तहसीलदार, दुर्ग/अतिरिक्त तहसीलदार भिलाई नगर, जिला- दुर्ग (छ.ग.) को सूचनार्थ।
6. जोन आयुक्त, जोन क्रं. 02 वैशाली नगर, पालिक निगम, भिलाई को उपरोक्त स्थलों पर आवश्यक नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु प्रेषित।

आयुक्त

नगर पालिक निगम
भिलाई





कार्यालय, नगर पालिक निगम, भिलाई

आकाश गंगा, सुपेला, जी.ई.रोड, भिलाई, जिला-दुर्ग (छ.ग.) 490023,

ई-मेल : bhilai-nagar-nigam@cg.gov.in

क्रमांक/सात/दो/भ.अ./2025/592

भिलाई, दिनांक 29/05/2025

//नोटिस//

प्रति,

कुमारी मधु आ. अगेश्वर साहू
पता- शीतला तालाब के पास, पुरानी बस्ती
कुरुद, भिलाई, जिला-दुर्ग (छ.ग.)

विषय :-

सन्दर्भ:-

अवैध रूप से भूखण्डों का विक्रय किये जाने दुस्प्रेरण करने के संबंध में।

1. कार्यालय मुख्यालय वरिष्ठ उप-पंजीयक दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) का पत्र क्रमांक/101/मु.व.उ.प./2025 दुर्ग, दिनांक 24.02.2025

2. कार्यालय मुख्यालय वरिष्ठ उप-पंजीयक दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) का पत्र क्रमांक/103/मु.व.उ.प./2025 दुर्ग, दिनांक 24.02.2025

-----0000-----

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है, कि नगर पालिक निगम, भिलाई क्षेत्रान्तर्गत आपके द्वारा अवैध प्लानिंग कार्य करने साक्ष्य के रूप में कार्यालय मुख्यालय वरिष्ठ उप पंजीयक दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) द्वारा संदर्भित पत्र क्रमांक (1) व (2) के माध्यम से आपके द्वारा अपने स्वामित्व की भूमि ग्राम-कुरुद खसरा क्रमांक 515/4 को अवैध रूप से छोटे भूखण्डों में विघटित कर विक्रय किया जाने की जानकारी/दस्तावेज प्राप्त हुए हैं। जो कि उक्त खसरों का अवैध रूप से छोटे भूखण्डों में विघटित कर विक्रय किये जाने को स्पष्ट करता है। यह कृत्य छ.ग. नगर पालिक निगम तथा नगर पालिका (कॉलोनाईजर का रजिस्ट्रीकरण निर्बाधन तथा शर्तों) नियम 2013 व छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के प्रावधानों का उल्लंघन है, जिस हेतु छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के धारा 292(ग)(3) के अंतर्गत इस कृत्य हेतु कम से कम 03 वर्ष और अधिक से अधिक 07 वर्ष के कारावास से तथा न्यूनतम 01 लाख रु. के जुर्माना से दण्डित किये जाने का प्रावधान है।

अतः क्यों न आपके विरुद्ध भूमि के अवैध रूप से विखण्डन कर विक्रय करने एवं अवैध कॉलोनी के निर्माण करने का दुस्प्रेरण करने हेतु छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के धारा 292(ग)(3) के तहत कार्यवाही की जावे, इस संबंध में आप अपना पक्ष पत्र प्राप्ति के 15 दिवस के भीतर अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष उपस्थित होकर अथवा लिखित रूप से भू-स्वामी दस्तावेज एवं अन्य आवश्यक दस्तावेजों सहित प्रस्तुत करेंगे, उक्त समयावधि के भीतर अपना पक्ष प्रस्तुत नहीं किये जाने अथवा प्रस्तुत पक्ष तर्क संगत/सार्थक नहीं होने पर की स्थिति में यह मान लिया जावेगा कि आप उक्त कार्यवाही हेतु सहमत हैं।

सूचना जाने।

आयुक्त

नगर पालिक निगम
भिलाई

पृ.क्र./सात/दो/भ.अ./2025/593

भिलाई, दिनांक 29/05/2025

प्रतिलिपि :-

1. कलेक्टर, दुर्ग, जिला कार्यालय दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) को सादर सूचनार्थ।
2. पुलिस अधीक्षक, दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) को सादर सूचनार्थ।
3. जिला पंजीयक, पंजीयन कार्यालय दुर्ग, जिला- दुर्ग (छ.ग.) को सूचनार्थ।
4. अनुविभागीय अधिकारी (रा.), दुर्ग, जिला दुर्ग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
5. तहसीलदार, दुर्ग/अतिरिक्त तहसीलदार भिलाई नगर, जिला- दुर्ग (छ.ग.) को सूचनार्थ।
6. जोन आयुक्त, जोन क्रं. 02 वैशाली नगर, पालिक निगम, भिलाई को उपरोक्त स्थलों पर आवश्यक नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु प्रेषित।

आयुक्त

नगर पालिक निगम
भिलाई





कार्यालय, नगर पालिक निगम, भिलाई

आकाश गंगा, सुपेला, जी.ई.रोड, भिलाई, जिला-दुर्ग (छ.ग.) 490023,

ई-मेल : bhilai-nagar-nigam@cg.gov.in

क्रमांक/सात/दो/भ.अ./2025/S94

भिलाई, दिनांक 29/05/2025

//नोटिस//

प्रति,

श्री लालाराम आ. बिसेसर साहू
पता- दुर्गा चौक, पुरानी बस्ती
कुरुद, भिलाई, जिला-दुर्ग (छ.ग.)

विषय :-

सन्दर्भ:-

अवैध रूप से भूखण्डों का विक्रय किये जाने दुस्प्रेरण करने के संबंध में।

1. कार्यालय मुख्यालय वरिष्ठ उप-पंजीयक दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) का पत्र क्रमांक/101/मु.व.उ.प./2025 दुर्ग, दिनांक 24.02.2025

2. कार्यालय मुख्यालय वरिष्ठ उप-पंजीयक दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) का पत्र क्रमांक/103/मु.व.उ.प./2025 दुर्ग, दिनांक 24.02.2025

-----0000-----

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है, कि नगर पालिक निगम, भिलाई क्षेत्रान्तर्गत आपके द्वारा अवैध प्लानिंग कार्य करने साक्ष्य के रूप में कार्यालय मुख्यालय वरिष्ठ उप पंजीयक दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) द्वारा संदर्भित पत्र क्रमांक (1) व (2) के माध्यम से आपके द्वारा अपने स्वामित्व की भूमि ग्राम-कुरुद खसरा क्रमांक 497/2 को अवैध रूप से छोटे भूखण्डों में विघटित कर विक्रय किया जाने की जानकारी/दस्तावेज प्राप्त हुए हैं। जो कि उक्त खसरो का अवैध रूप से छोटे भूखण्डों में विघटित कर विक्रय किये जाने को स्पष्ट करता है। यह कृत्य छ.ग. नगर पालिक निगम तथा नगर पालिका (कॉलोनाईजर का रजिस्ट्रीकरण निर्बाधन तथा शर्त) नियम 2013 व छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के प्रावधानों का उल्लंघन है, जिस हेतु छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के धारा 292(ग)(3) के अंतर्गत इस कृत्य हेतु कम से कम 03 वर्ष और अधिक से अधिक 07 वर्ष के कारावास से तथा न्यूनतम 01 लाख रु. के जुर्माना से दण्डित किये जाने का प्रावधान है।

अतः क्यों न आपके विरुद्ध भूमि के अवैध रूप से विखण्डन कर विक्रय करने एवं अवैध कॉलोनी के निर्माण करने का दुस्प्रेरण करने हेतु छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के धारा 292(ग)(3) के तहत कार्यवाही की जावे, इस संबंध में आप अपना पक्ष पत्र प्राप्ति के 15 दिवस के भीतर अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष उपस्थित होकर अथवा लिखित रूप से भू-स्वामी दस्तावेज एवं अन्य आवश्यक दस्तावेजों सहित प्रस्तुत करेंगे, उक्त समयावधि के भीतर अपना पक्ष प्रस्तुत नहीं किये जाने अथवा प्रस्तुत पक्ष तर्क संगत/सार्थक नहीं होने पर की स्थिति में यह मान लिया जावेगा कि आप उक्त कार्यवाही हेतु सहमत हैं।

सूचना जाने।

आयुक्त
नगर पालिक निगम
भिलाई

पृ.क्र./सात/दो/भ.अ./2025/S95

भिलाई, दिनांक 29/05/2025

प्रतिलिपि :-

1. कलेक्टर, दुर्ग, जिला कार्यालय दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) को सादर सूचनार्थ।
2. पुलिस अधीक्षक, दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) को सादर सूचनार्थ।
3. जिला पंजीयक, पंजीयन कार्यालय दुर्ग, जिला- दुर्ग (छ.ग.) को सूचनार्थ।
4. अनुविभागीय अधिकारी (रा.), दुर्ग, जिला दुर्ग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
5. तहसीलदार, दुर्ग/अतिरिक्त तहसीलदार भिलाई नगर, जिला- दुर्ग (छ.ग.) को सूचनार्थ।
6. जोन आयुक्त, जोन क्रं. 02 वैशाली नगर, पालिक निगम, भिलाई को उपरोक्त स्थलों पर आवश्यक नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु प्रेषित।

आयुक्त
नगर पालिक निगम
भिलाई





कार्यालय, नगर पालिक निगम, भिलाई

आकाश गंगा, सुपेला, जी.ई.रोड, भिलाई, जिला-दुर्ग (छ.ग.) 490023,
ई-मेल : bhilai-nagar-nigam@cg.gov.in

क्रमांक/सात/दो/भ.अ./2025/596

भिलाई, दिनांक 21/05/2025

//नोटिस//

प्रति,

1. श्री जगदीश कंवट आ.स्व. नथेल
 2. श्री जीवन लाल आ.स्व. नथेल
- पता- मकान नं. 471, ढौर तालाब
कुरुद, भिलाई, जिला-दुर्ग (छ.ग.)

विषय :-
सन्दर्भ:-

- अवैध रूप से भूखण्डों का विक्रय किये जाने दुस्प्रेरण करने के संबंध में।
1. कार्यालय मुख्यालय वरिष्ठ उप-पंजीयक दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) का पत्र क्रमांक/101/मु.व.उ.प./2025 दुर्ग, दिनांक 24.02.2025
 2. कार्यालय मुख्यालय वरिष्ठ उप-पंजीयक दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) का पत्र क्रमांक/103/मु.व.उ.प./2025 दुर्ग, दिनांक 24.02.2025

00000000

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है, कि नगर पालिक निगम, भिलाई क्षेत्रान्तर्गत आपके द्वारा अवैध प्लानिंग कार्य करने साक्ष्य के रूप में कार्यालय मुख्यालय वरिष्ठ उप पंजीयक दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) द्वारा संदर्भित पत्र क्रमांक (1) व (2) के माध्यम से आपके द्वारा अपने स्वामित्व की भूमि ग्राम-कुरुद खसरा क्रमांक 1324/1, 1325/1 को अवैध रूप से छोटे भूखण्डों में विघटित कर विक्रय किया जाने की जानकारी/दस्तावेज प्राप्त हुए हैं। जो कि उक्त खसरों का अवैध रूप से छोटे भूखण्डों में विघटित कर विक्रय किये जाने को स्पष्ट करता है। यह कृत्य छ.ग. नगर पालिक निगम तथा नगर पालिका (कॉलोनाईजर का रजिस्ट्रीकरण निर्बाधन तथा शर्तों) नियम 2013 व छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के प्रावधानों का उल्लंघन है, जिस हेतु छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के धारा 292(ग)(3) के अंतर्गत इस कृत्य हेतु कम से कम 03 वर्ष और अधिक से अधिक 07 वर्ष के कारावास से तथा न्यूनतम 01 लाख रु. के जुर्माना से दण्डित किये जाने का प्रावधान है।

अतः क्यों न आपके विरुद्ध भूमि के अवैध रूप से विखण्डन कर विक्रय करने एवं अवैध कॉलोनी के निर्माण करने का दुस्प्रेरण करने हेतु छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के धारा 292(ग)(3) के तहत कार्यवाही की जावे, इस संबंध में आप अपना पक्ष पत्र प्राप्ति के 15 दिवस के भीतर अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष उपस्थित होकर अथवा लिखित रूप से भू-स्वामी दस्तावेज एवं अन्य आवश्यक दस्तावेजों सहित प्रस्तुत करेंगे, उक्त समयावधि के भीतर अपना पक्ष प्रस्तुत नहीं किये जाने अथवा प्रस्तुत पक्ष तर्क संगत/सार्थक नहीं होने पर की स्थिति में यह मान लिया जावेगा कि आप उक्त कार्यवाही हेतु सहमत हैं।

सूचना जाने।

आयुक्त

नगर पालिक निगम
भिलाई

पृ.क्र./सात/दो/भ.अ./2025/597

भिलाई, दिनांक 21/05/2025

प्रतिलिपि :-

1. कलेक्टर, दुर्ग, जिला कार्यालय दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) को सादर सूचनार्थ।
2. पुलिस अधीक्षक, दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) को सादर सूचनार्थ।
3. जिला पंजीयक, पंजीयन कार्यालय दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) को सूचनार्थ।
4. अनुविभागीय अधिकारी (रा.), दुर्ग, जिला दुर्ग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
5. तहसीलदार, दुर्ग/अतिरिक्त तहसीलदार भिलाई नगर, जिला-दुर्ग (छ.ग.) को सूचनार्थ।
6. जोन आयुक्त, जोन क्रं. 02 वैशाली नगर, पालिक निगम, भिलाई को उपरोक्त स्थलों पर आवश्यक नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु प्रेषित।

आयुक्त

नगर पालिक निगम
भिलाई





कार्यालय, नगर पालिक निगम, भिलाई

आकाश गंगा, सुपेला, जी.ई.रोड, भिलाई, जिला-दुर्ग (छ.ग.) 490023,

ई-मेल : bhilai-nagar-nigam@cg.gov.in

क्रमांक/सात/दो/भ.अ./2025/598

भिलाई, दिनांक 29/05/2025

//नोटिस//

प्रति,

श्री थानसिंह निषाद आ. मंगलू निषाद
पता- 961 दुर्गा मंदिर के पास भाठापारा
कुरुद, भिलाई, जिला-दुर्ग (छ.ग.)

विषय :-

अवैध रूप से भूखण्डों का विक्रय किये जाने दुस्प्रेरण करने के संबंध में।

सन्दर्भ:-

1. कार्यालय मुख्यालय वरिष्ठ उप-पंजीयक दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) का पत्र क्रमांक/101/मु.व.उ.प./2025 दुर्ग, दिनांक 24.02.2025

2. कार्यालय मुख्यालय वरिष्ठ उप-पंजीयक दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) का पत्र क्रमांक/103/मु.व.उ.प./2025 दुर्ग, दिनांक 24.02.2025

0000

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है, कि नगर पालिक निगम, भिलाई क्षेत्रान्तर्गत आपके द्वारा अवैध प्लानिंग कार्य करने साक्ष्य के रूप में कार्यालय मुख्यालय वरिष्ठ उप पंजीयक दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) द्वारा संदर्भित पत्र क्रमांक (1) व (2) के माध्यम से आपके द्वारा अपने स्वामित्व की भूमि ग्राम-कुरुद खसरा क्रमांक 1323/1 को अवैध रूप से छोटे भूखण्डों में विघटित कर विक्रय किया जाने की जानकारी/दस्तावेज प्राप्त हुए हैं। जो कि उक्त खसरों का अवैध रूप से छोटे भूखण्डों में विघटित कर विक्रय किये जाने को स्पष्ट करता है। यह कृत्य छ.ग. नगर पालिक निगम तथा नगर पालिका (कॉलोनाईजर का रजिस्ट्रीकरण निर्वाधन तथा शर्तों) नियम 2013 व छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के प्रावधानों का उल्लंघन है, जिस हेतु छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के धारा 292(ग)(3) के अंतर्गत इस कृत्य हेतु कम से कम 03 वर्ष और अधिक से अधिक 07 वर्ष के कारावास से तथा न्यूनतम 01 लाख रु. के जुर्माना से दण्डित किये जाने का प्रावधान है।

अतः क्यों न आपके विरुद्ध भूमि के अवैध रूप से विखण्डन कर विक्रय करने एवं अवैध कॉलोनी के निर्माण करने का दुस्प्रेरण करने हेतु छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के धारा 292(ग)(3) के तहत कार्यवाही की जावे, इस संबंध में आप अपना पक्ष पत्र प्राप्ति के 15 दिवस के भीतर अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष उपस्थित होकर अथवा लिखित रूप से भू-स्वामी दस्तावेज एवं अन्य आवश्यक दस्तावेजों सहित प्रस्तुत करेंगे, उक्त समयावधि के भीतर अपना पक्ष प्रस्तुत नहीं किये जाने अथवा प्रस्तुत पक्ष तर्क संगत/सार्थक नहीं होने पर की स्थिति में यह मान लिया जावेगा कि आप उक्त कार्यवाही हेतु सहमत हैं।

सूचना जाने।

आयुक्त

नगर पालिक निगम
भिलाई

पृ.क्र./सात/दो/भ.अ./2025/599

भिलाई, दिनांक 29/05/2025

प्रतिलिपि :-

1. कलेक्टर, दुर्ग, जिला कार्यालय दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) को सादर सूचनार्थ।
2. पुलिस अधीक्षक, दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) को सादर सूचनार्थ।
3. जिला पंजीयक, पंजीयन कार्यालय दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) को सूचनार्थ।
4. अनुविभागीय अधिकारी (रा.), दुर्ग, जिला दुर्ग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
5. तहसीलदार, दुर्ग/अतिरिक्त तहसीलदार भिलाई नगर, जिला-दुर्ग (छ.ग.) को सूचनार्थ।
6. जोन आयुक्त, जोन क्रं. 02 वैशाली नगर, पालिक निगम, भिलाई को उपरोक्त स्थलों पर आवश्यक नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु प्रेषित।

आयुक्त

नगर पालिक निगम
भिलाई





कार्यालय, नगर पालिक निगम, भिलाई

आकाश गंगा, सुपेला, जी.ई.रोड, भिलाई, जिला-दुर्ग (छ.ग.) 490023,

ई-मेल : bhilai-nagar-nigam@cg.gov.in

क्रमांक/सात/दो/भ.अ./2025/600

भिलाई, दिनांक 29/05/2025

//नोटिस//

प्रति,

श्री निर्मल बुंदेला आ.स्व. चमन लाल बुंदेला
पता- ब्लॉक नं. 01, वार्ड नं.-12, जवाहर
नगर सुपेला, भिलाई, जिला-दुर्ग (छ.ग.)

विषय :-

अवैध रूप से भूखण्डों का विक्रय किये जाने दुस्प्रेरण करने के संबंध में।

सन्दर्भ:-

1. कार्यालय मुख्यालय वरिष्ठ उप-पंजीयक दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) का पत्र क्रमांक/101/मु.व.उ.प./2025 दुर्ग, दिनांक 24.02.2025
2. कार्यालय मुख्यालय वरिष्ठ उप-पंजीयक दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) का पत्र क्रमांक/103/मु.व.उ.प./2025 दुर्ग, दिनांक 24.02.2025

-----0000-----

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है, कि नगर पालिक निगम, भिलाई क्षेत्रान्तर्गत आपके द्वारा अवैध प्लॉटिंग कार्य करने साक्ष्य के रूप में कार्यालय मुख्यालय वरिष्ठ उप पंजीयक दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) द्वारा संदर्भित पत्र क्रमांक (1) व (2) के माध्यम से आपके द्वारा अपने स्वामित्व की भूमि ग्राम-कुरुद खसरा क्रमांक 1047/109 को अवैध रूप से छोटे भूखण्डों में विघटित कर विक्रय किया जाने की जानकारी/दस्तावेज प्राप्त हुए हैं। जो कि उक्त खसराओं का अवैध रूप से छोटे भूखण्डों में विघटित कर विक्रय किये जाने को स्पष्ट करता है। यह कृत्य छ.ग. नगर पालिक निगम तथा नगर पालिका (कॉलोनाईजर का रजिस्ट्रीकरण निर्बाधन तथा शर्त) नियम 2013 व छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के प्रावधानों का उल्लंघन है, जिस हेतु छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के धारा 292(ग)(3) के अंतर्गत इस कृत्य हेतु कम से कम 03 वर्ष और अधिक से अधिक 07 वर्ष के कारावास से तथा न्यूनतम 01 लाख रु. के जुर्माना से दण्डित किये जाने का प्रावधान है।

अतः क्यों न आपके विरुद्ध भूमि के अवैध रूप से विखण्डन कर विक्रय करने एवं अवैध कॉलोनी के निर्माण करने का दुस्प्रेरण करने हेतु छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के धारा 292(ग)(3) के तहत कार्यवाही की जावे, इस संबंध में आप अपना पक्ष पत्र प्राप्ति के 15 दिवस के भीतर अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष उपस्थित होकर अथवा लिखित रूप से भू-स्वामी दस्तावेज एवं अन्य आवश्यक दस्तावेजों सहित प्रस्तुत करेंगे, उक्त समयावधि के भीतर अपना पक्ष प्रस्तुत नहीं किये जाने अथवा प्रस्तुत पक्ष तर्क संगत/सार्थक नहीं होने पर की स्थिति में यह मान लिया जावेगा कि आप उक्त कार्यवाही हेतु सहमत हैं।

सूचना जाने।

आयुक्त

नगर पालिक निगम
भिलाई

भिलाई, दिनांक 29/05/2025

पृ.क्र./सात/दो/भ.अ./2025/601

प्रतिलिपि :-

1. कलेक्टर, दुर्ग, जिला कार्यालय दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) को सादर सूचनार्थ।
2. पुलिस अधीक्षक, दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) को सादर सूचनार्थ।
3. जिला पंजीयक, पंजीयन कार्यालय दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) को सूचनार्थ।
4. अनुविभागीय अधिकारी (रा.), दुर्ग, जिला दुर्ग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
5. तहसीलदार, दुर्ग/अतिरिक्त तहसीलदार भिलाई नगर, जिला-दुर्ग (छ.ग.) को सूचनार्थ।
6. जोन आयुक्त, जोन क्रं. 02 वैशाली नगर, पालिक निगम, भिलाई को उपरोक्त स्थलों पर आवश्यक नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु प्रेषित।

आयुक्त

नगर पालिक निगम
भिलाई





कार्यालय, नगर पालिक निगम, भिलाई

आकाश गंगा, सुपेला, जी.ई.रोड, भिलाई, जिला-दुर्ग (छ.ग.) 490023,

ई-मेल : bhilai-nagar-nigam@cg.gov.in

क्रमांक/सात/दो/भ.अ./2025/602

भिलाई, दिनांक 29/05/2025

//नोटिस//

प्रति,

श्रीमती कुसुम यादव/ श्री रामभरोसा यादव
पता- बाबा दीप सिंह नगर, वैशाली नगर
भिलाई, जिला-दुर्ग (छ.ग.)

विषय :-

अवैध रूप से भूखण्डों का विक्रय किये जाने दुस्प्रेरण करने के संबंध में।

सन्दर्भ:-

1. कार्यालय मुख्यालय वरिष्ठ उप-पंजीयक दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) का पत्र क्रमांक/101/मु.व.उ.प./2025 दुर्ग, दिनांक 24.02.2025
2. कार्यालय मुख्यालय वरिष्ठ उप-पंजीयक दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) का पत्र क्रमांक/103/मु.व.उ.प./2025 दुर्ग, दिनांक 24.02.2025

0000

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है, कि नगर पालिक निगम, भिलाई क्षेत्रान्तर्गत आपके द्वारा अवैध प्लानिंग कार्य करने साक्ष्य के रूप में कार्यालय मुख्यालय वरिष्ठ उप पंजीयक दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) द्वारा संदर्भित पत्र क्रमांक (1) व (2) के माध्यम से आपके द्वारा अपने स्वामित्व की भूमि ग्राम-कुरुद खसरा क्रमांक 1003/58 को अवैध रूप से छोटे भूखण्डों में विघटित कर विक्रय किया जाने की जानकारी/दस्तावेज प्राप्त हुए हैं। जो कि उक्त खसराओं का अवैध रूप से छोटे भूखण्डों में विघटित कर विक्रय किये जाने को स्पष्ट करता है। यह कृत्य छ.ग. नगर पालिक निगम तथा नगर पालिका (कॉलोनाईजर का रजिस्ट्रीकरण निर्बाधन तथा शर्तों) नियम 2013 व छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के प्रावधानों का उल्लंघन है, जिस हेतु छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के धारा 292(ग)(3) के अंतर्गत इस कृत्य हेतु कम से कम 03 वर्ष और अधिक से अधिक 07 वर्ष के कारावास से तथा न्यूनतम 01 लाख रु. के जुर्माना से दण्डित किये जाने का प्रावधान है।

अतः क्यों न आपके विरुद्ध भूमि के अवैध रूप से विखण्डन कर विक्रय करने एवं अवैध कॉलोनी के निर्माण करने का दुस्प्रेरण करने हेतु छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के धारा 292(ग)(3) के तहत कार्यवाही की जावे, इस संबंध में आप अपना पक्ष पत्र प्राप्ति के 15 दिवस के भीतर अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष उपस्थित होकर अथवा लिखित रूप से भू-स्वामी दस्तावेज एवं अन्य आवश्यक दस्तावेजों सहित प्रस्तुत करेंगे, उक्त समयावधि के भीतर अपना पक्ष प्रस्तुत नहीं किये जाने अथवा प्रस्तुत पक्ष तर्क संगत/सार्थक नहीं होने पर की स्थिति में यह मान लिया जावेगा कि आप उक्त कार्यवाही हेतु सहमत हैं।

सूचना जाने।

आयुक्त

नगर पालिक निगम
भिलाई

पृ.क्र./सात/दो/भ.अ./2025/603

भिलाई, दिनांक 29/05/2025

प्रतिलिपि :-

1. कलेक्टर, दुर्ग, जिला कार्यालय दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) को सादर सूचनार्थ।
2. पुलिस अधीक्षक, दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) को सादर सूचनार्थ।
3. जिला पंजीयक, पंजीयन कार्यालय दुर्ग, जिला- दुर्ग (छ.ग.) को सूचनार्थ।
4. अनुविभागीय अधिकारी (श.), दुर्ग, जिला दुर्ग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
5. तहसीलदार, दुर्ग/अतिरिक्त तहसीलदार भिलाई नगर, जिला- दुर्ग (छ.ग.) को सूचनार्थ।
6. जोन आयुक्त, जोन क्रं. 02 वैशाली नगर, पालिक निगम, भिलाई को उपरोक्त स्थलों पर आवश्यक नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु प्रेषित।

आयुक्त

नगर पालिक निगम
भिलाई





कार्यालय, नगर पालिक निगम, भिलाई

आकाश गंगा, सुपेला, जी.ई.रोड, भिलाई, जिला-दुर्ग (छ.ग.) 490023,

ई-मेल : bhilai-nagar-nigam@cg.gov.in

क्रमांक/सात/दो/भ.अ./2025/604

भिलाई, दिनांक 29/05/2025

//नोटिस//

प्रति,

श्री प्रकाश कुर्रे आ. किशन लाल कुर्रे
पता- 1A/B सेकंड प्लोर श्याम प्लाजा पंडरी
बस स्टैण्ड रायपुर जिला-रायपुर(छ.ग.)

विषय :-

सन्दर्भ:-

अवैध रूप से भूखण्डों का विक्रय किये जाने दुस्प्रेरण करने के संबंध में।

1. कार्यालय मुख्यालय वरिष्ठ उप-पंजीयक दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) का पत्र क्रमांक/101/मु.व.उ.प./2025 दुर्ग, दिनांक 24.02.2025

2. कार्यालय मुख्यालय वरिष्ठ उप-पंजीयक दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) का पत्र क्रमांक/103/मु.व.उ.प./2025 दुर्ग, दिनांक 24.02.2025

-----0000-----

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है, कि नगर पालिक निगम, भिलाई क्षेत्रान्तर्गत आपके द्वारा अवैध प्लानिंग कार्य करने साक्ष्य के रूप में कार्यालय मुख्यालय वरिष्ठ उप पंजीयक दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) द्वारा संदर्भित पत्र क्रमांक (1) व (2) के माध्यम से आपके द्वारा अपने स्वामित्व की भूमि ग्राम-कुरुद खसरा क्रमांक 1003/72 को अवैध रूप से छोटे भूखण्डों में विघटित कर विक्रय किया जाने की जानकारी/दस्तावेज प्राप्त हुए हैं। जो कि उक्त खसरों का अवैध रूप से छोटे भूखण्डों में विघटित कर विक्रय किये जाने को स्पष्ट करता है। यह कृत्य छ.ग. नगर पालिक निगम तथा नगर पालिका (कॉलोनाईजर का रजिस्ट्रीकरण निर्बाधन तथा शर्तों) नियम 2013 व छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के प्रावधानों का उल्लंघन है, जिस हेतु छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के धारा 292(ग)(3) के अंतर्गत इस कृत्य हेतु कम से कम 03 वर्ष और अधिक से अधिक 07 वर्ष के कारावास से तथा न्यूनतम 01 लाख रु. के जुर्माना से दण्डित किये जाने का प्रावधान है।

अतः क्यों न आपके विरुद्ध भूमि के अवैध रूप से विखण्डन कर विक्रय करने एवं अवैध कॉलोनी के निर्माण करने का दुस्प्रेरण करने हेतु छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के धारा 292(ग)(3) के तहत कार्यवाही की जावे, इस संबंध में आप अपना पक्ष पत्र प्राप्ति के 15 दिवस के भीतर अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष उपस्थित होकर अथवा लिखित रूप से भू-स्वामी दस्तावेज एवं अन्य आवश्यक दस्तावेजों सहित प्रस्तुत करेंगे, उक्त समयावधि के भीतर अपना पक्ष प्रस्तुत नहीं किये जाने अथवा प्रस्तुत पक्ष तर्क संगत/सार्थक नहीं होने पर की स्थिति में यह मान लिया जावेगा कि आप उक्त कार्यवाही हेतु सहमत हैं।

सूचना जाने।

आयुक्त

नगर पालिक निगम
भिलाई

पृ.क्र./सात/दो/भ.अ./2025/605

भिलाई, दिनांक 29/05/2025

प्रतिलिपि :-

1. कलेक्टर, दुर्ग, जिला कार्यालय दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) को सादर सूचनार्थ।
2. पुलिस अधीक्षक, दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) को सादर सूचनार्थ।
3. जिला पंजीयक, पंजीयन कार्यालय दुर्ग, जिला- दुर्ग (छ.ग.) को सूचनार्थ।
4. अनुविभागीय अधिकारी (रा.), दुर्ग, जिला दुर्ग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
5. तहसीलदार, दुर्ग/अतिरिक्त तहसीलदार भिलाई नगर, जिला- दुर्ग (छ.ग.) को सूचनार्थ।
6. जोन आयुक्त, जोन क्रं. 02 वैशाली नगर, पालिक निगम, भिलाई को उपरोक्त स्थलों पर आवश्यक नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु प्रेषित।

आयुक्त

नगर पालिक निगम
भिलाई





कार्यालय, नगर पालिक निगम, भिलाई

आकाश गंगा, सुपेला, जी.ई.रोड, भिलाई, जिला-दुर्ग (छ.ग.) 490023,

ई-मेल : bhilai-nagar-nigam@cg.gov.in

क्रमांक/सात/दो/भ.अ./2025/606

भिलाई, दिनांक 29/05/2025

//नोटिस//

प्रति,

1. श्री प्रकाश महोबिया आ. रामचरण महोबिया
पता- कौशल निवास, कैलाश नगर, कुरुद, भिलाई
2. श्री निर्मल बुन्देला आ.स्व. चमनलाल बुंदेला
पता- बाबादीप सिंह मार्ग जवाहर नगर सुपेला भिलाई

विषय :- अवैध रूप से भूखण्डों का विक्रय किये जाने दुस्प्रेरण करने के संबंध में।
सन्दर्भ:- 1. कार्यालय मुख्यालय वरिष्ठ उप-पंजीयक दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) का पत्र क्रमांक/101/मु.व.उ.प./2025 दुर्ग, दिनांक 24.02.2025
2. कार्यालय मुख्यालय वरिष्ठ उप-पंजीयक दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) का पत्र क्रमांक/103/मु.व.उ.प./2025 दुर्ग, दिनांक 24.02.2025

-----0000-----

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है, कि नगर पालिक निगम, भिलाई क्षेत्रान्तर्गत आपके द्वारा अवैध प्लॉटिंग कार्य करने साक्ष्य के रूप में कार्यालय मुख्यालय वरिष्ठ उप पंजीयक दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) द्वारा संदर्भित पत्र क्रमांक (1) व (2) के माध्यम से आपके द्वारा अपने स्वामित्व की भूमि ग्राम-कुरुद खसरा क्रमांक 1047/108 को अवैध रूप से छोटे भूखण्डों में विघटित कर विक्रय किया जाने की जानकारी/दस्तावेज प्राप्त हुए हैं। जो कि उक्त खसरो का अवैध रूप से छोटे भूखण्डों में विघटित कर विक्रय किये जाने को स्पष्ट करता है। यह कृत्य छ.ग. नगर पालिक निगम तथा नगर पालिका (कॉलोनाईजर का रजिस्ट्रीकरण निर्बाधन तथा शर्त) नियम 2013 व छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के प्रावधानों का उल्लंघन है, जिस हेतु छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के धारा 292(ग)(3) के अंतर्गत इस कृत्य हेतु कम से कम 03 वर्ष और अधिक से अधिक 07 वर्ष के कारावास से तथा न्यूनतम 01 लाख रु. के जुर्माना से दण्डित किये जाने का प्रावधान है।

अतः क्यों न आपके विरुद्ध भूमि के अवैध रूप से विखण्डन कर विक्रय करने एवं अवैध कॉलोनी के निर्माण करने का दुस्प्रेरण करने हेतु छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के धारा 292(ग)(3) के तहत कार्यवाही की जावे, इस संबंध में आप अपना पक्ष पत्र प्राप्ति के 15 दिवस के भीतर अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष उपस्थित होकर अथवा लिखित रूप से भू-स्वामी दस्तावेज एवं अन्य आवश्यक दस्तावेजों सहित प्रस्तुत करेंगे, उक्त समयावधि के भीतर अपना पक्ष प्रस्तुत नहीं किये जाने अथवा प्रस्तुत पक्ष तर्क संगत/सार्थक नहीं होने पर की स्थिति में यह मान लिया जाएगा कि आप उक्त कार्यवाही हेतु सहमत हैं।

सूचना जाने।

आयुक्त

नगर पालिक निगम
भिलाई

भिलाई, दिनांक 29/05/2025

पृ.क्र./सात/दो/भ.अ./2025/607

प्रतिलिपि :-

1. कलेक्टर, दुर्ग, जिला कार्यालय दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) को सादर सूचनार्थ।
2. पुलिस अधीक्षक, दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) को सादर सूचनार्थ।
3. जिला पंजीयक, पंजीयन कार्यालय दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) को सूचनार्थ।
4. अनुविभागीय अधिकारी (रा.), दुर्ग, जिला दुर्ग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
5. तहसीलदार, दुर्ग/अतिरिक्त तहसीलदार भिलाई नगर, जिला-दुर्ग (छ.ग.) को सूचनार्थ।
6. जोन आयुक्त, जोन क्रं. 02 वैशाली नगर, पालिक निगम, भिलाई को उपरोक्त स्थलों पर आवश्यक नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु प्रेषित।

आयुक्त

नगर पालिक निगम
भिलाई





कार्यालय, नगर पालिक निगम, भिलाई

आकाश गंगा, सुपेला, जी.ई.रोड, भिलाई, जिला-दुर्ग (छ.ग.) 490023,

ई-मेल : bhilai-nagar-nigam@cg.gov.in

क्रमांक/सात/दो/भ.अ./2025/608

भिलाई, दिनांक 29/05/2025

//नोटिस//

प्रति,

श्रीमती शोभा देवी / श्री पिन्दू साव
पता- 402 काँट्रेक्टर कॉलोनी वार्ड नं. 06
सुपेला, भिलाई, जिला-दुर्ग (छ.ग.)

विषय :-

सन्दर्भ:-

अवैध रूप से भूखण्डों का विक्रय किये जाने दुस्प्रेरण करने के संबंध में।

1. कार्यालय मुख्यालय वरिष्ठ उप-पंजीयक दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) का पत्र क्रमांक/101/मु.व.उ.प./2025 दुर्ग, दिनांक 24.02.2025

2. कार्यालय मुख्यालय वरिष्ठ उप-पंजीयक दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) का पत्र क्रमांक/103/मु.व.उ.प./2025 दुर्ग, दिनांक 24.02.2025

*****0000*****

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है, कि नगर पालिक निगम, भिलाई क्षेत्रान्तर्गत आपके द्वारा अवैध प्लानिंग कार्य करने साक्ष्य के रूप में कार्यालय मुख्यालय वरिष्ठ उप पंजीयक दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) द्वारा संदर्भित पत्र क्रमांक (1) व (2) के माध्यम से आपके द्वारा अपने स्वामित्व की भूमि ग्राम-कुरुद खसरा क्रमांक 1047/69 को अवैध रूप से छोटे भूखण्डों में विघटित कर विक्रय किया जाने की जानकारी/दस्तावेज प्राप्त हुए हैं। जो कि उक्त खसरो का अवैध रूप से छोटे भूखण्डों में विघटित कर विक्रय किये जाने को स्पष्ट करता है। यह कृत्य छ.ग. नगर पालिक निगम तथा नगर पालिका (कॉलोनाईजर का रजिस्ट्रीकरण निर्बाधन तथा शर्त) नियम 2013 व छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के प्रावधानों का उल्लंघन है, जिस हेतु छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के धारा 292(ग)(3) के अंतर्गत इस कृत्य हेतु कम से कम 03 वर्ष और अधिक से अधिक 07 वर्ष के कारावास से तथा न्यूनतम 01 लाख रु. के जुर्माना से दण्डित किये जाने का प्रावधान है।

अतः क्यों न आपके विरुद्ध भूमि के अवैध रूप से विखण्डन कर विक्रय करने एवं अवैध कॉलोनी के निर्माण करने का दुस्प्रेरण करने हेतु छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के धारा 292(ग)(3) के तहत कार्यवाही की जावे, इस संबंध में आप अपना पक्ष पत्र प्राप्ति के 15 दिवस के भीतर अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष उपस्थित होकर अथवा लिखित रूप से भू-स्वामी दस्तावेज एवं अन्य आवश्यक दस्तावेजों सहित प्रस्तुत करेंगे, उक्त समयवधि के भीतर अपना पक्ष प्रस्तुत नहीं किये जाने अथवा प्रस्तुत पक्ष तर्क संगत/सार्थक नहीं होने पर की स्थिति में यह मान लिया जावेगा कि आप उक्त कार्यवाही हेतु सहमत हैं।

सूचना जाने।

आयुक्त

नगर पालिक निगम
भिलाई

पृ.क्र./सात/दो/भ.अ./2025/609

भिलाई, दिनांक 29/05/2025

प्रतिलिपि :-

1. कलेक्टर, दुर्ग, जिला कार्यालय दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) को सादर सूचनार्थ।
2. पुलिस अधीक्षक, दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) को सादर सूचनार्थ।
3. जिला पंजीयक, पंजीयन कार्यालय दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) को सूचनार्थ।
4. अनुविभागीय अधिकारी (रा.), दुर्ग, जिला दुर्ग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
5. तहसीलदार, दुर्ग/अतिरिक्त तहसीलदार भिलाई नगर, जिला-दुर्ग (छ.ग.) को सूचनार्थ।
6. जोन आयुक्त, जोन क्रं. 02 वैशाली नगर, पालिक निगम, भिलाई को उपरोक्त स्थलों पर आवश्यक नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु प्रेषित।

आयुक्त

नगर पालिक निगम
भिलाई





कार्यालय, नगर पालिक निगम, भिलाई

आकाश गंगा, सुपेला, जी.ई.रोड, भिलाई, जिला-दुर्ग (छ.ग.) 490023,

ई-मेल : bhilai-nagar-nigam@cg.gov.in

क्रमांक/सात/दो/भ.अ./2025/610

भिलाई, दिनांक 29/05/2025

//नोटिस//

प्रति,

श्री टी.जी. मनोज आ.टी.एस. जार्ज कुट्टी
पता- क्वा.नं. 10ए सड़क 13 सेक्टर-05
सिविक सेंटर, भिलाई, जिला-दुर्ग (छ.ग.)

विषय :-
सन्दर्भ:-

- अवैध रूप से भूखण्डों का विक्रय किये जाने दुस्प्रेरण करने के संबंध में।
1. कार्यालय मुख्यालय वरिष्ठ उप-पंजीयक दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) का पत्र क्रमांक/101/मु.व.उ.प./2025 दुर्ग, दिनांक 24.02.2025
 2. कार्यालय मुख्यालय वरिष्ठ उप-पंजीयक दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) का पत्र क्रमांक/103/मु.व.उ.प./2025 दुर्ग, दिनांक 24.02.2025

*****0000*****

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है, कि नगर पालिक निगम, भिलाई क्षेत्रान्तर्गत आपके द्वारा अवैध प्लानिंग कार्य करने साक्ष्य के रूप में कार्यालय मुख्यालय वरिष्ठ उप पंजीयक दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) द्वारा संदर्भित पत्र क्रमांक (1) व (2) के माध्यम से आपके द्वारा अपने स्वामित्व की भूमि ग्राम-कुरुद खसरा क्रमांक 455/13 को अवैध रूप से छोटे भूखण्डों में विघटित कर विक्रय किया जाने की जानकारी/दस्तावेज प्राप्त हुए हैं। जो कि उक्त खसरा के अवैध रूप से छोटे भूखण्डों में विघटित कर विक्रय किये जाने को स्पष्ट करता है। यह कृत्य छ.ग. नगर पालिक निगम तथा नगर पालिका (कॉलोनाइजर का रजिस्ट्रीकरण निर्बाधन तथा शर्त) नियम 2013 व छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के प्रावधानों का उल्लंघन है, जिस हेतु छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के धारा 292(ग)(3) के अंतर्गत इस कृत्य हेतु कम से कम 03 वर्ष और अधिक से अधिक 07 वर्ष के कारावास से तथा न्यूनतम 01 लाख रु. के जुर्माना से दण्डित किये जाने का प्रावधान है।

अतः क्यों न आपके विरुद्ध भूमि के अवैध रूप से विखण्डन कर विक्रय करने एवं अवैध कॉलोनी के निर्माण करने का दुस्प्रेरण करने हेतु छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के धारा 292(ग)(3) के तहत कार्यवाही की जावे, इस संबंध में आप अपना पक्ष पत्र प्राप्ति के 15 दिवस के भीतर अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष उपस्थित होकर अथवा लिखित रूप से भू-स्वामी दस्तावेज एवं अन्य आवश्यक दस्तावेजों सहित प्रस्तुत करेंगे, उक्त समयावधि के भीतर अपना पक्ष प्रस्तुत नहीं किये जाने अथवा प्रस्तुत पक्ष तर्क संगत/सार्थक नहीं होने पर की स्थिति में यह मान लिया जावेगा कि आप उक्त कार्यवाही हेतु सहमत हैं।

सूचना जाने।

आयुक्त

नगर पालिक निगम
भिलाई

पृ.क्र./सात/दो/भ.अ./2025/611

भिलाई, दिनांक 29/05/2025

प्रतिलिपि :-

1. कलेक्टर, दुर्ग, जिला कार्यालय दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) को सादर सूचनार्थ।
2. पुलिस अधीक्षक, दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) को सादर सूचनार्थ।
3. जिला पंजीयक, पंजीयन कार्यालय दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) को सूचनार्थ।
4. अनुविभागीय अधिकारी (रा.), दुर्ग, जिला दुर्ग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
5. तहसीलदार, दुर्ग/अतिरिक्त तहसीलदार भिलाई नगर, जिला-दुर्ग (छ.ग.) को सूचनार्थ।
6. जोन आयुक्त, जोन क्रं. 02 वैशाली नगर, पालिक निगम, भिलाई को उपरोक्त स्थलों पर आवश्यक नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु प्रेषित।

आयुक्त

नगर पालिक निगम
भिलाई





कार्यालय, नगर पालिक निगम, भिलाई

आकाश गंगा, सुपेला, जी.ई.रोड, भिलाई, जिला-दुर्ग (छ.ग.) 490023,

ई-मेल : bhilai-nagar-nigam@cg.gov.in

क्रमांक/सात/दो/भ.अ./2025/612

भिलाई, दिनांक 29/05/2025

//नोटिस//

प्रति,

1. कल्याणी आ. श्री बुधरू राम
 2. श्री डेरहा यादव आ. श्री बुधरू
- पता- 464 वार्ड नं. 14 गड़रिया पुरानी
कुरुद, जिला-दुर्ग (छ.ग.)

विषय :-

अवैध रूप से भूखण्डों का विक्रय किये जाने दुस्प्रेरण करने के संबंध में।

सन्दर्भ:-

1. कार्यालय मुख्यालय वरिष्ठ उप-पंजीयक दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) का पत्र क्रमांक/101/मु.व.उ.प./2025 दुर्ग, दिनांक 24.02.2025
2. कार्यालय मुख्यालय वरिष्ठ उप-पंजीयक दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) का पत्र क्रमांक/103/मु.व.उ.प./2025 दुर्ग, दिनांक 24.02.2025

-----0000-----

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है, कि नगर पालिक निगम, भिलाई क्षेत्रान्तर्गत आपके द्वारा अवैध प्लॉटिंग कार्य करने साक्ष्य के रूप में कार्यालय मुख्यालय वरिष्ठ उप पंजीयक दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) द्वारा संदर्भित पत्र क्रमांक (1) व (2) के माध्यम से आपके द्वारा अपने स्वामित्व की भूमि ग्राम-कुरुद खसरा क्रमांक 172/8 को अवैध रूप से छोटे भूखण्डों में विघटित कर विक्रय किया जाने की जानकारी/दस्तावेज प्राप्त हुए हैं। जो कि उक्त खसरा के अवैध रूप से छोटे भूखण्डों में विघटित कर विक्रय किये जाने को स्पष्ट करता है। यह कृत्य छ.ग. नगर पालिक निगम तथा नगर पालिका (कॉलोनाइजर का रजिस्ट्रीकरण निर्वाधन तथा शर्तों) नियम 2013 व छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के प्रावधानों का उल्लंघन है, जिस हेतु छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के धारा 292(ग)(3) के अंतर्गत इस कृत्य हेतु कम से कम 03 वर्ष और अधिक से अधिक 07 वर्ष के कारावास से तथा न्यूनतम 01 लाख रु. के जुर्माना से दण्डित किये जाने का प्रावधान है।

अतः क्यों न आपके विरुद्ध भूमि के अवैध रूप से विखण्डन कर विक्रय करने एवं अवैध कॉलोनी के निर्माण करने का दुस्प्रेरण करने हेतु छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के धारा 292(ग)(3) के तहत कार्यवाही की जावे, इस संबंध में आप अपना पक्ष पत्र प्राप्ति के 15 दिवस के भीतर अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष उपस्थित होकर अथवा लिखित रूप से भू-स्वामी दस्तावेज एवं अन्य आवश्यक दस्तावेजों सहित प्रस्तुत करेंगे, उक्त समयावधि के भीतर अपना पक्ष प्रस्तुत नहीं किये जाने अथवा प्रस्तुत पक्ष तर्क संगत/सार्वक नही होने पर की स्थिति में यह मान लिया जावेगा कि आप उक्त कार्यवाही हेतु सहमत हैं।

सूचना जाने।

आयुक्त

नगर पालिक निगम
भिलाई

पू.क्र./सात/दो/भ.अ./2025/613

भिलाई, दिनांक 29/05/2025

प्रतिलिपि :-

1. कलेक्टर, दुर्ग, जिला कार्यालय दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) को सादर सूचनार्थ।
2. पुलिस अधीक्षक, दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) को सादर सूचनार्थ।
3. जिला पंजीयक, पंजीयन कार्यालय दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) को सूचनार्थ।
4. अनुविभागीय अधिकारी (रा.), दुर्ग, जिला दुर्ग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
5. तहसीलदार, दुर्ग/अतिरिक्त तहसीलदार भिलाई नगर, जिला-दुर्ग (छ.ग.) को सूचनार्थ।
6. जोन आयुक्त, जोन क्रं. 02 वैशाली नगर, पालिक निगम, भिलाई को उपरोक्त स्थलों पर आवश्यक नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु प्रेषित।

आयुक्त

नगर पालिक निगम
भिलाई





कार्यालय, नगर पालिक निगम, भिलाई

आकाश गंगा, सुपेला, जी.ई.रोड, भिलाई, जिला-दुर्ग (छ.ग.) 490023,

ई-मेल : bhilai-nagar-nigam@cg.gov.in

क्रमांक/सात/दो/भ.अ./2025/614

भिलाई, दिनांक 29/05/2025

//नोटिस//

प्रति,

1. सरस्ती आ. श्री बुधरू राम
 2. श्री डेरहा यादव आ. श्री बुधरू
- पता- 464 वार्ड नं. 14 गड़रिया पुरानी
कुरुद, जिला-दुर्ग (छ.ग.)

विषय :-

सन्दर्भ:-

अवैध रूप से भूखण्डों का विक्रय किये जाने दुस्प्रेरण करने के संबंध में।

1. कार्यालय मुख्यालय वरिष्ठ उप-पंजीयक दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) का पत्र क्रमांक/101/मु.व.उ.प./2025 दुर्ग, दिनांक 24.02.2025
2. कार्यालय मुख्यालय वरिष्ठ उप-पंजीयक दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) का पत्र क्रमांक/103/मु.व.उ.प./2025 दुर्ग, दिनांक 24.02.2025

-----0000-----

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है, कि नगर पालिक निगम, भिलाई क्षेत्रान्तर्गत आपके द्वारा अवैध प्लॉटिंग कार्य करने साक्ष्य के रूप में कार्यालय मुख्यालय वरिष्ठ उप पंजीयक दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) द्वारा संदर्भित पत्र क्रमांक (1) व (2) के माध्यम से आपके द्वारा अपने स्वामित्व की भूमि ग्राम-कुरुद खसरा क्रमांक 172/6 को अवैध रूप से छोटे भूखण्डों में विघटित कर विक्रय किया जाने की जानकारी/दस्तावेज प्राप्त हुए हैं। जो कि उक्त खसराओं का अवैध रूप से छोटे भूखण्डों में विघटित कर विक्रय किये जाने को स्पष्ट करता है। यह कृत्य छ.ग. नगर पालिक निगम तथा नगर पालिका (कॉलोनाईजर का रजिस्ट्रीकरण निर्वाधन तथा शर्तों) नियम 2013 व छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के प्रावधानों का उल्लंघन है, जिस हेतु छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के धारा 292(ग)(3) के अंतर्गत इस कृत्य हेतु कम से कम 03 वर्ष और अधिक से अधिक 07 वर्ष के कारावास से तथा न्यूनतम 01 लाख रु. के जुर्माना से दण्डित किये जाने का प्रावधान है।

अतः क्यों न आपके विरुद्ध भूमि के अवैध रूप से विखण्डन कर विक्रय करने एवं अवैध कॉलोनी के निर्माण करने का दुस्प्रेरण करने हेतु छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के धारा 292(ग)(3) के तहत कार्यवाही की जावे, इस संबंध में आप अपना पक्ष पत्र प्राप्ति के 15 दिवस के भीतर अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष उपस्थित होकर अथवा लिखित रूप से भू-स्वामी दस्तावेज एवं अन्य आवश्यक दस्तावेजों सहित प्रस्तुत करेंगे, उक्त समयावधि के भीतर अपना पक्ष प्रस्तुत नहीं किये जाने अथवा प्रस्तुत पक्ष तर्क संगत/सार्थक नहीं होने पर की स्थिति में यह मान लिया जावेगा कि आप उक्त कार्यवाही हेतु सहमत हैं।

सूचना जाने।

आयुक्त

नगर पालिक निगम
भिलाई

पृ.क्र./सात/दो/भ.अ./2025/615

भिलाई, दिनांक 29/05/2025

प्रतिलिपि :-

1. कलेक्टर, दुर्ग, जिला कार्यालय दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) को सादर सूचनार्थ।
2. पुलिस अधीक्षक, दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) को सादर सूचनार्थ।
3. जिला पंजीयक, पंजीयन कार्यालय दुर्ग, जिला- दुर्ग (छ.ग.) को सूचनार्थ।
4. अनुविभागीय अधिकारी (रा.), दुर्ग, जिला दुर्ग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
5. तहसीलदार, दुर्ग/अतिरिक्त तहसीलदार भिलाई नगर, जिला- दुर्ग (छ.ग.) को सूचनार्थ।
6. जोन आयुक्त, जोन क्रं. 02 वैशाली नगर, पालिक निगम, भिलाई को उपरोक्त स्थलों पर आवश्यक नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु प्रेषित।

आयुक्त

नगर पालिक निगम
भिलाई



कार्यालय, नगर पालिक निगम, भिलाई

आकाश गंगा, रुपेला, जी.ई.रोड, भिलाई, जिला-दुर्ग (छ.ग.) 490023,

ई-मेल : bhilai-nagar-nigam@cg.gov.in

क्रमांक/सात/दो/भ.अ./2025/616

भिलाई, दिनांक 29/05/2025

//नोटिस//

प्रति,

इंदिरा आ. श्री बुधरू राम
पता- ग्राम कानकोट तहसील पाटन
जिला-दुर्ग (छ.ग.)

विषय :- अवैध रूप से भूखण्डों का विक्रय किये जाने दुस्प्रेरण करने के संबंध में।
सन्दर्भ:- 1. कार्यालय मुख्यालय वरिष्ठ उप-पंजीयक दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) का पत्र क्रमांक/101/मु.व.उ.प./2025 दुर्ग, दिनांक 24.02.2025
2. कार्यालय मुख्यालय वरिष्ठ उप-पंजीयक दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) का पत्र क्रमांक/103/मु.व.उ.प./2025 दुर्ग, दिनांक 24.02.2025

*****0000*****

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है, कि नगर पालिक निगम, भिलाई क्षेत्रान्तर्गत आपके द्वारा अवैध प्लानिंग कार्य करने साक्ष्य के रूप में कार्यालय मुख्यालय वरिष्ठ उप पंजीयक दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) द्वारा संदर्भित पत्र क्रमांक (1) व (2) के माध्यम से आपके द्वारा अपने स्वामित्व की भूमि ग्राम-कुरुद खसरा क्रमांक 172/5 को अवैध रूप से छोटे भूखण्डों में विघटित कर विक्रय किया जाने की जानकारी/दस्तावेज प्राप्त हुए हैं। जो कि उक्त खसरो का अवैध रूप से छोटे भूखण्डों में विघटित कर विक्रय किये जाने को स्पष्ट करता है। यह कृत्य छ.ग. नगर पालिक निगम तथा नगर पालिका (कॉलोनाईजर का रजिस्ट्रीकरण निर्बाधन तथा शर्त) नियम 2013 व छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के प्रावधानों का उल्लंघन है, जिस हेतु छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के धारा 292(ग)(3) के अंतर्गत इस कृत्य हेतु कम से कम 03 वर्ष और अधिक से अधिक 07 वर्ष के कारावास से तथा न्यूनतम 01 लाख रु. के जुर्माना से दण्डित किये जाने का प्रावधान है।

अतः क्यों न आपके विरुद्ध भूमि के अवैध रूप से विखण्डन कर विक्रय करने एवं अवैध कॉलोनी के निर्माण करने का दुस्प्रेरण करने हेतु छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के धारा 292(ग)(3) के तहत कार्यवाही की जावे, इस संबंध में आप अपना पक्ष पत्र प्राप्ति के 15 दिवस के भीतर अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष उपस्थित होकर अथवा लिखित रूप से भू-स्वामी दस्तावेज एवं अन्य आवश्यक दस्तावेजों सहित प्रस्तुत करेंगे, उक्त समयावधि के भीतर अपना पक्ष प्रस्तुत नहीं किये जाने अथवा प्रस्तुत पक्ष तर्क संगत/सार्थक नहीं होने पर की स्थिति में यह मान लिया जावेगा कि आप उक्त कार्यवाही हेतु सहमत हैं।

सूचना जाने।

आयुक्त
नगर पालिक निगम
भिलाई

भिलाई, दिनांक 29/05/2025

पृ.क्र./सात/दो/भ.अ./2025/617

प्रतिलिपि :-

1. कलेक्टर, दुर्ग, जिला कार्यालय दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) को सादर सूचनार्थ।
2. पुलिस अधीक्षक, दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) को सादर सूचनार्थ।
3. जिला पंजीयक, पंजीयन कार्यालय दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) को सूचनार्थ।
4. अनुविभागीय अधिकारी (रा.), दुर्ग, जिला दुर्ग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
5. तहसीलदार, दुर्ग/अतिरिक्त तहसीलदार भिलाई नगर, जिला-दुर्ग (छ.ग.) को सूचनार्थ।
6. जोन आयुक्त, जोन क्रं. 02 वैशाली नगर, पालिक निगम, भिलाई को उपरोक्त स्थलों पर आवश्यक नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु प्रेषित।

आयुक्त
नगर पालिक निगम
भिलाई





कार्यालय, नगर पालिक निगम, भिलाई

आकाश गंगा, सुपेला, जी.ई.रोड, भिलाई, जिला-दुर्ग (छ.ग.) 490023,

ई-मेल : bhilai-nagar-nigam@cg.gov.in

क्रमांक/सात/दो/भ.अ./2025/618

भिलाई, दिनांक 29/05/2025

//नोटिस//

प्रति,

1. श्री डेरहा राम आ. श्री बुधरू राम
2. संतोषी आ. बुधरू राम
- पता- 464 वार्ड नं. 14 गड़रिया पुरानी
- कुरुद, जिला-दुर्ग (छ.ग.)

विषय :-

अवैध रूप से भूखण्डों का विक्रय किये जाने दुस्प्रेरण करने के संबंध में।

सन्दर्भ:-

1. कार्यालय मुख्यालय वरिष्ठ उप-पंजीयक दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) का पत्र क्रमांक/101/मु.व.उ.प./2025 दुर्ग, दिनांक 24.02.2025
2. कार्यालय मुख्यालय वरिष्ठ उप-पंजीयक दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) का पत्र क्रमांक/103/मु.व.उ.प./2025 दुर्ग, दिनांक 24.02.2025

-----0000-----

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है, कि नगर पालिक निगम, भिलाई क्षेत्रान्तर्गत आपके द्वारा अवैध प्लॉटिंग कार्य करने साक्ष्य के रूप में कार्यालय मुख्यालय वरिष्ठ उप पंजीयक दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) द्वारा संदर्भित पत्र क्रमांक (1) व (2) के माध्यम से आपके द्वारा अपने स्वामित्व की भूमि ग्राम-कुरुद खसरा क्रमांक 172/7 को अवैध रूप से छोटे भूखण्डों में विघटित कर विक्रय किया जाने की जानकारी/दस्तावेज प्राप्त हुए हैं। जो कि उक्त खसरों का अवैध रूप से छोटे भूखण्डों में विघटित कर विक्रय किये जाने को स्पष्ट करता है। यह कृत्य छ.ग. नगर पालिक निगम तथा नगर पालिका (कॉलोनाइजर का रजिस्ट्रीकरण निर्बाधन तथा शर्तों) नियम 2013 व छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के प्रावधानों का उल्लंघन है, जिस हेतु छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के धारा 292(ग)(3) के अंतर्गत इस कृत्य हेतु कम से कम 03 वर्ष और अधिक से अधिक 07 वर्ष के कारावास से तथा न्यूनतम 01 लाख रु. के जुर्माना से दण्डित किये जाने का प्रावधान है।

अतः क्यों न आपके विरुद्ध भूमि के अवैध रूप से विखण्डन कर विक्रय करने एवं अवैध कॉलोनी के निर्माण करने का दुस्प्रेरण करने हेतु छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के धारा 292(ग)(3) के तहत कार्यवाही की जावे, इस संबंध में आप अपना पक्ष पत्र प्राप्ति के 15 दिवस के भीतर अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष उपस्थित होकर अथवा लिखित रूप से भू-स्वामी दस्तावेज एवं अन्य आवश्यक दस्तावेजों सहित प्रस्तुत करेंगे, उक्त समयावधि के भीतर अपना पक्ष प्रस्तुत नहीं किये जाने अथवा प्रस्तुत पक्ष तर्क संगत/सार्थक नहीं होने पर की स्थिति में यह मान लिया जावेगा कि आप उक्त कार्यवाही हेतु सहमत हैं।

सूचना जाने।

आयुक्त

नगर पालिक निगम
भिलाई

पू.क्र./सात/दो/भ.अ./2025/619

भिलाई, दिनांक 29/05/2025

प्रतिलिपि :-

1. कलेक्टर, दुर्ग, जिला कार्यालय दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) को सादर सूचनार्थ।
2. पुलिस अधीक्षक, दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) को सादर सूचनार्थ।
3. जिला पंजीयक, पंजीयन कार्यालय दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) को सूचनार्थ।
4. अनुविभागीय अधिकारी (रा.), दुर्ग, जिला दुर्ग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
5. तहसीलदार, दुर्ग/अतिरिक्त तहसीलदार भिलाई नगर, जिला-दुर्ग (छ.ग.) को सूचनार्थ।
6. जोन आयुक्त, जोन क्रं. 02 वैशाली नगर, पालिक निगम, भिलाई को उपरोक्त स्थलों पर आवश्यक नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु प्रेषित।

आयुक्त

नगर पालिक निगम
भिलाई





कार्यालय, नगर पालिक निगम, भिलाई

आकाश गंगा, सुपेला, जी.ई.रोड, भिलाई, जिला-दुर्ग (छ.ग.) 490023,

ई-मेल : bhilai-nagar-nigam@cg.gov.in

क्रमांक/सात/दो/भ.अ./2025/620

भिलाई, दिनांक 29/05/2025

//नोटिस//

प्रति,

बेजबती साहू पिता श्री भागीरथी साहू
पता- 113 पुराना दुर्गा चौक पुरानी बस्ती
कुरुद, भिलाई, जिला-दुर्ग (छ.ग.)

विषय :-

अवैध रूप से भूखण्डों का विक्रय किये जाने दुस्प्रेरण करने के संबंध में।

सन्दर्भ:-

1. कार्यालय मुख्यालय वरिष्ठ उप-पंजीयक दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) का पत्र क्रमांक/101/मु.व.उ.प./2025 दुर्ग, दिनांक 24.02.2025
2. कार्यालय मुख्यालय वरिष्ठ उप-पंजीयक दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) का पत्र क्रमांक/103/मु.व.उ.प./2025 दुर्ग, दिनांक 24.02.2025

-----0000-----

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है, कि नगर पालिक निगम, भिलाई क्षेत्रान्तर्गत आपके द्वारा अवैध प्लानिंग कार्य करने साक्ष्य के रूप में कार्यालय मुख्यालय वरिष्ठ उप पंजीयक दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) द्वारा संदर्भित पत्र क्रमांक (1) व (2) के माध्यम से आपके द्वारा अपने स्वामित्व की भूमि ग्राम-कुरुद खसरा क्रमांक 485/1 को अवैध रूप से छोटे भूखण्डों में विघटित कर विक्रय किया जाने की जानकारी/दस्तावेज प्राप्त हुए हैं। जो कि उक्त खसरों का अवैध रूप से छोटे भूखण्डों में विघटित कर विक्रय किये जाने को स्पष्ट करता है। यह कृत्य छ.ग. नगर पालिक निगम तथा नगर पालिका (कॉलोनाईजर का रजिस्ट्रीकरण निर्बाधन तथा शर्तों) नियम 2013 व छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के प्रावधानों का उल्लंघन है, जिस हेतु छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के धारा 292(ग)(3) के अंतर्गत इस कृत्य हेतु कम से कम 03 वर्ष और अधिक से अधिक 07 वर्ष के कारावास से तथा न्यूनतम 01 लाख रु. के जुर्माना से दण्डित किये जाने का प्रावधान है।

अतः क्यों न आपके विरुद्ध भूमि के अवैध रूप से विखण्डन कर विक्रय करने एवं अवैध कॉलोनी के निर्माण करने का दुस्प्रेरण करने हेतु छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के धारा 292(ग)(3) के तहत कार्यवाही की जावे, इस संबंध में आप अपना पक्ष पत्र प्राप्ति के 15 दिवस के भीतर अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष उपस्थित होकर अथवा लिखित रूप से भू-स्वामी दस्तावेज एवं अन्य आवश्यक दस्तावेजों सहित प्रस्तुत करेंगे, उक्त समयावधि के भीतर अपना पक्ष प्रस्तुत नहीं किये जाने अथवा प्रस्तुत पक्ष तर्क संगत/सार्थक नहीं होने पर की स्थिति में यह मान लिया जावेगा कि आप उक्त कार्यवाही हेतु सहमत हैं।

सूचना जाने।

आयुक्त

नगर पालिक निगम
भिलाई

भिलाई, दिनांक 29/05/2025

पृ.क्र./सात/दो/भ.अ./2025/621

प्रतिलिपि :-

1. कलेक्टर, दुर्ग, जिला कार्यालय दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) को सादर सूचनार्थ।
2. पुलिस अधीक्षक, दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) को सादर सूचनार्थ।
3. जिला पंजीयक, पंजीयन कार्यालय दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) को सूचनार्थ।
4. अनुविभागीय अधिकारी (रा.), दुर्ग, जिला दुर्ग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
5. तहसीलदार, दुर्ग/अतिरिक्त तहसीलदार भिलाई नगर, जिला-दुर्ग (छ.ग.) को सूचनार्थ।
6. जोन आयुक्त, जोन क्रं. 02 वैशाली नगर, पालिक निगम, भिलाई को उपरोक्त स्थलों पर आवश्यक नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु प्रेषित।

आयुक्त

नगर पालिक निगम
भिलाई





कार्यालय, नगर पालिक निगम, भिलाई

आकाश गंगा, सुपेला, जी.ई.रोड, भिलाई, जिला-दुर्ग (छ.ग.) 490023,

ई-मेल : bhilai-nagar-nigam@cg.gov.in

क्रमांक/सात/दो/भ.अ./2025/622

भिलाई, दिनांक 29/05/2025

//नोटिस//

प्रति,

श्री महावीर प्रसाद जैन आ. लादूलाल जैन
पता- सड़क नं. 18 स्मृति नगर, मोतीलाल
नेहरू नगर, भिलाई, जिला-दुर्ग (छ.ग.)

विषय :-

अवैध रूप से भूखण्डों का विक्रय किये जाने दुस्प्रेरण करने के संबंध में।

सन्दर्भ:-

1. कार्यालय मुख्यालय वरिष्ठ उप-पंजीयक दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) का पत्र क्रमांक/101/मु.व.उ.प./2025 दुर्ग, दिनांक 24.02.2025
2. कार्यालय मुख्यालय वरिष्ठ उप-पंजीयक दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) का पत्र क्रमांक/103/मु.व.उ.प./2025 दुर्ग, दिनांक 24.02.2025

-----0000-----

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है, कि नगर पालिक निगम, भिलाई क्षेत्रान्तर्गत आपके द्वारा अवैध प्लानिंग कार्य करने साक्ष्य के रूप में कार्यालय मुख्यालय वरिष्ठ उप पंजीयक दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) द्वारा संदर्भित पत्र क्रमांक (1) व (2) के माध्यम से आपके द्वारा अपने स्वामित्व की भूमि ग्राम-कुरुद खसरा क्रमांक 1332/13 को अवैध रूप से छोटे भूखण्डों में विघटित कर विक्रय किया जाने की जानकारी/दस्तावेज प्राप्त हुए हैं। जो कि उक्त खसराओं का अवैध रूप से छोटे भूखण्डों में विघटित कर विक्रय किये जाने को स्पष्ट करता है। यह कृत्य छ.ग. नगर पालिक निगम तथा नगर पालिका (कॉलोनाईजर का रजिस्ट्रीकरण निर्बाधन तथा शर्तों) नियम 2013 व छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के प्रावधानों का उल्लंघन है, जिस हेतु छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के धारा 292(ग)(3) के अंतर्गत इस कृत्य हेतु कम से कम 03 वर्ष और अधिक से अधिक 07 वर्ष के कारावास से तथा न्यूनतम 01 लाख रु. के जुर्माना से दण्डित किये जाने का प्रावधान है।

अतः क्यों न आपके विरुद्ध भूमि के अवैध रूप से विखण्डन कर विक्रय करने एवं अवैध कॉलोनी के निर्माण करने का दुस्प्रेरण करने हेतु छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के धारा 292(ग)(3) के तहत कार्यवाही की जावे, इस संबंध में आप अपना पक्ष पत्र प्राप्ति के 15 दिवस के भीतर अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष उपस्थित होकर अथवा लिखित रूप से भू-स्वामी दस्तावेज एवं अन्य आवश्यक दस्तावेजों सहित प्रस्तुत करेंगे, उक्त समयावधि के भीतर अपना पक्ष प्रस्तुत नहीं किये जाने अथवा प्रस्तुत पक्ष तर्क संगत/सार्थक नहीं होने पर की स्थिति में यह मान लिया जावेगा कि आप उक्त कार्यवाही हेतु सहमत हैं।

सूचना जाने।

आयुक्त

नगर पालिक निगम

भिलाई

पृ.क्र./सात/दो/भ.अ./2025/623

भिलाई, दिनांक 29/05/2025

प्रतिलिपि :-

1. कलेक्टर, दुर्ग, जिला कार्यालय दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) को सादर सूचनार्थ।
2. पुलिस अधीक्षक, दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) को सादर सूचनार्थ।
3. जिला पंजीयक, पंजीयन कार्यालय दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) को सूचनार्थ।
4. अनुविभागीय अधिकारी (रा.), दुर्ग, जिला दुर्ग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
5. तहसीलदार, दुर्ग/अतिरिक्त तहसीलदार भिलाई नगर, जिला-दुर्ग (छ.ग.) को सूचनार्थ।
6. जोन आयुक्त, जोन क्रं. 02 वैशाली नगर, पालिक निगम, भिलाई को उपरोक्त स्थलों पर आवश्यक नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु प्रेषित।

आयुक्त

नगर पालिक निगम

भिलाई





कार्यालय, नगर पालिक निगम, भिलाई

आकाश गंगा, सुपेला, जी.ई.रोड, भिलाई, जिला-दुर्ग (छ.ग.) 490023,

ई-मेल : bhilai-nagar-nigam@cg.gov.in

क्रमांक/सात/दो/भ.अ./2025/624

भिलाई, दिनांक 29/05/2025

//नोटिस//

प्रति,

1. श्री सुरेश कुमार यादव आ. रामजीत यादव
 2. श्री शिवम कुमार यादव आ. रामजीत यादव
- पता- प्लॉट नं. 22/6, फेस-6, कृष्णा टॉकीज रोड
मैत्री नगर, रिसाली, जिला-दुर्ग (छ.ग.)

विषय :- अवैध रूप से भूखण्डों का विक्रय किये जाने दुस्प्रेरण करने के संबंध में।

सन्दर्भ:- 1. कार्यालय मुख्यालय वरिष्ठ उप-पंजीयक दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) का पत्र क्रमांक/101/मु.व.उ.प./2025 दुर्ग, दिनांक 24.02.2025
2. कार्यालय मुख्यालय वरिष्ठ उप-पंजीयक दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) का पत्र क्रमांक/103/मु.व.उ.प./2025 दुर्ग, दिनांक 24.02.2025

-----0000-----

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है, कि नगर पालिक निगम, भिलाई क्षेत्रान्तर्गत आपके द्वारा अवैध प्लॉटिंग कार्य करने साक्ष्य के रूप में कार्यालय मुख्यालय वरिष्ठ उप पंजीयक दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) द्वारा संदर्भित पत्र क्रमांक (1) व (2) के माध्यम से आपके द्वारा अपने स्वामित्व की भूमि ग्राम-कुरुद खसरा क्रमांक 453/1, 455/4 को अवैध रूप से छोटे भूखण्डों में विघटित कर विक्रय किया जाने की जानकारी/दस्तावेज प्राप्त हुए हैं। जो कि उक्त खसरा को अवैध रूप से छोटे भूखण्डों में विघटित कर विक्रय किये जाने को स्पष्ट करता है। यह कृत्य छ.ग. नगर पालिक निगम तथा नगर पालिका (कॉलोनाईजर का रजिस्ट्रीकरण निर्वाधन तथा शर्तें) नियम 2013 व छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के प्रावधानों का उल्लंघन है, जिस हेतु छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के धारा 292(ग)(3) के अंतर्गत इस कृत्य हेतु कम से कम 03 वर्ष और अधिक से अधिक 07 वर्ष के कारावास से तथा न्यूनतम 01 लाख रु. के जुर्माना से दण्डित किये जाने का प्रावधान है।

अतः क्यों न आपके विरुद्ध भूमि के अवैध रूप से विखण्डन कर विक्रय करने एवं अवैध कॉलोनी के निर्माण करने का दुस्प्रेरण करने हेतु छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के धारा 292(ग)(3) के तहत कार्यवाही की जावे, इस संबंध में आप अपना पक्ष पत्र प्राप्ति के 15 दिवस के भीतर अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष उपस्थित होकर अथवा लिखित रूप से भू-स्वामी दस्तावेज एवं अन्य आवश्यक दस्तावेजों सहित प्रस्तुत करेंगे, उक्त समयावधि के भीतर अपना पक्ष प्रस्तुत नहीं किये जाने अथवा प्रस्तुत पक्ष तर्क संगत/सार्थक नहीं होने पर की स्थिति में यह मान लिया जावेगा कि आप उक्त कार्यवाही हेतु सहमत हैं।

सूचना जाने।

आयुक्त

नगर पालिक निगम
भिलाई

भिलाई, दिनांक 29/05/2025

पू.क्र./सात/दो/भ.अ./2025/625

प्रतिलिपि :-

1. कलेक्टर, दुर्ग, जिला कार्यालय दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) को सादर सूचनार्थ।
2. पुलिस अधीक्षक, दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) को सादर सूचनार्थ।
3. जिला पंजीयक, पंजीयन कार्यालय दुर्ग, जिला- दुर्ग (छ.ग.) को सूचनार्थ।
4. अनुविभागीय अधिकारी (रा.), दुर्ग, जिला दुर्ग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
5. तहसीलदार, दुर्ग/अतिरिक्त तहसीलदार भिलाई नगर, जिला- दुर्ग (छ.ग.) को सूचनार्थ।
6. जोन आयुक्त, जोन क्रं. 02 वैशाली नगर, पालिक निगम, भिलाई को उपरोक्त स्थलों पर आवश्यक नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु प्रेषित।

आयुक्त

नगर पालिक निगम
भिलाई





कार्यालय, नगर पालिक निगम, भिलाई

आकाश गंगा, सुपेला, जी.ई.रोड, भिलाई, जिला-दुर्ग (छ.ग.) 490023,

ई-मेल : bhilai-nagar-nigam@cg.gov.in

क्रमांक/सात/दो/भ.अ./2025/626

भिलाई, दिनांक 29/05/2025

//नोटिस//

प्रति,

श्री छक्कू सिंह यादव आ. महादेव सिंह
पता- 304 फौजी नगर औद्योगिक क्षेत्र
भिलाई, जिला-दुर्ग (छ.ग.)

विषय :-
सन्दर्भ:-

- अवैध रूप से भूखण्डों का विक्रय किये जाने दुस्प्रेरण करने के संबंध में।
1. कार्यालय मुख्यालय वरिष्ठ उप-पंजीयक दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) का पत्र क्रमांक/101/मु.व.उ.प./2025 दुर्ग, दिनांक 24.02.2025
 2. कार्यालय मुख्यालय वरिष्ठ उप-पंजीयक दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) का पत्र क्रमांक/103/मु.व.उ.प./2025 दुर्ग, दिनांक 24.02.2025

-----0000-----

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है, कि नगर पालिक निगम, भिलाई क्षेत्रान्तर्गत आपके द्वारा अवैध प्लानिंग कार्य करने साक्ष्य के रूप में कार्यालय मुख्यालय वरिष्ठ उप पंजीयक दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) द्वारा संदर्भित पत्र क्रमांक (1) व (2) के माध्यम से आपके द्वारा अपने स्वामित्व की भूमि ग्राम-कुरुद खसरा क्रमांक 1332/43, 1332/44 को अवैध रूप से छोटे भूखण्डों में विघटित कर विक्रय किया जाने की जानकारी/दस्तावेज प्राप्त हुए हैं। जो कि उक्त खसरों का अवैध रूप से छोटे भूखण्डों में विघटित कर विक्रय किये जाने को स्पष्ट करता है। यह कृत्य छ.ग. नगर पालिक निगम तथा नगर पालिका (कॉलोनाईजर का रजिस्ट्रीकरण निर्बाधन तथा शर्तें) नियम 2013 व छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के प्रावधानों का उल्लंघन है, जिस हेतु छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के धारा 292(ग)(3) के अंतर्गत इस कृत्य हेतु कम से कम 03 वर्ष और अधिक से अधिक 07 वर्ष के कारावास से तथा न्यूनतम 01 लाख रु. के जुर्माना से दण्डित किये जाने का प्रावधान है।

अतः क्यों न आपके विरुद्ध भूमि के अवैध रूप से विखण्डन कर विक्रय करने एवं अवैध कॉलोनी के निर्माण करने का दुस्प्रेरण करने हेतु छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के धारा 292(ग)(3) के तहत कार्यवाही की जावे, इस संबंध में आप अपना पक्ष पत्र प्राप्ति के 15 दिवस के भीतर अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष उपस्थित होकर अथवा लिखित रूप से भू-स्वामी दस्तावेज एवं अन्य आवश्यक दस्तावेजों सहित प्रस्तुत करेंगे, उक्त समयावधि के भीतर अपना पक्ष प्रस्तुत नहीं किये जाने अथवा प्रस्तुत पक्ष तर्क संगत/सार्थक नहीं होने पर की स्थिति में यह मान लिया जावेगा कि आप उक्त कार्यवाही हेतु सहमत हैं।

सूचना जाने।

आयुक्त

नगर पालिक निगम

भिलाई

पृ.क्र./सात/दो/भ.अ./2025/627

भिलाई, दिनांक 29/05/2025

प्रतिलिपि :-

1. कलेक्टर, दुर्ग, जिला कार्यालय दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) को सादर सूचनार्थ।
2. पुलिस अधीक्षक, दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) को सादर सूचनार्थ।
3. जिला पंजीयक, पंजीयन कार्यालय दुर्ग, जिला- दुर्ग (छ.ग.) को सूचनार्थ।
4. अनुविभागीय अधिकारी (रा.), दुर्ग, जिला दुर्ग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
5. तहसीलदार, दुर्ग/अतिरिक्त तहसीलदार भिलाई नगर, जिला- दुर्ग (छ.ग.) को सूचनार्थ।
6. जोन आयुक्त, जोन क्रं. 02 वैशाली नगर, पालिक निगम, भिलाई को उपरोक्त स्थलों पर आवश्यक नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु प्रेषित।

आयुक्त

नगर पालिक निगम

भिलाई





कार्यालय, नगर पालिक निगम, भिलाई

आकाश गंगा, सुपेला, जी.ई.रोड, भिलाई, जिला-दुर्ग (छ.ग.) 490023,

ई-मेल : bhilai-nagar-nigam@cg.gov.in

क्रमांक/सात/दो/भ.अ./2025/628

भिलाई, दिनांक 29/05/2025

//नोटिस//

प्रति,

श्री हिमांशु मिश्रा आ. अवधेश मिश्रा

पता- 36 आजाद चौक, राम नगर

सुपेला, भिलाई, जिला-दुर्ग (छ.ग.)

विषय :-

अवैध रूप से भूखण्डों का विक्रय किये जाने दुस्प्रेरण करने के संबंध में।

सन्दर्भ:-

1. कार्यालय मुख्यालय वरिष्ठ उप-पंजीयक दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) का पत्र

क्रमांक/101/मु.व.उ.प./2025 दुर्ग, दिनांक 24.02.2025

2. कार्यालय मुख्यालय वरिष्ठ उप-पंजीयक दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) का पत्र

क्रमांक/103/मु.व.उ.प./2025 दुर्ग, दिनांक 24.02.2025

-----0000-----

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है, कि नगर पालिक निगम, भिलाई क्षेत्रान्तर्गत आपके द्वारा अवैध प्लानिंग कार्य करने साक्ष्य के रूप में कार्यालय मुख्यालय वरिष्ठ उप पंजीयक दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) द्वारा संदर्भित पत्र क्रमांक (1) व (2) के माध्यम से आपके द्वारा अपने स्वामित्व की भूमि ग्राम-कुरुद खसरा क्रमांक 1332/118 को अवैध रूप से छोटे भूखण्डों में विघटित कर विक्रय किया जाने की जानकारी/दस्तावेज प्राप्त हुए हैं। जो कि उक्त खसरों का अवैध रूप से छोटे भूखण्डों में विघटित कर विक्रय किये जाने को स्पष्ट करता है। यह कृत्य छ.ग. नगर पालिक निगम तथा नगर पालिका (कॉलोनाईजर का रजिस्ट्रीकरण निर्बाधन तथा शर्तें) नियम 2013 व छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के प्रावधानों का उल्लंघन है, जिस हेतु छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के धारा 292(ग)(3) के अंतर्गत इस कृत्य हेतु कम से कम 03 वर्ष और अधिक से अधिक 07 वर्ष के कारावास से तथा न्यूनतम 01 लाख रु. के जुर्माना से दण्डित किये जाने का प्रावधान है।

अतः क्यों न आपके विरुद्ध भूमि के अवैध रूप से विखण्डन कर विक्रय करने एवं अवैध कॉलोनी के निर्माण करने का दुस्प्रेरण करने हेतु छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के धारा 292(ग)(3) के तहत कार्यवाही की जावे, इस संबंध में आप अपना पक्ष पत्र प्राप्ति के 15 दिवस के भीतर अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष उपस्थित होकर अथवा लिखित रूप से भू-स्वामी दस्तावेज एवं अन्य आवश्यक दस्तावेजों सहित प्रस्तुत करेंगे, उक्त समयवाधि के भीतर अपना पक्ष प्रस्तुत नहीं किये जाने अथवा प्रस्तुत पक्ष तर्क संगत/सार्थक नहीं होने पर की स्थिति में यह मान लिया जावेगा कि आप उक्त कार्यवाही हेतु सहमत हैं।

सूचना जाने।

आयुक्त

नगर पालिक निगम

भिलाई

भिलाई, दिनांक 29/05/2025

पृ.क्र./सात/दो/भ.अ./2025/629

प्रतिलिपि :-

1. कलेक्टर, दुर्ग, जिला कार्यालय दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) को सादर सूचनार्थ।
2. पुलिस अधीक्षक, दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) को सादर सूचनार्थ।
3. जिला पंजीयक, पंजीयन कार्यालय दुर्ग, जिला- दुर्ग (छ.ग.) को सूचनार्थ।
4. अनुविभागीय अधिकारी (रा.), दुर्ग, जिला दुर्ग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
5. तहसीलदार, दुर्ग/अतिरिक्त तहसीलदार भिलाई नगर, जिला- दुर्ग (छ.ग.) को सूचनार्थ।
6. जोन आयुक्त, जोन क्रं. 02 वैशाली नगर, पालिक निगम, भिलाई को उपरोक्त स्थलों पर आवश्यक नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु प्रेषित।

आयुक्त

नगर पालिक निगम

भिलाई





कार्यालय, नगर पालिक निगम, भिलाई

आकाश गंगा, सुपेला, जी.ई.रोड, भिलाई, जिला-दुर्ग (छ.ग.) 490023,

ई-मेल : bhilai-nagar-nigam@cg.gov.in

क्रमांक/सात/दो/भ.अ./2025/630

भिलाई, दिनांक 9/05/2025

//नोटिस//

प्रति,

1. श्री पारस जैन आ. महावरी जैन
 2. खुशबू जैन आ. पारस जैन
- पता- सड़क नं. 18 स्मृति नगर, मोतीलाल
नेहरू नगर, भिलाई, जिला-दुर्ग (छ.ग.)

विषय :-

सन्दर्भ:-

अवैध रूप से भूखण्डों का विक्रय किये जाने दुस्प्रेरण करने के संबंध में।

1. कार्यालय मुख्यालय वरिष्ठ उप-पंजीयक दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) का पत्र क्रमांक/101/मु.व.उ.प./2025 दुर्ग, दिनांक 24.02.2025
2. कार्यालय मुख्यालय वरिष्ठ उप-पंजीयक दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) का पत्र क्रमांक/103/मु.व.उ.प./2025 दुर्ग, दिनांक 24.02.2025

*****0000*****

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है, कि नगर पालिक निगम, भिलाई क्षेत्रान्तर्गत आपके द्वारा अवैध प्लॉटिंग कार्य करने साक्ष्य के रूप में कार्यालय मुख्यालय वरिष्ठ उप पंजीयक दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) द्वारा संदर्भित पत्र क्रमांक (1) व (2) के माध्यम से आपके द्वारा अपने स्वामित्व की भूमि ग्राम-कुरुद खसरा क्रमांक 1332/23 को अवैध रूप से छोटे भूखण्डों में विघटित कर विक्रय किया जाने की जानकारी/दस्तावेज प्राप्त हुए हैं। जो कि उक्त खसराओं का अवैध रूप से छोटे भूखण्डों में विघटित कर विक्रय किये जाने को स्पष्ट करता है। यह कृत्य छ.ग. नगर पालिक निगम तथा नगर पालिका (कॉलोनाईजर का रजिस्ट्रीकरण निर्बाधन तथा शर्तों) नियम 2013 व छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के प्रावधानों का उल्लंघन है, जिस हेतु छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के धारा 292(ग)(3) के अंतर्गत इस कृत्य हेतु कम से कम 03 वर्ष और अधिक से अधिक 07 वर्ष के कारावास से तथा न्यूनतम 01 लाख रु. के जुर्माना से दण्डित किये जाने का प्रावधान है।

अतः क्यों न आपके विरुद्ध भूमि के अवैध रूप से विखण्डन कर विक्रय करने एवं अवैध कॉलोनी के निर्माण करने का दुस्प्रेरण करने हेतु छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के धारा 292(ग)(3) के तहत कार्यवाही की जावे, इस संबंध में आप अपना पक्ष पत्र प्राप्ति के 15 दिवस के भीतर अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष उपस्थित होकर अथवा लिखित रूप से भू-स्वामी दस्तावेज एवं अन्य आवश्यक दस्तावेजों सहित प्रस्तुत करेंगे, उक्त समयावधि के भीतर अपना पक्ष प्रस्तुत नहीं किये जाने अथवा प्रस्तुत पक्ष तर्क संगत/सार्थक नहीं होने पर की स्थिति में यह मान लिया जावेगा कि आप उक्त कार्यवाही हेतु सहमत हैं।

सूचना जाने।

आयुक्त

नगर पालिक निगम
भिलाई

भिलाई, दिनांक 29/05/2025

पृ.क्र./सात/दो/भ.अ./2025/631

प्रतिलिपि :-

1. कलेक्टर, दुर्ग, जिला कार्यालय दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) को सादर सूचनार्थ।
2. पुलिस अधीक्षक, दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) को सादर सूचनार्थ।
3. जिला पंजीयक, पंजीयन कार्यालय दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) को सूचनार्थ।
4. अनुविभागीय अधिकारी (रा.), दुर्ग, जिला दुर्ग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
5. तहसीलदार, दुर्ग/अतिरिक्त तहसीलदार भिलाई नगर, जिला-दुर्ग (छ.ग.) को सूचनार्थ।
6. जोन आयुक्त, जोन क्रं. 02 वैशाली नगर, पालिक निगम, भिलाई को उपरोक्त स्थलों पर आवश्यक नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु प्रेषित।

आयुक्त

नगर पालिक निगम
भिलाई





कार्यालय, नगर पालिक निगम, भिलाई

आकाश गंगा, सुपेला, जी.ई.रोड, भिलाई, जिला-दुर्ग (छ.ग.) 490023,

ई-मेल : bhilai-nagar-nigam@cg.gov.in

क्रमांक/सात/दो/भ.अ./2025/632

भिलाई, दिनांक 29/05/2025

//नोटिस//

प्रति,

श्रीमती अनीता साव पति श्री प्रवीण कुमार
पता- जोन-02, वार्ड नं. 30, सेक्टर-11
खुर्सीपार, भिलाई, जिला-दुर्ग (छ.ग.)

विषय :-
सन्दर्भ:-

- अवैध रूप से भूखण्डों का विक्रय किये जाने दुस्प्रेरण करने के संबंध में।
1. कार्यालय मुख्यालय वरिष्ठ उप-पंजीयक दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) का पत्र क्रमांक/101/मु.व.उ.प./2025 दुर्ग, दिनांक 24.02.2025
 2. कार्यालय मुख्यालय वरिष्ठ उप-पंजीयक दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) का पत्र क्रमांक/103/मु.व.उ.प./2025 दुर्ग, दिनांक 24.02.2025

-----0000-----

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है, कि नगर पालिक निगम, भिलाई क्षेत्रान्तर्गत आपके द्वारा अवैध प्लानिंग कार्य करने साक्ष्य के रूप में कार्यालय मुख्यालय वरिष्ठ उप पंजीयक दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) द्वारा संदर्भित पत्र क्रमांक (1) व (2) के माध्यम से आपके द्वारा अपने स्वामित्व की भूमि ग्राम-कुरुद खसरा क्रमांक 1000/17 को अवैध रूप से छोटे भूखण्डों में विघटित कर विक्रय किया जाने की जानकारी/दस्तावेज प्राप्त हुए हैं। जो कि उक्त खसराओं का अवैध रूप से छोटे भूखण्डों में विघटित कर विक्रय किये जाने को स्पष्ट करता है। यह कृत्य छ.ग. नगर पालिक निगम तथा नगर पालिका (कॉलोनाईजर का रजिस्ट्रीकरण निर्बाधन तथा शर्तों) नियम 2013 व छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के प्रावधानों का उल्लंघन है, जिस हेतु छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के धारा 292(ग)(3) के अंतर्गत इस कृत्य हेतु कम से कम 03 वर्ष और अधिक से अधिक 07 वर्ष के कारावास से तथा न्यूनतम 01 लाख रु. के जुर्माना से दण्डित किये जाने का प्रावधान है।

अतः क्यों न आपके विरुद्ध भूमि के अवैध रूप से विखण्डन कर विक्रय करने एवं अवैध कॉलोनी के निर्माण करने का दुस्प्रेरण करने हेतु छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के धारा 292(ग)(3) के तहत कार्यवाही की जावे, इस संबंध में आप अपना पक्ष पत्र प्राप्ति के 15 दिवस के भीतर अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष उपस्थित होकर अथवा लिखित रूप से भू-स्वामी दस्तावेज एवं अन्य आवश्यक दस्तावेजों सहित प्रस्तुत करेंगे, उक्त समयावधि के भीतर अपना पक्ष प्रस्तुत नहीं किये जाने अथवा प्रस्तुत पक्ष तर्क संगत/सार्थक नहीं होने पर की स्थिति में यह मान लिया जावेगा कि आप उक्त कार्यवाही हेतु सहमत हैं।

सूचना जाने।

आयुक्त

नगर पालिक निगम
भिलाई

भिलाई, दिनांक 29/05/2025

पृ.क्र./सात/दो/भ.अ./2025/633

प्रतिलिपि :-

1. कलेक्टर, दुर्ग, जिला कार्यालय दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) को सादर सूचनार्थ।
2. पुलिस अधीक्षक, दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) को सादर सूचनार्थ।
3. जिला पंजीयक, पंजीयन कार्यालय दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) को सूचनार्थ।
4. अनुविभागीय अधिकारी (रा.), दुर्ग, जिला दुर्ग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
5. तहसीलदार, दुर्ग/अतिरिक्त तहसीलदार भिलाई नगर, जिला-दुर्ग (छ.ग.) को सूचनार्थ।
6. जोन आयुक्त, जोन क्रं. 02 वैशाली नगर, पालिक निगम, भिलाई को उपरोक्त स्थलों पर आवश्यक नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु प्रेषित।

आयुक्त

नगर पालिक निगम
भिलाई





कार्यालय, नगर पालिक निगम, भिलाई

आकाश गंगा, सुपेला, जी.ई.रोड, भिलाई, जिला-दुर्ग (छ.ग.) 490023,

ई-मेल : bhilai-nagar-nigam@cg.gov.in

क्रमांक/सात/दो/भ.अ./2025/634

भिलाई, दिनांक 29/05/2025

//नोटिस//

प्रति,

श्री भेखराम साहू आ. जगताराम साहू
पता- 202/क वार्ड नं. 8 हनुमान मंदिर के पीछे
टाटा लाईन कोहका, भिलाई

विषय :-

अवैध रूप से भूखण्डों का विक्रय किये जाने दुस्प्रेरण करने के संबंध में।

सन्दर्भ:-

1. कार्यालय मुख्यालय वरिष्ठ उप-पंजीयक दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) का पत्र क्रमांक/101/मु.व.उ.प./2025 दुर्ग, दिनांक 24.02.2025
2. कार्यालय मुख्यालय वरिष्ठ उप-पंजीयक दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) का पत्र क्रमांक/103/मु.व.उ.प./2025 दुर्ग, दिनांक 24.02.2025

*****0000*****

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है, कि नगर पालिक निगम, भिलाई क्षेत्रान्तर्गत आपके द्वारा अवैध प्लॉटिंग कार्य करने साक्ष्य के रूप में कार्यालय मुख्यालय वरिष्ठ उप पंजीयक दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) द्वारा संदर्भित पत्र क्रमांक (1) व (2) के माध्यम से आपके द्वारा अपने स्वामित्व की भूमि ग्राम-कुरुद खसरा क्रमांक 1003/53 को अवैध रूप से छोटे भूखण्डों में विघटित कर विक्रय किया जाने की जानकारी/दस्तावेज प्राप्त हुए हैं। जो कि उक्त खसराओं का अवैध रूप से छोटे भूखण्डों में विघटित कर विक्रय किये जाने को स्पष्ट करता है। यह कृत्य छ.ग. नगर पालिक निगम तथा नगर पालिका (कॉलोनाईजर का रजिस्ट्रीकरण निर्बाधन तथा शर्तें) नियम 2013 व छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के प्रावधानों का उल्लंघन है, जिस हेतु छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के धारा 292(ग)(3) के अंतर्गत इस कृत्य हेतु कम से कम 03 वर्ष और अधिक से अधिक 07 वर्ष के कारावास से तथा न्यूनतम 01 लाख रु. के जुर्माना से दण्डित किये जाने का प्रावधान है।

अतः क्यों न आपके विरुद्ध भूमि के अवैध रूप से विखण्डन कर विक्रय करने एवं अवैध कॉलोनी के निर्माण करने का दुस्प्रेरण करने हेतु छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के धारा 292(ग)(3) के तहत कार्यवाही की जावे, इस संबंध में आप अपना पक्ष पत्र प्राप्ति के 15 दिवस के भीतर अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष उपस्थित होकर अथवा लिखित रूप से भू-स्वामी दस्तावेज एवं अन्य आवश्यक दस्तावेजों सहित प्रस्तुत करेंगे, उक्त समयावधि के भीतर अपना पक्ष प्रस्तुत नहीं किये जाने अथवा प्रस्तुत पक्ष तर्क संगत/सार्थक नहीं होने पर की स्थिति में यह मान लिया जावेगा कि आप उक्त कार्यवाही हेतु सहमत हैं।

सूचना जाने।

आयुक्त

नगर पालिक निगम
भिलाई

पृ.क्र./सात/दो/भ.अ./2025/635

भिलाई, दिनांक 29/05/2025

प्रतिलिपि :-

1. कलेक्टर, दुर्ग, जिला कार्यालय दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) को सादर सूचनार्थ।
2. पुलिस अधीक्षक, दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) को सादर सूचनार्थ।
3. जिला पंजीयक, पंजीयन कार्यालय दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) को सूचनार्थ।
4. अनुविभागीय अधिकारी (रा.), दुर्ग, जिला दुर्ग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
5. तहसीलदार, दुर्ग/अतिरिक्त तहसीलदार भिलाई नगर, जिला-दुर्ग (छ.ग.) को सूचनार्थ।
6. जोन आयुक्त, जोन क्रं. 02 वैशाली नगर, पालिक निगम, भिलाई को उपरोक्त स्थलों पर आवश्यक नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु प्रेषित।

आयुक्त

नगर पालिक निगम
भिलाई





कार्यालय, नगर पालिक निगम, भिलाई

आकाश गंगा, सुपेला, जी.ई.रोड, भिलाई, जिला-दुर्ग (छ.ग.) 490023,

ई-मेल : bhilai-nagar-nigam@cg.gov.in

क्रमांक/सात/दो/भ.अ./2025/636

भिलाई, दिनांक 29/05/2025

//नोटिस//

प्रति,

1. श्री गोपाल देवांगन आ.स्व. धनश्याम
 2. श्री ओमकार आ. गजाधर
 3. श्री नेमूलाल आ. गजाधर
- पता- पुरानी बस्ती वार्ड नं. 16 कुरुद, भिलाई

विषय :-

सन्दर्भ:-

अवैध रूप से भूखण्डों का विक्रय किये जाने दुस्प्रेरण करने के संबंध में।

1. कार्यालय मुख्यालय वरिष्ठ उप-पंजीयक दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) का पत्र क्रमांक/101/मु.व.उ.प./2025 दुर्ग, दिनांक 24.02.2025
2. कार्यालय मुख्यालय वरिष्ठ उप-पंजीयक दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) का पत्र क्रमांक/103/मु.व.उ.प./2025 दुर्ग, दिनांक 24.02.2025

*****0000*****

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है, कि नगर पालिक निगम, भिलाई क्षेत्रान्तर्गत आपके द्वारा अवैध प्लानिंग कार्य करने साक्ष्य के रूप में कार्यालय मुख्यालय वरिष्ठ उप पंजीयक दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) द्वारा संदर्भित पत्र क्रमांक (1) व (2) के माध्यम से आपके द्वारा अपने स्वामित्व की भूमि ग्राम-कुरुद खसरा क्रमांक 896/1 को अवैध रूप से छोटे भूखण्डों में विघटित कर विक्रय किया जाने की जानकारी/दस्तावेज प्राप्त हुए हैं। जो कि उक्त खसरों का अवैध रूप से छोटे भूखण्डों में विघटित कर विक्रय किये जाने को स्पष्ट करता है। यह कृत्य छ.ग. नगर पालिक निगम तथा नगर पालिका (कॉलोनाईजर का रजिस्ट्रीकरण निर्बाधन तथा शर्त) नियम 2013 व छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के प्रावधानों का उल्लंघन है, जिस हेतु छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के धारा 292(ग)(3) के अंतर्गत इस कृत्य हेतु कम से कम 03 वर्ष और अधिक से अधिक 07 वर्ष के कारावास से तथा न्यूनतम 01 लाख रु. के जुर्माना से दण्डित किये जाने का प्रावधान है।

अतः क्यों न आपके विरुद्ध भूमि के अवैध रूप से विखण्डन कर विक्रय करने एवं अवैध कॉलोनी के निर्माण करने का दुस्प्रेरण करने हेतु छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के धारा 292(ग)(3) के तहत कार्यवाही की जावे, इस संबंध में आप अपना पक्ष पत्र प्राप्ति के 15 दिवस के भीतर अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष उपस्थित होकर अथवा लिखित रूप से भू-स्वामी दस्तावेज एवं अन्य आवश्यक दस्तावेजों सहित प्रस्तुत करेंगे, उक्त समयावधि के भीतर अपना पक्ष प्रस्तुत नहीं किये जाने अथवा प्रस्तुत पक्ष तर्क संगत/सार्थक नहीं होने पर की स्थिति में यह मान लिया जावेगा कि आप उक्त कार्यवाही हेतु सहमत हैं।

सूचना जाने।

आयुक्त

नगर पालिक निगम
भिलाई

पृ.क्र./सात/दो/भ.अ./2025/636

भिलाई, दिनांक 29/05/2025

प्रतिलिपि :-

1. कलेक्टर, दुर्ग, जिला कार्यालय दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) को सादर सूचनार्थ।
2. पुलिस अधीक्षक, दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) को सादर सूचनार्थ।
3. जिला पंजीयक, पंजीयन कार्यालय दुर्ग, जिला- दुर्ग (छ.ग.) को सूचनार्थ।
4. अनुविभागीय अधिकारी (रा.), दुर्ग, जिला दुर्ग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
5. तहसीलदार, दुर्ग/अतिरिक्त तहसीलदार भिलाई नगर, जिला- दुर्ग (छ.ग.) को सूचनार्थ।
6. जोन आयुक्त, जोन क्रं. 02 वैशाली नगर, पालिक निगम, भिलाई को उपरोक्त स्थलों पर आवश्यक नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु प्रेषित।

आयुक्त

नगर पालिक निगम
भिलाई





कार्यालय, नगर पालिक निगम, भिलाई

आकाश गंगा, सुपेला, जी.ई.रोड, भिलाई, जिला-दुर्ग (छ.ग.) 490023,

ई-मेल : bhilai-nagar-nigam@cg.gov.in

क्रमांक/सात/दो/भ.अ./2025/८३८

भिलाई, दिनांक 29/05/2025

//नोटिस//

प्रति,

श्री वाहिद खान आ. श्री हुसैन खान
पता- 17 शंकर पारा, सुपेला, भिलाई

विषय :-

अवैध रूप से भूखण्डों का विक्रय किये जाने दुस्प्रेरण करने के संबंध में।

सन्दर्भ:-

1. कार्यालय मुख्यालय वरिष्ठ उप-पंजीयक दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) का पत्र क्रमांक/101/मु.व.उ.प./2025 दुर्ग, दिनांक 24.02.2025
2. कार्यालय मुख्यालय वरिष्ठ उप-पंजीयक दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) का पत्र क्रमांक/103/मु.व.उ.प./2025 दुर्ग, दिनांक 24.02.2025

-----0000-----

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है, कि नगर पालिक निगम, भिलाई क्षेत्रान्तर्गत आपके द्वारा अवैध प्लॉटिंग कार्य करने साक्ष्य के रूप में कार्यालय मुख्यालय वरिष्ठ उप पंजीयक दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) द्वारा संदर्भित पत्र क्रमांक (1) व (2) के माध्यम से आपके द्वारा अपने स्वामित्व की भूमि ग्राम-कुरुद खसरा क्रमांक 177/9 को अवैध रूप से छोटे भूखण्डों में विघटित कर विक्रय किया जाने की जानकारी/दस्तावेज प्राप्त हुए हैं। जो कि उक्त खसरों का अवैध रूप से छोटे भूखण्डों में विघटित कर विक्रय किये जाने को स्पष्ट करता है। यह कृत्य छ.ग. नगर पालिक निगम तथा नगर पालिका (कॉलोनाईजर का रजिस्ट्रीकरण निर्बाधन तथा शर्त) नियम 2013 व छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के प्रावधानों का उल्लंघन है, जिस हेतु छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के धारा 292(ग)(3) के अंतर्गत इस कृत्य हेतु कम से कम 03 वर्ष और अधिक से अधिक 07 वर्ष के कारावास से तथा न्यूनतम 01 लाख रु. के जुर्माना से दण्डित किये जाने का प्रावधान है।

अतः क्यों न आपके विरुद्ध भूमि के अवैध रूप से विखण्डन कर विक्रय करने एवं अवैध कॉलोनी के निर्माण करने का दुस्प्रेरण करने हेतु छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के धारा 292(ग)(3) के तहत कार्यवाही की जावे, इस संबंध में आप अपना पक्ष पत्र प्राप्ति के 15 दिवस के भीतर अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष उपस्थित होकर अथवा लिखित रूप से भू-स्वामी दस्तावेज एवं अन्य आवश्यक दस्तावेजों सहित प्रस्तुत करेंगे, उक्त समयावधि के भीतर अपना पक्ष प्रस्तुत नहीं किये जाने अथवा प्रस्तुत पक्ष तर्क संगत/सार्थक नहीं होने पर की स्थिति में यह मान लिया जावेगा कि आप उक्त कार्यवाही हेतु सहमत हैं।

सूचना जाने।

आयुक्त

नगर पालिक निगम
भिलाई

भिलाई, दिनांक 29/05/2025

पृ.क्र./सात/दो/भ.अ./2025/८३९

प्रतिलिपि :-

1. कलेक्टर, दुर्ग, जिला कार्यालय दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) को सादर सूचनार्थ।
2. पुलिस अधीक्षक, दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) को सादर सूचनार्थ।
3. जिला पंजीयक, पंजीयन कार्यालय दुर्ग, जिला- दुर्ग (छ.ग.) को सूचनार्थ।
4. अनुविभागीय अधिकारी (रा.), दुर्ग, जिला दुर्ग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
5. तहसीलदार, दुर्ग/अतिरिक्त तहसीलदार भिलाई नगर, जिला- दुर्ग (छ.ग.) को सूचनार्थ।
6. जोन आयुक्त, जोन क्रं. 02 वैशाली नगर, पालिक निगम, भिलाई को उपरोक्त स्थलों पर आवश्यक नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु प्रेषित।

आयुक्त

नगर पालिक निगम
भिलाई





कार्यालय, नगर पालिक निगम, भिलाई

आकाश गंगा, सुपेला, जी.ई.रोड, भिलाई, जिला-दुर्ग (छ.ग.) 490023,
ई-मेल : bhilai-nagar-nigam@cg.gov.in

क्रमांक/सात/दो/भ.अ./2025/640

भिलाई, दिनांक 29/05/2025

//नोटिस//

प्रति,

श्री भास्कर राव राउलो आ.स्व. उपन्ना राउलो
पता- जमेदार पुदुगापोस्ट गरिलेपाडू पी.एस.
कविता श्रीकाकुलम आन्ध्रप्रदेश

विषय :-

सन्दर्भ:-

अवैध रूप से भूखण्डों का विक्रय किये जाने दुस्प्रेरण करने के संबंध में।

1. कार्यालय मुख्यालय वरिष्ठ उप-पंजीयक दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) का पत्र क्रमांक/101/मु.व.उ.प./2025 दुर्ग, दिनांक 24.02.2025

2. कार्यालय मुख्यालय वरिष्ठ उप-पंजीयक दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) का पत्र क्रमांक/103/मु.व.उ.प./2025 दुर्ग, दिनांक 24.02.2025

*****0000*****

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है, कि नगर पालिक निगम, भिलाई क्षेत्रान्तर्गत आपके द्वारा अवैध प्लॉटिंग कार्य करने साक्ष्य के रूप में कार्यालय मुख्यालय वरिष्ठ उप पंजीयक दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) द्वारा संदर्भित पत्र क्रमांक (1) व (2) के माध्यम से आपके द्वारा अपने स्वामित्व की भूमि ग्राम-कुरुद खसरा क्रमांक 177/3 को अवैध रूप से छोटे भूखण्डों में विघटित कर विक्रय किया जाने की जानकारी/दस्तावेज प्राप्त हुए हैं। जो कि उक्त खसरों का अवैध रूप से छोटे भूखण्डों में विघटित कर विक्रय किये जाने को स्पष्ट करता है। यह कृत्य छ.ग. नगर पालिक निगम तथा नगर पालिका (कॉलोनाईजर का रजिस्ट्रीकरण निर्बाधन तथा शर्तें) नियम 2013 व छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के प्रावधानों का उल्लंघन है, जिस हेतु छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के धारा 292(ग)(3) के अंतर्गत इस कृत्य हेतु कम से कम 03 वर्ष और अधिक से अधिक 07 वर्ष के कारावास से तथा न्यूनतम 01 लाख रु. के जुर्माना से दण्डित किये जाने का प्रावधान है।

अतः क्यों न आपके विरुद्ध भूमि के अवैध रूप से विखण्डन कर विक्रय करने एवं अवैध कॉलोनी के निर्माण करने का दुस्प्रेरण करने हेतु छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के धारा 292(ग)(3) के तहत कार्यवाही की जावे, इस संबंध में आप अपना पक्ष पत्र प्राप्ति के 15 दिवस के भीतर अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष उपस्थित होकर अथवा लिखित रूप से भू-स्वामी दस्तावेज एवं अन्य आवश्यक दस्तावेजों सहित प्रस्तुत करेंगे, उक्त समयावधि के भीतर अपना पक्ष प्रस्तुत नहीं किये जाने अथवा प्रस्तुत पक्ष तर्क संगत/सार्थक नहीं होने पर की स्थिति में यह मान लिया जावेगा कि आप उक्त कार्यवाही हेतु सहमत हैं।

सूचना जाने।

आयुक्त

नगर पालिक निगम
भिलाई

पू.क्र./सात/दो/भ.अ./2025/641

भिलाई, दिनांक 29/05/2025

प्रतिलिपि :-

1. कलेक्टर, दुर्ग, जिला कार्यालय दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) को सादर सूचनार्थ।
2. पुलिस अधीक्षक, दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) को सादर सूचनार्थ।
3. जिला पंजीयक, पंजीयन कार्यालय दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) को सूचनार्थ।
4. अनुविभागीय अधिकारी (रा.), दुर्ग, जिला दुर्ग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
5. तहसीलदार, दुर्ग/अतिरिक्त तहसीलदार भिलाई नगर, जिला-दुर्ग (छ.ग.) को सूचनार्थ।
6. जोन आयुक्त, जोन क्रं. 02 वैशाली नगर, पालिक निगम, भिलाई को उपरोक्त स्थलों पर आवश्यक नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु प्रेषित।

आयुक्त

नगर पालिक निगम
भिलाई





कार्यालय, नगर पालिक निगम, भिलाई

आकाश गंगा, सुपेला, जी.ई.रोड, भिलाई, जिला-दुर्ग (छ.ग.) 490023,

ई-मेल : bhilai-nagar-nigam@cg.gov.in

क्रमांक/सात/दो/भ.अ./2025/642

भिलाई, दिनांक 29/05/2025

//नोटिस//

प्रति,

श्री ना.बा. कासवी जैन आ. पारस जैन
पता- सड़क नं. 18 स्मृति नगर, मोतीलाल
नेहरू नगर, भिलाई, जिला-दुर्ग (छ.ग.)

विषय :-

सन्दर्भ:-

अवैध रूप से भूखण्डों का विक्रय किये जाने दुस्प्रेरण करने के संबंध में।

1. कार्यालय मुख्यालय वरिष्ठ उप-पंजीयक दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) का पत्र क्रमांक/101/मु.व.उ.प./2025 दुर्ग, दिनांक 24.02.2025

2. कार्यालय मुख्यालय वरिष्ठ उप-पंजीयक दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) का पत्र क्रमांक/103/मु.व.उ.प./2025 दुर्ग, दिनांक 24.02.2025

-----0000-----

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है, कि नगर पालिक निगम, भिलाई क्षेत्रान्तर्गत आपके द्वारा अवैध प्लानिंग कार्य करने साक्ष्य के रूप में कार्यालय मुख्यालय वरिष्ठ उप पंजीयक दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) द्वारा संदर्भित पत्र क्रमांक (1) व (2) के माध्यम से आपके द्वारा अपने स्वामित्व की भूमि ग्राम-कुरुद खसरा क्रमांक 1332/22 को अवैध रूप से छोटे भूखण्डों में विघटित कर विक्रय किया जाने की जानकारी/दस्तावेज प्राप्त हुए हैं। जो कि उक्त खसरों का अवैध रूप से छोटे भूखण्डों में विघटित कर विक्रय किये जाने को स्पष्ट करता है। यह कृत्य छ.ग. नगर पालिक निगम तथा नगर पालिका (कॉलोनाईजर का रजिस्ट्रीकरण निर्बाधन तथा शर्त) नियम 2013 व छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के प्रावधानों का उल्लंघन है, जिस हेतु छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के धारा 292(ग)(3) के अंतर्गत इस कृत्य हेतु कम से कम 03 वर्ष और अधिक से अधिक 07 वर्ष के कारावास से तथा न्यूनतम 01 लाख रु. के जुर्माना से दण्डित किये जाने का प्रावधान है।

अतः क्यों न आपके विरुद्ध भूमि के अवैध रूप से विखण्डन कर विक्रय करने एवं अवैध कॉलोनी के निर्माण करने का दुस्प्रेरण करने हेतु छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के धारा 292(ग)(3) के तहत कार्यवाही की जावे, इस संबंध में आप अपना पक्ष पत्र प्राप्ति के 15 दिवस के भीतर अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष उपस्थित होकर अथवा लिखित रूप से भू-स्वामी दस्तावेज एवं अन्य आवश्यक दस्तावेजों सहित प्रस्तुत करेंगे, उक्त समयावधि के भीतर अपना पक्ष प्रस्तुत नहीं किये जाने अथवा प्रस्तुत पक्ष तर्क संगत/सार्थक नहीं होने पर की स्थिति में यह मान लिया जावेगा कि आप उक्त कार्यवाही हेतु सहमत हैं।

सूचना जाने।

आयुक्त

नगर पालिक निगम
भिलाई

पृ.क्र./सात/दो/भ.अ./2025/643

भिलाई, दिनांक 29/05/2025

प्रतिलिपि :-

1. कलेक्टर, दुर्ग, जिला कार्यालय दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) को सादर सूचनार्थ।
2. पुलिस अधीक्षक, दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) को सादर सूचनार्थ।
3. जिला पंजीयक, पंजीयन कार्यालय दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) को सूचनार्थ।
4. अनुविभागीय अधिकारी (रा.), दुर्ग, जिला दुर्ग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
5. तहसीलदार, दुर्ग/अतिरिक्त तहसीलदार भिलाई नगर, जिला-दुर्ग (छ.ग.) को सूचनार्थ।
6. जोन आयुक्त, जोन क्रं. 02 वैशाली नगर, पालिक निगम, भिलाई को उपरोक्त स्थलों पर आवश्यक नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु प्रेषित।

आयुक्त

नगर पालिक निगम
भिलाई





कार्यालय, नगर पालिक निगम, भिलाई

आकाश गंगा, सुपेला, जी.ई.रोड, भिलाई, जिला-दुर्ग (छ.ग.) 490023,

ई-मेल : bhilai-nagar-nigam@cg.gov.in

क्रमांक/सात/दो/भ.अ./2025/644

भिलाई, दिनांक 21/05/2025

//नोटिस//

प्रति,

1. श्रीमती मंजू अग्रवाल पति श्री अशोक कुमार अग्रवाल
 2. श्री कमलेश अग्रवाल आ. राजेन्द्र अग्रवाल
- पता- प्लॉट नं. 45/3 नेहरू नगर (पश्चिम)
भिलाई, जिला-दुर्ग (छ.ग.)

विषय :-

सन्दर्भ:-

अवैध रूप से भूखण्डों का विक्रय किये जाने दुस्प्रेरण करने के संबंध में।

1. कार्यालय मुख्यालय वरिष्ठ उप-पंजीयक दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) का पत्र क्रमांक/101/मु.व.उ.प./2025 दुर्ग, दिनांक 24.02.2025
2. कार्यालय मुख्यालय वरिष्ठ उप-पंजीयक दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) का पत्र क्रमांक/103/मु.व.उ.प./2025 दुर्ग, दिनांक 24.02.2025

-----0000-----

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है, कि नगर पालिक निगम, भिलाई क्षेत्रान्तर्गत आपके द्वारा अवैध प्लॉटिंग कार्य करने साक्ष्य के रूप में कार्यालय मुख्यालय वरिष्ठ उप पंजीयक दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) द्वारा संदर्भित पत्र क्रमांक (1) व (2) के माध्यम से आपके द्वारा अपने स्वामित्व की भूमि ग्राम-कुरुद खसरा क्रमांक 1047/5 को अवैध रूप से छोटे भूखण्डों में विघटित कर विक्रय किया जाने की जानकारी/दस्तावेज प्राप्त हुए हैं। जो कि उक्त खसरा के अवैध रूप से छोटे भूखण्डों में विघटित कर विक्रय किये जाने को स्पष्ट करता है। यह कृत्य छ.ग. नगर पालिक निगम तथा नगर पालिका (कॉलोनाइजर का रजिस्ट्रीकरण निर्बाधन तथा शर्तों) नियम 2013 व छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के प्रावधानों का उल्लंघन है, जिस हेतु छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के धारा 292(ग)(3) के अंतर्गत इस कृत्य हेतु कम से कम 03 वर्ष और अधिक से अधिक 07 वर्ष के कारावास से तथा न्यूनतम 01 लाख रु. के जुर्माना से दण्डित किये जाने का प्रावधान है।

अतः क्यों न आपके विरुद्ध भूमि के अवैध रूप से विखण्डन कर विक्रय करने एवं अवैध कॉलोनी के निर्माण करने का दुस्प्रेरण करने हेतु छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के धारा 292(ग)(3) के तहत कार्यवाही की जावे, इस संबंध में आप अपना पक्ष पत्र प्राप्ति के 15 दिवस के भीतर अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष उपस्थित होकर अथवा लिखित रूप से भू-स्वामी दस्तावेज एवं अन्य आवश्यक दस्तावेजों सहित प्रस्तुत करेंगे, उक्त समयावधि के भीतर अपना पक्ष प्रस्तुत नहीं किये जाने अथवा प्रस्तुत पक्ष तर्क संगत/सार्थक नहीं होने पर की स्थिति में यह मान लिया जावेगा कि आप उक्त कार्यवाही हेतु सहमत हैं।

सूचना जाने।

आयुक्त

नगर पालिक निगम
भिलाई

भिलाई, दिनांक 21/05/2025

पु.क्र./सात/दो/भ.अ./2025/645

प्रतिलिपि :-

1. कलेक्टर, दुर्ग, जिला कार्यालय दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) को सादर सूचनार्थ।
2. पुलिस अधीक्षक, दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) को सादर सूचनार्थ।
3. जिला पंजीयक, पंजीयन कार्यालय दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) को सूचनार्थ।
4. अनुविभागीय अधिकारी (रा.), दुर्ग, जिला दुर्ग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
5. तहसीलदार, दुर्ग/अतिरिक्त तहसीलदार भिलाई नगर, जिला-दुर्ग (छ.ग.) को सूचनार्थ।
6. जोन आयुक्त, जोन क्रं. 02 वैशाली नगर, पालिक निगम, भिलाई को उपरोक्त स्थलों पर आवश्यक नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु प्रेषित।

आयुक्त

नगर पालिक निगम
भिलाई





कार्यालय, नगर पालिक निगम, भिलाई

आकाश गंगा, सुपेला, जी.ई.रोड, भिलाई, जिला-दुर्ग (छ.ग.) 490023,

ई-मेल : bhilai-nagar-nigam@cg.gov.in

क्रमांक/सात/दो/भ.अ./2025/ 646

भिलाई, दिनांक 24/5/2025

//नोटिस//

प्रति,

1. श्री अशोक अग्रवाल आ. रामकुमार अग्रवाल
 2. श्री राजेन्द्र अग्रवाल आ. रामकुमार अग्रवाल
- पता- प्लॉट नं. 45/4 नेहरू नगर (पश्चिम)
भिलाई, जिला-दुर्ग (छ.ग.)

विषय :-

सन्दर्भ:-

अवैध रूप से भूखण्डों का विक्रय किये जाने दुस्प्रेरण करने के संबंध में।

1. कार्यालय मुख्यालय वरिष्ठ उप-पंजीयक दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) का पत्र क्रमांक/101/मु.व.उ.प./2025 दुर्ग, दिनांक 24.02.2025
2. कार्यालय मुख्यालय वरिष्ठ उप-पंजीयक दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) का पत्र क्रमांक/103/मु.व.उ.प./2025 दुर्ग, दिनांक 24.02.2025

0000

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है, कि नगर पालिक निगम, भिलाई क्षेत्रान्तर्गत आपके द्वारा अवैध प्लॉटिंग कार्य करने साक्ष्य के रूप में कार्यालय मुख्यालय वरिष्ठ उप पंजीयक दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) द्वारा संदर्भित पत्र क्रमांक (1) व (2) के माध्यम से आपके द्वारा अपने स्वामित्व की भूमि ग्राम-कुरुद खसरा क्रमांक 1047/2 को अवैध रूप से छोटे भूखण्डों में विघटित कर विक्रय किया जाने की जानकारी/दस्तावेज प्राप्त हुए हैं। जो कि उक्त खसरों का अवैध रूप से छोटे भूखण्डों में विघटित कर विक्रय किये जाने को स्पष्ट करता है। यह कृत्य छ.ग. नगर पालिक निगम तथा नगर पालिका (कॉलोनाईजर का रजिस्ट्रीकरण निर्बाधन तथा शर्तों) नियम 2013 व छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के प्रावधानों का उल्लंघन है, जिस हेतु छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के धारा 292(ग)(3) के अंतर्गत इस कृत्य हेतु कम से कम 03 वर्ष और अधिक से अधिक 07 वर्ष के कारावास से तथा न्यूनतम 01 लाख रु. के जुर्माना से दण्डित किये जाने का प्रावधान है।

अतः क्यों न आपके विरुद्ध भूमि के अवैध रूप से विखण्डन कर विक्रय करने एवं अवैध कॉलोनी के निर्माण करने का दुस्प्रेरण करने हेतु छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के धारा 292(ग)(3) के तहत कार्यवाही की जावे, इस संबंध में आप अपना पक्ष पत्र प्राप्ति के 15 दिवस के भीतर अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष उपस्थित होकर अथवा लिखित रूप से भू-स्वामी दस्तावेज एवं अन्य आवश्यक दस्तावेजों सहित प्रस्तुत करेंगे, उक्त समयावधि के भीतर अपना पक्ष प्रस्तुत नहीं किये जाने अथवा प्रस्तुत पक्ष तर्क संगत/सार्थक नहीं होने पर की स्थिति में यह मान लिया जावेगा कि आप उक्त कार्यवाही हेतु सहमत हैं।

सूचना जाने।

आयुक्त

नगर पालिक निगम
भिलाई

पृ.क्र./सात/दो/भ.अ./2025/ 647

भिलाई, दिनांक 24/5/2025

प्रतिलिपि :-

1. कलेक्टर, दुर्ग, जिला कार्यालय दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) को सादर सूचनार्थ।
2. पुलिस अधीक्षक, दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) को सादर सूचनार्थ।
3. जिला पंजीयक, पंजीयन कार्यालय दुर्ग, जिला- दुर्ग (छ.ग.) को सूचनार्थ।
4. अनुविभागीय अधिकारी (रा.), दुर्ग, जिला दुर्ग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
5. तहसीलदार, दुर्ग/अतिरिक्त तहसीलदार भिलाई नगर, जिला- दुर्ग (छ.ग.) को सूचनार्थ।
6. जोन आयुक्त, जोन क्रं. 02 वैशाली नगर, पालिक निगम, भिलाई को उपरोक्त स्थलों पर आवश्यक नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु प्रेषित।

आयुक्त

नगर पालिक निगम
भिलाई





कार्यालय, नगर पालिक निगम, भिलाई

आकाश गंगा, सुपेला, जी.ई.रोड, भिलाई, जिला-दुर्ग (छ.ग.) 490023,

ई-मेल : bhilai-nagar-nigam@cg.gov.in

क्रमांक/सात/दो/भ.अ./2025/648

भिलाई, दिनांक 29/5/2025

//नोटिस//

प्रति,

1. श्री कांति लाल शर्मा आ.स्व. भंवर लाल शर्मा
 2. श्री शांति लाल शर्मा आ. कांति लाल शर्मा
 3. श्री चेताली शर्मा आ. शांति लाल शर्मा
- पता- प्लॉट नं. 1, सड़क नं.45 नेहरू नगर (पूर्व)
भिलाई, जिला-दुर्ग (छ.ग.)

विषय :-

सन्दर्भ:-

अवैध रूप से भूखण्डों का विक्रय किये जाने दुस्प्रेरण करने के संबंध में।

1. कार्यालय मुख्यालय वरिष्ठ उप-पंजीयक दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) का पत्र क्रमांक/101/मु.व.उ.प./2025 दुर्ग, दिनांक 24.02.2025
2. कार्यालय मुख्यालय वरिष्ठ उप-पंजीयक दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) का पत्र क्रमांक/103/मु.व.उ.प./2025 दुर्ग, दिनांक 24.02.2025

00000000

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है, कि नगर पालिक निगम, भिलाई क्षेत्रान्तर्गत आपके द्वारा अवैध प्लॉटिंग कार्य करने साक्ष्य के रूप में कार्यालय मुख्यालय वरिष्ठ उप पंजीयक दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) द्वारा संदर्भित पत्र क्रमांक (1) व (2) के माध्यम से आपके द्वारा अपने स्वामित्व की भूमि ग्राम-कुरुद खसरा क्रमांक 1047/4 को अवैध रूप से छोटे भूखण्डों में विघटित कर विक्रय किया जाने की जानकारी/दस्तावेज प्राप्त हुए हैं। जो कि उक्त खसरों का अवैध रूप से छोटे भूखण्डों में विघटित कर विक्रय किये जाने को स्पष्ट करता है। यह कृत्य छ.ग. नगर पालिक निगम तथा नगर पालिका (कॉलोनाईजर का रजिस्ट्रीकरण निर्बाधन तथा शर्तों) नियम 2013 व छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के प्रावधानों का उल्लंघन है, जिस हेतु छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के धारा 292(ग)(3) के अंतर्गत इस कृत्य हेतु कम से कम 03 वर्ष और अधिक से अधिक 07 वर्ष के कारावास से तथा न्यूनतम 01 लाख रु. के जुर्माना से दण्डित किये जाने का प्रावधान है।

अतः क्यों न आपके विरुद्ध भूमि के अवैध रूप से विखण्डन कर विक्रय करने एवं अवैध कॉलोनी के निर्माण करने का दुस्प्रेरण करने हेतु छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के धारा 292(ग)(3) के तहत कार्यवाही की जावे, इस संबंध में आप अपना पक्ष पत्र प्राप्ति के 15 दिवस के भीतर अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष उपस्थित होकर अथवा लिखित रूप से भू-स्वामी दस्तावेज एवं अन्य आवश्यक दस्तावेजों सहित प्रस्तुत करेंगे, उक्त समयावधि के भीतर अपना पक्ष प्रस्तुत नहीं किये जाने अथवा प्रस्तुत पक्ष तर्क संगत/सार्थक नहीं होने पर की स्थिति में यह मान लिया जाएगा कि आप उक्त कार्यवाही हेतु सहमत हैं।

सूचना जाने।

आयुक्त

नगर पालिक निगम
भिलाई

पृ.क्र./सात/दो/भ.अ./2025/649

भिलाई, दिनांक 29/5/2025

प्रतिलिपि :-

1. कलेक्टर, दुर्ग, जिला कार्यालय दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) को सादर सूचनार्थ।
2. पुलिस अधीक्षक, दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) को सादर सूचनार्थ।
3. जिला पंजीयक, पंजीयन कार्यालय दुर्ग, जिला- दुर्ग (छ.ग.) को सूचनार्थ।
4. अनुविभागीय अधिकारी (रा.), दुर्ग, जिला दुर्ग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
5. तहसीलदार, दुर्ग/अतिरिक्त तहसीलदार भिलाई नगर, जिला- दुर्ग (छ.ग.) को सूचनार्थ।
6. जोन आयुक्त, जोन क्रं. 02 वैशाली नगर, पालिक निगम, भिलाई को उपरोक्त स्थलों पर आवश्यक नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु प्रेषित।

आयुक्त

नगर पालिक निगम
भिलाई





कार्यालय, नगर पालिक निगम, भिलाई

आकाश गंगा, सुपेला, जी.ई.रोड, भिलाई, जिला-दुर्ग (छ.ग.) 490023,

ई-मेल : bhilai-nagar-nigam@cg.gov.in

क्रमांक/सात/दो/भ.अ./2025/ 650

भिलाई, दिनांक 29/5/2025

//नोटिस//

प्रति,

श्री रूपलाल साहू आ.स्व. श्याम लाल साहू
पता- पुरानी बस्ती कुरुद, भिलाई
जिला-दुर्ग (छ.ग.)

विषय :-

सन्दर्भ:-

अवैध रूप से भूखण्डों का विक्रय किये जाने दुस्प्रेरण करने के संबंध में।

1. कार्यालय मुख्यालय वरिष्ठ उप-पंजीयक दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) का पत्र क्रमांक/101/मु.व.उ.प./2025 दुर्ग, दिनांक 24.02.2025

2. कार्यालय मुख्यालय वरिष्ठ उप-पंजीयक दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) का पत्र क्रमांक/103/मु.व.उ.प./2025 दुर्ग, दिनांक 24.02.2025

0000

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है, कि नगर पालिक निगम, भिलाई क्षेत्रान्तर्गत आपके द्वारा अवैध प्लॉटिंग कार्य करने साक्ष्य के रूप में कार्यालय मुख्यालय वरिष्ठ उप पंजीयक दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) द्वारा संदर्भित पत्र क्रमांक (1) व (2) के माध्यम से आपके द्वारा अपने स्वामित्व की भूमि ग्राम-कुरुद खसरा क्रमांक 504/1 को अवैध रूप से छोटे भूखण्डों में विघटित कर विक्रय किया जाने की जानकारी/दस्तावेज प्राप्त हुए हैं। जो कि उक्त खसरों का अवैध रूप से छोटे भूखण्डों में विघटित कर विक्रय किये जाने को स्पष्ट करता है। यह कृत्य छ.ग. नगर पालिक निगम तथा नगर पालिका (कॉलोनाईजर का रजिस्ट्रीकरण निर्वाधन तथा शर्त) नियम 2013 व छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के प्रावधानों का उल्लंघन है, जिस हेतु छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के धारा 292(ग)(3) के अंतर्गत इस कृत्य हेतु कम से कम 03 वर्ष और अधिक से अधिक 07 वर्ष के कारावास से तथा न्यूनतम 01 लाख रु. के जुर्माना से दण्डित किये जाने का प्रावधान है।

अतः क्यों न आपके विरुद्ध भूमि के अवैध रूप से विखण्डन कर विक्रय करने एवं अवैध कॉलोनी के निर्माण करने का दुस्प्रेरण करने हेतु छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के धारा 292(ग)(3) के तहत कार्यवाही की जावे, इस संबंध में आप अपना पक्ष पत्र प्राप्ति के 15 दिवस के भीतर अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष उपस्थित होकर अथवा लिखित रूप से भू-स्वामी दस्तावेज एवं अन्य आवश्यक दस्तावेजों सहित प्रस्तुत करेंगे, उक्त समयावधि के भीतर अपना पक्ष प्रस्तुत नहीं किये जाने अथवा प्रस्तुत पक्ष तर्क संगत/सार्थक नहीं होने पर की स्थिति में यह मान लिया जावेगा कि आप उक्त कार्यवाही हेतु सहमत हैं।

सूचना जाने।

आयुक्त

नगर पालिक निगम
भिलाई

पृ.क्र./सात/दो/भ.अ./2025/ 651

भिलाई, दिनांक 29/5/2025

प्रतिलिपि :-

1. कलेक्टर, दुर्ग, जिला कार्यालय दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) को सादर सूचनार्थ।
2. पुलिस अधीक्षक, दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) को सादर सूचनार्थ।
3. जिला पंजीयक, पंजीयन कार्यालय दुर्ग, जिला- दुर्ग (छ.ग.) को सूचनार्थ।
4. अनुविभागीय अधिकारी (रा.), दुर्ग, जिला दुर्ग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
5. तहसीलदार, दुर्ग/अतिरिक्त तहसीलदार भिलाई नगर, जिला- दुर्ग (छ.ग.) को सूचनार्थ।
6. जोन आयुक्त, जोन क्रं. 02 वैशाली नगर, पालिक निगम, भिलाई को उपरोक्त स्थलों पर आवश्यक नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु प्रेषित।

आयुक्त

नगर पालिक निगम
भिलाई





कार्यालय, नगर पालिक निगम, भिलाई

आकाश गंगा, सुपेला, जी.ई.रोड, भिलाई, जिला-दुर्ग (छ.ग.) 490023,

ई-मेल : bhilai-nagar-nigam@cg.gov.in

क्रमांक/सात/दो/भ.अ./2025/ 652 //नोटिस//

भिलाई, दिनांक 29/5/2025

प्रति,

श्री अबु सईद आ. शमशीर आलम
पता- शिवाजी नगर, कोहका
भिलाई, जिला-दुर्ग (छ.ग.)

विषय :- अवैध रूप से भूखण्डों का विक्रय किये जाने दुस्प्रेरण करने के संबंध में।
सन्दर्भ:- 1. कार्यालय मुख्यालय वरिष्ठ उप-पंजीयक दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) का पत्र क्रमांक/101/मु.व.उ.प./2025 दुर्ग, दिनांक 24.02.2025
2. कार्यालय मुख्यालय वरिष्ठ उप-पंजीयक दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) का पत्र क्रमांक/103/मु.व.उ.प./2025 दुर्ग, दिनांक 24.02.2025

0000

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है, कि नगर पालिक निगम, भिलाई क्षेत्रान्तर्गत आपके द्वारा अवैध प्लानिंग कार्य करने साक्ष्य के रूप में कार्यालय मुख्यालय वरिष्ठ उप पंजीयक दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) द्वारा संदर्भित पत्र क्रमांक (1) व (2) के माध्यम से आपके द्वारा अपने स्वामित्व की भूमि ग्राम-कुरुद खसरा क्रमांक 465/3 को अवैध रूप से छोटे भूखण्डों में विघटित कर विक्रय किया जाने की जानकारी/दस्तावेज प्राप्त हुए हैं। जो कि उक्त खसरों का अवैध रूप से छोटे भूखण्डों में विघटित कर विक्रय किये जाने को स्पष्ट करता है। यह कृत्य छ.ग. नगर पालिक निगम तथा नगर पालिका (कॉलोनाईजर का रजिस्ट्रीकरण निर्वाधन तथा शर्तें) नियम 2013 व छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के प्रावधानों का उल्लंघन है, जिस हेतु छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के धारा 292(ग)(3) के अंतर्गत इस कृत्य हेतु कम से कम 03 वर्ष और अधिक से अधिक 07 वर्ष के कारावास से तथा न्यूनतम 01 लाख रु. के जुर्माना से दण्डित किये जाने का प्रावधान है।

अतः क्यों न आपके विरुद्ध भूमि के अवैध रूप से विखण्डन कर विक्रय करने एवं अवैध कॉलोनी के निर्माण करने का दुस्प्रेरण करने हेतु छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के धारा 292(ग)(3) के तहत कार्यवाही की जावे, इस संबंध में आप अपना पक्ष पत्र प्राप्ति के 15 दिवस के भीतर अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष उपस्थित होकर अथवा लिखित रूप से भू-स्वामी दस्तावेज एवं अन्य आवश्यक दस्तावेजों सहित प्रस्तुत करेंगे, उक्त समयावधि के भीतर अपना पक्ष प्रस्तुत नहीं किये जाने अथवा प्रस्तुत पक्ष तर्क संगत/सार्थक नहीं होने पर की स्थिति में यह मान लिया जावेगा कि आप उक्त कार्यवाही हेतु सहमत हैं।

सूचना जाने।

आयुक्त
नगर पालिक निगम
भिलाई

पृ.क्र./सात/दो/भ.अ./2025/ 653
प्रतिलिपि :-

भिलाई, दिनांक 29/5/2025

1. कलेक्टर, दुर्ग, जिला कार्यालय दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) को सादर सूचनार्थ।
2. पुलिस अधीक्षक, दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) को सादर सूचनार्थ।
3. जिला पंजीयक, पंजीयन कार्यालय दुर्ग, जिला- दुर्ग (छ.ग.) को सूचनार्थ।
4. अनुविभागीय अधिकारी (रा.), दुर्ग, जिला दुर्ग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
5. तहसीलदार, दुर्ग/अतिरिक्त तहसीलदार भिलाई नगर, जिला- दुर्ग (छ.ग.) को सूचनार्थ।
6. जोन आयुक्त, जोन क्रं. 02 वैशाली नगर, पालिक निगम, भिलाई को उपरोक्त स्थलों पर आवश्यक नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु प्रेषित।

आयुक्त
नगर पालिक निगम
भिलाई





कार्यालय, नगर पालिक निगम, भिलाई

आकाश गंगा, सुपेला, जी.ई.रोड, भिलाई, जिला-दुर्ग (छ.ग.) 490023,

ई-मेल : bhilai-nagar-nigam@cg.gov.in

क्रमांक/सात/दो/भ.अ./2025/ 654 //नोटिस//

भिलाई, दिनांक 29/5/2025

प्रति,

मेसर्स शिवनाथ इंटरप्राइजेस

1. पार्टनर सुन्दर लाल पटेल आ. बंशीलाल पटेल

2. पार्टनर विनोद कुमार आ. चन्द्रप्रकाश उपाध्याय

पता- अग्रसेन आई.टी.आई. के पीछे, कुरुद रोड

कोहका, भिलाई, जिला-दुर्ग (छ.ग.)

विषय :- अवैध रूप से भूखण्डों का विक्रय किये जाने दुस्प्रेरण करने के संबंध में।

सन्दर्भ:- 1. कार्यालय मुख्यालय वरिष्ठ उप-पंजीयक दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) का पत्र

क्रमांक/101/मु.व.उ.प./2025 दुर्ग, दिनांक 24.02.2025

2. कार्यालय मुख्यालय वरिष्ठ उप-पंजीयक दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) का पत्र

क्रमांक/103/मु.व.उ.प./2025 दुर्ग, दिनांक 24.02.2025

*****0000*****

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है, कि नगर पालिक निगम, भिलाई क्षेत्रान्तर्गत आपके द्वारा अवैध प्लॉटिंग कार्य करने साक्ष्य के रूप में कार्यालय मुख्यालय वरिष्ठ उप पंजीयक दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) द्वारा संदर्भित पत्र क्रमांक (1) व (2) के माध्यम से आपके द्वारा अपने स्वामित्व की भूमि ग्राम-कुरुद खसरा क्रमांक 455/19 को अवैध रूप से छोटे भूखण्डों में विघटित कर विक्रय किया जाने की जानकारी/दस्तावेज प्राप्त हुए हैं। जो कि उक्त खसरों का अवैध रूप से छोटे भूखण्डों में विघटित कर विक्रय किये जाने को स्पष्ट करता है। यह कृत्य छ.ग. नगर पालिक निगम तथा नगर पालिका (कॉलोनाइजर का रजिस्ट्रीकरण निर्बाधन तथा शर्तों) नियम 2013 व छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के प्रावधानों का उल्लंघन है, जिस हेतु छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के धारा 292(ग)(3) के अंतर्गत इस कृत्य हेतु कम से कम 03 वर्ष और अधिक से अधिक 07 वर्ष के कारावास से तथा न्यूनतम 01 लाख रु. के जुर्माना से दण्डित किये जाने का प्रावधान है।

अतः क्यों न आपके विरुद्ध भूमि के अवैध रूप से विखण्डन कर विक्रय करने एवं अवैध कॉलोनी के निर्माण करने का दुस्प्रेरण करने हेतु छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के धारा 292(ग)(3) के तहत कार्यवाही की जावे, इस संबंध में आप अपना पक्ष पत्र प्राप्ति के 15 दिवस के भीतर अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष उपस्थित होकर अथवा लिखित रूप से भू-स्वामी दस्तावेज एवं अन्य आवश्यक दस्तावेजों सहित प्रस्तुत करेंगे, उक्त समयावधि के भीतर अपना पक्ष प्रस्तुत नहीं किये जाने अथवा प्रस्तुत पक्ष तर्क संगत/सार्थक नहीं होने पर की स्थिति में यह मान लिया जावेगा कि आप उक्त कार्यवाही हेतु सहमत हैं।

सूचना जाने।

आयुक्त

नगर पालिक निगम

भिलाई

पृ.क्र./सात/दो/भ.अ./2025/ 655

भिलाई, दिनांक 29/5/2025

प्रतिलिपि :-

1. कलेक्टर, दुर्ग, जिला कार्यालय दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) को सादर सूचनार्थ।
2. पुलिस अधीक्षक, दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) को सादर सूचनार्थ।
3. जिला पंजीयक, पंजीयन कार्यालय दुर्ग, जिला- दुर्ग (छ.ग.) को सूचनार्थ।
4. अनुविभागीय अधिकारी (रा.), दुर्ग, जिला दुर्ग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
5. तहसीलदार, दुर्ग/अतिरिक्त तहसीलदार भिलाई नगर, जिला- दुर्ग (छ.ग.) को सूचनार्थ।
6. जोन आयुक्त, जोन क्रं. 02 वैशाली नगर, पालिक निगम, भिलाई को उपरोक्त स्थलों पर आवश्यक नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु प्रेषित।

आयुक्त

नगर पालिक निगम

भिलाई





कार्यालय, नगर पालिक निगम, भिलाई

आकाश गंगा, सुपेला, जी.ई.रोड, भिलाई, जिला-दुर्ग (छ.ग.) 490023,

ई-मेल : bhilai-nagar-nigam@cg.gov.in

क्रमांक/सात/दो/भ.अ./2025/ 856

भिलाई, दिनांक 29/5/2025

//नोटिस//

प्रति,

मो. अनवर पाशा खतिब आ.मो. शफी उल्लाह खतिब

पता- सड़क नं. 01, ईदगाह मोहल्ला, फरीद नगर

सुपेला, कोहका, भिलाई, जिला-दुर्ग (छ.ग.)

विषय :-

अवैध रूप से भूखण्डों का विक्रय किये जाने दुस्प्रेरण करने के संबंध में।

सन्दर्भ:-

1. कार्यालय मुख्यालय वरिष्ठ उप-पंजीयक दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) का पत्र क्रमांक/101/मु.व.उ.प./2025 दुर्ग, दिनांक 24.02.2025

2. कार्यालय मुख्यालय वरिष्ठ उप-पंजीयक दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) का पत्र क्रमांक/103/मु.व.उ.प./2025 दुर्ग, दिनांक 24.02.2025

-----0000-----

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है, कि नगर पालिक निगम, भिलाई क्षेत्रान्तर्गत आपके द्वारा अवैध प्लानिंग कार्य करने साक्ष्य के रूप में कार्यालय मुख्यालय वरिष्ठ उप पंजीयक दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) द्वारा संदर्भित पत्र क्रमांक (1) व (2) के माध्यम से आपके द्वारा अपने स्वामित्व की भूमि ग्राम-कुरुद खसरा क्रमांक 455/15 को अवैध रूप से छोटे भूखण्डों में विघटित कर विक्रय किया जाने की जानकारी/दस्तावेज प्राप्त हुए हैं। जो कि उक्त खसरों का अवैध रूप से छोटे भूखण्डों में विघटित कर विक्रय किये जाने को स्पष्ट करता है। यह कृत्य छ.ग. नगर पालिक निगम तथा नगर पालिका (कॉलोनाईजर का रजिस्ट्रीकरण निर्बाधन तथा शर्त) नियम 2013 व छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के प्रावधानों का उल्लंघन है, जिस हेतु छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के धारा 292(ग)(3) के अंतर्गत इस कृत्य हेतु कम से कम 03 वर्ष और अधिक से अधिक 07 वर्ष के कारावास से तथा न्यूनतम 01 लाख रु. के जुर्माना से दण्डित किये जाने का प्रावधान है।

अतः क्यों न आपके विरुद्ध भूमि के अवैध रूप से विखण्डन कर विक्रय करने एवं अवैध कॉलोनी के निर्माण करने का दुस्प्रेरण करने हेतु छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के धारा 292(ग)(3) के तहत कार्यवाही की जावे, इस संबंध में आप अपना पक्ष पत्र प्राप्ति के 15 दिवस के भीतर अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष उपस्थित होकर अथवा लिखित रूप से भू-स्वामी दस्तावेज एवं अन्य आवश्यक दस्तावेजों सहित प्रस्तुत करेंगे, उक्त समयावधि के भीतर अपना पक्ष प्रस्तुत नहीं किये जाने अथवा प्रस्तुत पक्ष तर्क संगत/सार्थक नहीं होने पर की स्थिति में यह मान लिया जायेगा कि आप उक्त कार्यवाही हेतु सहमत हैं।

सूचना जाने।

आयुक्त

नगर पालिक निगम

भिलाई

पू.क्र./सात/दो/भ.अ./2025/ 657

भिलाई, दिनांक 29/5/2025

प्रतिलिपि :-

1. कलेक्टर, दुर्ग, जिला कार्यालय दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) को सादर सूचनार्थ।
2. पुलिस अधीक्षक, दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) को सादर सूचनार्थ।
3. जिला पंजीयक, पंजीयन कार्यालय दुर्ग, जिला- दुर्ग (छ.ग.) को सूचनार्थ।
4. अनुविभागीय अधिकारी (रा.), दुर्ग, जिला दुर्ग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
5. तहसीलदार, दुर्ग/अतिरिक्त तहसीलदार भिलाई नगर, जिला- दुर्ग (छ.ग.) को सूचनार्थ।
6. जोन आयुक्त, जोन क्रं. 02 वैशाली नगर, पालिक निगम, भिलाई को उपरोक्त स्थलों पर आवश्यक नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु प्रेषित।

आयुक्त

नगर पालिक निगम

भिलाई





कार्यालय, नगर पालिक निगम, भिलाई

आकाश गंगा, सुपेला, जी.ई.रोड, भिलाई, जिला-दुर्ग (छ.ग.) 490023,

ई-मेल : bhilai-nagar-nigam@cg.gov.in

क्रमांक/सात/दो/भ.अ./2025/658

भिलाई, दिनांक 29/05/2025

//नोटिस//

प्रति,

श्री पोडिल मदन मोहन आ. सुब्बाराव
पता- पेहा महरू जिला- गुंटूर
(आंध्रप्रदेश)

विषय :-

अवैध रूप से भूखण्डों का विक्रय किये जाने दुस्प्रेरण करने के संबंध में।

सन्दर्भ:-

1. कार्यालय मुख्यालय वरिष्ठ उप-पंजीयक दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) का पत्र क्रमांक/101/मु.व.उ.प./2025 दुर्ग, दिनांक 24.02.2025
2. कार्यालय मुख्यालय वरिष्ठ उप-पंजीयक दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) का पत्र क्रमांक/103/मु.व.उ.प./2025 दुर्ग, दिनांक 24.02.2025

-----0000-----

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है, कि नगर पालिक निगम, भिलाई क्षेत्रान्तर्गत आपके द्वारा अवैध प्लॉटिंग कार्य करने साक्ष्य के रूप में कार्यालय मुख्यालय वरिष्ठ उप पंजीयक दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) द्वारा संदर्भित पत्र क्रमांक (1) व (2) के माध्यम से आपके द्वारा अपने स्वामित्व की भूमि ग्राम-कुरुद खसरा क्रमांक 177/2 को अवैध रूप से छोटे भूखण्डों में विघटित कर विक्रय किया जाने की जानकारी/दस्तावेज प्राप्त हुए हैं। जो कि उक्त खसराओं का अवैध रूप से छोटे भूखण्डों में विघटित कर विक्रय किये जाने को स्पष्ट करता है। यह कृत्य छ.ग. नगर पालिक निगम तथा नगर पालिका (कॉलोनाईजर का रजिस्ट्रीकरण निर्बाधन तथा शर्तों) नियम 2013 व छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के प्रावधानों का उल्लंघन है, जिस हेतु छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के धारा 292(ग)(3) के अंतर्गत इस कृत्य हेतु कम से कम 03 वर्ष और अधिक से अधिक 07 वर्ष के कारावास से तथा न्यूनतम 01 लाख रु. के जुर्माना से दण्डित किये जाने का प्रावधान है।

अतः क्यों न आपके विरुद्ध भूमि के अवैध रूप से विखण्डन कर विक्रय करने एवं अवैध कॉलोनी के निर्माण करने का दुस्प्रेरण करने हेतु छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के धारा 292(ग)(3) के तहत कार्यवाही की जावे, इस संबंध में आप अपना पक्ष पत्र प्राप्ति के 15 दिवस के भीतर अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष उपस्थित होकर अथवा लिखित रूप से भू-स्वामी दस्तावेज एवं अन्य आवश्यक दस्तावेजों सहित प्रस्तुत करेंगे, उक्त समयावधि के भीतर अपना पक्ष प्रस्तुत नहीं किये जाने अथवा प्रस्तुत पक्ष तर्क संगत/सार्थक नहीं होने पर की स्थिति में यह मान लिया जावेगा कि आप उक्त कार्यवाही हेतु सहमत हैं।

सूचना जाने।

आयुक्त

नगर पालिक निगम
भिलाई

भिलाई, दिनांक 29/05/2025

पृ.क्र./सात/दो/भ.अ./2025/659

प्रतिलिपि :-

1. कलेक्टर, दुर्ग, जिला कार्यालय दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) को सादर सूचनार्थ।
2. पुलिस अधीक्षक, दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) को सादर सूचनार्थ।
3. जिला पंजीयक, पंजीयन कार्यालय दुर्ग, जिला- दुर्ग (छ.ग.) को सूचनार्थ।
4. अनुविभागीय अधिकारी (रा.), दुर्ग, जिला दुर्ग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
5. तहसीलदार, दुर्ग/अतिरिक्त तहसीलदार भिलाई नगर, जिला- दुर्ग (छ.ग.) को सूचनार्थ।
6. जोन आयुक्त, जोन क्रं. 02 वैशाली नगर, पालिक निगम, भिलाई को उपरोक्त स्थलों पर आवश्यक नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु प्रेषित।

आयुक्त

नगर पालिक निगम
भिलाई





कार्यालय, नगर पालिक निगम, भिलाई

आकाश गंगा, सुपेला, जी.ई.रोड, भिलाई, जिला-दुर्ग (छ.ग.) 490023,

ई-मेल : bhilai-nagar-nigam@cg.gov.in

क्रमांक/सात/दो/भ.अ./2025/660

भिलाई, दिनांक 29/05/2025

//नोटिस//

प्रति,

श्रीमती पार्वती साहू आ. भागीरथी साहू
पता- मकान नं. 61-1 खमहरिया पुरई
जिला-दुर्ग (छ.ग.)

विषय :-

अवैध रूप से भूखण्डों का विक्रय किये जाने दुस्प्रेरण करने के संबंध में।

सन्दर्भ:-

1. कार्यालय मुख्यालय वरिष्ठ उप-पंजीयक दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) का पत्र क्रमांक/101/मु.व.उ.प./2025 दुर्ग, दिनांक 24.02.2025
2. कार्यालय मुख्यालय वरिष्ठ उप-पंजीयक दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) का पत्र क्रमांक/103/मु.व.उ.प./2025 दुर्ग, दिनांक 24.02.2025

*****0000*****

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है, कि नगर पालिक निगम, भिलाई क्षेत्रान्तर्गत आपके द्वारा अवैध प्लानिंग कार्य करने साक्ष्य के रूप में कार्यालय मुख्यालय वरिष्ठ उप पंजीयक दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) द्वारा संदर्भित पत्र क्रमांक (1) व (2) के माध्यम से आपके द्वारा अपने स्वामित्व की भूमि ग्राम-कुरुद खसरा क्रमांक 485/19 को अवैध रूप से छोटे भूखण्डों में विघटित कर विक्रय किया जाने की जानकारी/दस्तावेज प्राप्त हुए हैं। जो कि उक्त खसरों का अवैध रूप से छोटे भूखण्डों में विघटित कर विक्रय किये जाने को स्पष्ट करता है। यह कृत्य छ.ग. नगर पालिक निगम तथा नगर पालिका (कॉलोनाईजर का रजिस्ट्रीकरण निर्वाधन तथा शर्तों) नियम 2013 व छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के प्रावधानों का उल्लंघन है, जिस हेतु छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के धारा 292(ग)(3) के अंतर्गत इस कृत्य हेतु कम से कम 03 वर्ष और अधिक से अधिक 07 वर्ष के कारावास से तथा न्यूनतम 01 लाख रु. के जुर्माना से दण्डित किये जाने का प्रावधान है।

अतः क्यों न आपके विरुद्ध भूमि के अवैध रूप से विखण्डन कर विक्रय करने एवं अवैध कॉलोनी के निर्माण करने का दुस्प्रेरण करने हेतु छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के धारा 292(ग)(3) के तहत कार्यवाही की जावे, इस संबंध में आप अपना पक्ष पत्र प्राप्ति के 15 दिवस के भीतर अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष उपस्थित होकर अथवा लिखित रूप से भू-स्वामी दस्तावेज एवं अन्य आवश्यक दस्तावेजों सहित प्रस्तुत करेंगे, उक्त समयावधि के भीतर अपना पक्ष प्रस्तुत नहीं किये जाने अथवा प्रस्तुत पक्ष तर्क संगत/सार्थक नहीं होने पर की स्थिति में यह मान लिया जाएगा कि आप उक्त कार्यवाही हेतु सहमत हैं।

सूचना जाने।

आयुक्त

नगर पालिक निगम
भिलाई

पृ.क्र./सात/दो/भ.अ./2025/661

भिलाई, दिनांक 29/05/2025

प्रतिलिपि :-

1. कलेक्टर, दुर्ग, जिला कार्यालय दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) को सादर सूचनार्थ।
2. पुलिस अधीक्षक, दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) को सादर सूचनार्थ।
3. जिला पंजीयक, पंजीयन कार्यालय दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) को सूचनार्थ।
4. अनुविभागीय अधिकारी (रा.), दुर्ग, जिला दुर्ग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
5. तहसीलदार, दुर्ग/अतिरिक्त तहसीलदार भिलाई नगर, जिला-दुर्ग (छ.ग.) को सूचनार्थ।
6. जोन आयुक्त, जोन क्रं. 02 वैशाली नगर, पालिक निगम, भिलाई को उपरोक्त स्थलों पर आवश्यक नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु प्रेषित।

आयुक्त

नगर पालिक निगम
भिलाई





कार्यालय, नगर पालिक निगम, भिलाई

आकाश गंगा, सुपेला, जी.ई.रोड, भिलाई, जिला-दुर्ग (छ.ग.) 490023,

ई-मेल : bhilai-nagar-nigam@cg.gov.in

क्रमांक/सात/दो/भ.अ./2025/662

भिलाई, दिनांक 29/05/2025

//नोटिस//

प्रति,

श्री आनन्द राम आ. सुधाराम
पता- 189 गोंड पारा दुर्गा मंदिर के पास
कुरुद, भिलाई, जिला-दुर्ग (छ.ग.)

विषय :-
सन्दर्भ:-

- अवैध रूप से भूखण्डों का विक्रय किये जाने दुस्प्रेरण करने के संबंध में।
- कार्यालय मुख्यालय वरिष्ठ उप-पंजीयक दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) का पत्र क्रमांक/101/मु.व.उ.प./2025 दुर्ग, दिनांक 24.02.2025
 - कार्यालय मुख्यालय वरिष्ठ उप-पंजीयक दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) का पत्र क्रमांक/103/मु.व.उ.प./2025 दुर्ग, दिनांक 24.02.2025

*****0000*****

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है, कि नगर पालिक निगम, भिलाई क्षेत्रान्तर्गत आपके द्वारा अवैध प्लानिंग कार्य करने साक्ष्य के रूप में कार्यालय मुख्यालय वरिष्ठ उप पंजीयक दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) द्वारा संदर्भित पत्र क्रमांक (1) व (2) के माध्यम से आपके द्वारा अपने स्वामित्व की भूमि ग्राम-कुरुद खसरा क्रमांक 382/1 को अवैध रूप से छोटे भूखण्डों में विघटित कर विक्रय किया जाने की जानकारी/दस्तावेज प्राप्त हुए हैं। जो कि उक्त खसरों का अवैध रूप से छोटे भूखण्डों में विघटित कर विक्रय किये जाने को स्पष्ट करता है। यह कृत्य छ.ग. नगर पालिक निगम तथा नगर पालिका (कॉलोनाईजर का रजिस्ट्रीकरण निर्बाधन तथा शर्त) नियम 2013 व छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के प्रावधानों का उल्लंघन है, जिस हेतु छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के धारा 292(ग)(3) के अंतर्गत इस कृत्य हेतु कम से कम 03 वर्ष और अधिक से अधिक 07 वर्ष के कारावास से तथा न्यूनतम 01 लाख रु. के जुर्माना से दण्डित किये जाने का प्रावधान है।

अतः क्यों न आपके विरुद्ध भूमि के अवैध रूप से विखण्डन कर विक्रय करने एवं अवैध कॉलोनी के निर्माण करने का दुस्प्रेरण करने हेतु छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के धारा 292(ग)(3) के तहत कार्यवाही की जावे, इस संबंध में आप अपना पक्ष पत्र प्राप्ति के 15 दिवस के भीतर अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष उपस्थित होकर अथवा लिखित रूप से भू-स्वामी दस्तावेज एवं अन्य आवश्यक दस्तावेजों सहित प्रस्तुत करेंगे, उक्त समयावधि के भीतर अपना पक्ष प्रस्तुत नहीं किये जाने अथवा प्रस्तुत पक्ष तर्क संगत/सार्थक नहीं होने पर की स्थिति में यह मान लिया जावेगा कि आप उक्त कार्यवाही हेतु सहमत हैं।

सूचना जाने।

आयुक्त

नगर पालिक निगम
भिलाई

पृ.क्र./सात/दो/भ.अ./2025/663

भिलाई, दिनांक 29/05/2025

प्रतिलिपि :-

- कलेक्टर, दुर्ग, जिला कार्यालय दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) को सादर सूचनार्थ।
- पुलिस अधीक्षक, दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) को सादर सूचनार्थ।
- जिला पंजीयक, पंजीयन कार्यालय दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) को सूचनार्थ।
- अनुविभागीय अधिकारी (रा.), दुर्ग, जिला दुर्ग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- तहसीलदार, दुर्ग/अतिरिक्त तहसीलदार भिलाई नगर, जिला-दुर्ग (छ.ग.) को सूचनार्थ।
- जोन आयुक्त, जोन क्रं. 02 वैशाली नगर, पालिक निगम, भिलाई को उपरोक्त स्थलों पर आवश्यक नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु प्रेषित।

आयुक्त

नगर पालिक निगम
भिलाई





कार्यालय, नगर पालिक निगम, भिलाई

आकाश गंगा, सुपेला, जी.ई.रोड, भिलाई, जिला-दुर्ग (छ.ग.) 490023,

ई-मेल : bhilai-nagar-nigam@cg.gov.in

क्रमांक/सात/दो/भ.अ./2025/664

भिलाई, दिनांक 29/05/2025

//नोटिस//

प्रति,

श्री चन्द्रकांत भौर्या आ. श्री अशोक भौर्या
पता- 180 वार्ड नं. 04 शिव मंदिर के पास
कृष्ण नगर, सुपेला, भिलाई, जिला-दुर्ग (छ.ग.)

विषय :-

सन्दर्भ:-

अवैध रूप से भूखण्डों का विक्रय किये जाने दुस्प्रेरण करने के संबंध में।

1. कार्यालय मुख्यालय वरिष्ठ उप-पंजीयक दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) का पत्र क्रमांक/101/मु.व.उ.प./2025 दुर्ग, दिनांक 24.02.2025

2. कार्यालय मुख्यालय वरिष्ठ उप-पंजीयक दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) का पत्र क्रमांक/103/मु.व.उ.प./2025 दुर्ग, दिनांक 24.02.2025

-----0000-----

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है, कि नगर पालिक निगम, भिलाई क्षेत्रान्तर्गत आपके द्वारा अवैध प्लानिंग कार्य करने साक्ष्य के रूप में कार्यालय मुख्यालय वरिष्ठ उप पंजीयक दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) द्वारा संदर्भित पत्र क्रमांक (1) व (2) के माध्यम से आपके द्वारा अपने स्वामित्व की भूमि ग्राम-कुरुद खसरा क्रमांक 1047/18 को अवैध रूप से छोटे भूखण्डों में विघटित कर विक्रय किया जाने की जानकारी/दस्तावेज प्राप्त हुए हैं। जो कि उक्त खसरों का अवैध रूप से छोटे भूखण्डों में विघटित कर विक्रय किये जाने को स्पष्ट करता है। यह कृत्य छ.ग. नगर पालिक निगम तथा नगर पालिका (कॉलोनाईजर का रजिस्ट्रीकरण निर्बाधन तथा शर्त) नियम 2013 व छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के प्रावधानों का उल्लंघन है, जिस हेतु छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के धारा 292(ग)(3) के अंतर्गत इस कृत्य हेतु कम से कम 03 वर्ष और अधिक से अधिक 07 वर्ष के कारावास से तथा न्यूनतम 01 लाख रु. के जुर्माना से दण्डित किये जाने का प्रावधान है।

अतः क्यों न आपके विरुद्ध भूमि के अवैध रूप से विखण्डन कर विक्रय करने एवं अवैध कॉलोनी के निर्माण करने का दुस्प्रेरण करने हेतु छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के धारा 292(ग)(3) के तहत कार्यवाही की जावे, इस संबंध में आप अपना पक्ष पत्र प्राप्ति के 15 दिवस के भीतर अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष उपस्थित होकर अथवा लिखित रूप से भू-स्वामी दस्तावेज एवं अन्य आवश्यक दस्तावेजों सहित प्रस्तुत करेंगे, उक्त समयवाधि के भीतर अपना पक्ष प्रस्तुत नहीं किये जाने अथवा प्रस्तुत पक्ष तर्क संगत/सार्थक नहीं होने पर की स्थिति में यह मान लिया जावेगा कि आप उक्त कार्यवाही हेतु सहमत हैं।

सूचना जाने।

आयुक्त

नगर पालिक निगम

भिलाई

पृ.क्र./सात/दो/भ.अ./2025/665

भिलाई, दिनांक 29/05/2025

प्रतिलिपि :-

1. कलेक्टर, दुर्ग, जिला कार्यालय दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) को सादर सूचनार्थ।
2. पुलिस अधीक्षक, दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) को सादर सूचनार्थ।
3. जिला पंजीयक, पंजीयन कार्यालय दुर्ग, जिला- दुर्ग (छ.ग.) को सूचनार्थ।
4. अनुविभागीय अधिकारी (रा.), दुर्ग, जिला दुर्ग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
5. तहसीलदार, दुर्ग/अतिरिक्त तहसीलदार भिलाई नगर, जिला- दुर्ग (छ.ग.) को सूचनार्थ।
6. जोन आयुक्त, जोन क्रं. 02 वैशाली नगर, पालिक निगम, भिलाई को उपरोक्त स्थलों पर आवश्यक नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु प्रेषित।

आयुक्त

नगर पालिक निगम

भिलाई





कार्यालय, नगर पालिक निगम, भिलाई

आकाश गंगा, सुपेला, जी.ई.रोड, भिलाई, जिला-दुर्ग (छ.ग.) 490023,

ई-मेल : bhilai-nagar-nigam@cg.gov.in

क्रमांक/सात/दो/भ.अ./2025/666

भिलाई, दिनांक 29/05/2025

//नोटिस//

प्रति,

श्री दौलत राम देवांगन आ. बचन लाल देवांगन
पता- 505 संजय नगर, राजेन्द्र किराणा स्टोर्स
के पास, सुपेला, भिलाई, जिला-दुर्ग (छ.ग.)

विषय :- अवैध रूप से भूखण्डों का विक्रय किये जाने दुस्प्रेरण करने के संबंध में।

सन्दर्भ:- 1. कार्यालय मुख्यालय वरिष्ठ उप-पंजीयक दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) का पत्र
क्रमांक/101/मु.व.उ.प./2025 दुर्ग, दिनांक 24.02.2025
2. कार्यालय मुख्यालय वरिष्ठ उप-पंजीयक दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) का पत्र
क्रमांक/103/मु.व.उ.प./2025 दुर्ग, दिनांक 24.02.2025

-----0000-----

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है, कि नगर पालिक निगम, भिलाई क्षेत्रान्तर्गत आपके द्वारा अवैध प्लानिंग कार्य करने साक्ष्य के रूप में कार्यालय मुख्यालय वरिष्ठ उप पंजीयक दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) द्वारा संदर्भित पत्र क्रमांक (1) व (2) के माध्यम से आपके द्वारा अपने स्वामित्व की भूमि ग्राम-कुरुद खसरा क्रमांक 1047/21 को अवैध रूप से छोटे भूखण्डों में विघटित कर विक्रय किया जाने की जानकारी/दस्तावेज प्राप्त हुए हैं। जो कि उक्त खसरा के अवैध रूप से छोटे भूखण्डों में विघटित कर विक्रय किये जाने को स्पष्ट करता है। यह कृत्य छ.ग. नगर पालिक निगम तथा नगर पालिका (कॉलोनाईजर का रजिस्ट्रीकरण निर्बाधन तथा शर्तों) नियम 2013 व छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के प्रावधानों का उल्लंघन है, जिस हेतु छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के धारा 292(ग)(3) के अंतर्गत इस कृत्य हेतु कम से कम 03 वर्ष और अधिक से अधिक 07 वर्ष के कारावास से तथा न्यूनतम 01 लाख रु. के जुर्माना से दण्डित किये जाने का प्रावधान है।

अतः क्यों न आपके विरुद्ध भूमि के अवैध रूप से विखण्डन कर विक्रय करने एवं अवैध कॉलोनी के निर्माण करने का दुस्प्रेरण करने हेतु छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के धारा 292(ग)(3) के तहत कार्यवाही की जावे, इस संबंध में आप अपना पक्ष पत्र प्राप्ति के 15 दिवस के भीतर अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष उपस्थित होकर अथवा लिखित रूप से भू-स्वामी दस्तावेज एवं अन्य आवश्यक दस्तावेजों सहित प्रस्तुत करेंगे, उक्त समयावधि के भीतर अपना पक्ष प्रस्तुत नहीं किये जाने अथवा प्रस्तुत पक्ष तर्क संगत/सार्थक नहीं होने पर की स्थिति में यह मान लिया जावेगा कि आप उक्त कार्यवाही हेतु सहमत हैं।

सूचना जाने।

आयुक्त

नगर पालिक निगम
भिलाई

पृ.क्र./सात/दो/भ.अ./2025/667

भिलाई, दिनांक 29/05/2025

प्रतिलिपि :-

1. कलेक्टर, दुर्ग, जिला कार्यालय दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) को सादर सूचनार्थ।
2. पुलिस अधीक्षक, दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) को सादर सूचनार्थ।
3. जिला पंजीयक, पंजीयन कार्यालय दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) को सूचनार्थ।
4. अनुविभागीय अधिकारी (रा.), दुर्ग, जिला दुर्ग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
5. तहसीलदार, दुर्ग/अतिरिक्त तहसीलदार भिलाई नगर, जिला-दुर्ग (छ.ग.) को सूचनार्थ।
6. जोन आयुक्त, जोन क्रं. 02 वैशाली नगर, पालिक निगम, भिलाई को उपरोक्त स्थलों पर आवश्यक नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु प्रेषित।

आयुक्त

नगर पालिक निगम
भिलाई





कार्यालय, नगर पालिक निगम, भिलाई

आकाश गंगा, सुपेला, जी.ई.रोड, भिलाई, जिला-दुर्ग (छ.ग.) 490023,

ई-मेल : bhilai-nagar-nigam@cg.gov.in

क्रमांक/सात/दो/भ.अ./2025/668

भिलाई, दिनांक 29/05/2025

//नोटिस//

प्रति,

मेसर्स टी.सी.डी. ट्रेडर्स प्रा.लि.

डायरेक्टर श्री विशाल केजरीवाल आ. सुरेश केजरीवाल

पता- मोतीलाल नेहरू नगर (पूर्व), भिलाई

जिला-दुर्ग (छ.ग.)

विषय :-

सन्दर्भ:-

अवैध रूप से भूखण्डों का विक्रय किये जाने दुस्प्रेरण करने के संबंध में।

1. कार्यालय मुख्यालय वरिष्ठ उप-पंजीयक दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) का पत्र क्रमांक/101/मु.व.उ.प./2025 दुर्ग, दिनांक 24.02.2025

2. कार्यालय मुख्यालय वरिष्ठ उप-पंजीयक दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) का पत्र क्रमांक/103/मु.व.उ.प./2025 दुर्ग, दिनांक 24.02.2025

*****0000*****

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है, कि नगर पालिक निगम, भिलाई क्षेत्रान्तर्गत आपके द्वारा अवैध प्लॉटिंग कार्य करने साक्ष्य के रूप में कार्यालय मुख्यालय वरिष्ठ उप पंजीयक दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) द्वारा संदर्भित पत्र क्रमांक (1) व (2) के माध्यम से आपके द्वारा अपने स्वामित्व की भूमि ग्राम-कुरुद खसरा क्रमांक 1047/1, 1047/6 को अवैध रूप से छोटे भूखण्डों में विघटित कर विक्रय किया जाने की जानकारी/दस्तावेज प्राप्त हुए हैं। जो कि उक्त खसराओं का अवैध रूप से छोटे भूखण्डों में विघटित कर विक्रय किये जाने को स्पष्ट करता है। यह कृत्य छ.ग. नगर पालिक निगम तथा नगर पालिका (कॉलोनाईजर का रजिस्ट्रीकरण निर्बाधन तथा शर्तें) नियम 2013 व छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के प्रावधानों का उल्लंघन है, जिस हेतु छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के धारा 292(ग)(3) के अंतर्गत इस कृत्य हेतु कम से कम 03 वर्ष और अधिक से अधिक 07 वर्ष के कारावास से तथा न्यूनतम 01 लाख रु. के जुर्माना से दण्डित किये जाने का प्रावधान है।

अतः क्यों न आपके विरुद्ध भूमि के अवैध रूप से विखण्डन कर विक्रय करने एवं अवैध कॉलोनी के निर्माण करने का दुस्प्रेरण करने हेतु छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के धारा 292(ग)(3) के तहत कार्यवाही की जावे, इस संबंध में आप अपना पक्ष पत्र प्राप्ति के 15 दिवस के भीतर अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष उपस्थित होकर अथवा लिखित रूप से भू-स्वामी दस्तावेज एवं अन्य आवश्यक दस्तावेजों सहित प्रस्तुत करेंगे, उक्त समयावधि के भीतर अपना पक्ष प्रस्तुत नहीं किये जाने अथवा प्रस्तुत पक्ष तर्क संगत/सार्थक नहीं होने पर की स्थिति में यह मान लिया जाएगा कि आप उक्त कार्यवाही हेतु सहमत हैं।

सूचना जाने।

आयुक्त

नगर पालिक निगम
भिलाई

पृ.क्र./सात/दो/भ.अ./2025/669

भिलाई, दिनांक 29/05/2025

प्रतिलिपि :-

1. कलेक्टर, दुर्ग, जिला कार्यालय दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) को सादर सूचनार्थ।
2. पुलिस अधीक्षक, दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) को सादर सूचनार्थ।
3. जिला पंजीयक, पंजीयन कार्यालय दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) को सूचनार्थ।
4. अनुविभागीय अधिकारी (रा.), दुर्ग, जिला दुर्ग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
5. तहसीलदार, दुर्ग/अतिरिक्त तहसीलदार भिलाई नगर, जिला-दुर्ग (छ.ग.) को सूचनार्थ।
6. जोन आयुक्त, जोन क्रं. 02 वैशाली नगर, पालिक निगम, भिलाई को उपरोक्त स्थलों पर आवश्यक नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु प्रेषित।

आयुक्त

नगर पालिक निगम
भिलाई





कार्यालय, नगर पालिक निगम, भिलाई

आकाश गंगा, सुपेला, जी.ई.रोड, भिलाई, जिला-दुर्ग (छ.ग.) 490023,

ई-मेल : bhilai-nagar-nigam@cg.gov.in

क्रमांक/सात/दो/भ.अ./2025/670

भिलाई, दिनांक 29/05/2025

//नोटिस//

प्रति,

महोबिया बिल्डर्स प्रा.लि. (डायरेक्टर)

1. श्री प्रकाश महोबिया आ. रामचरण महोबिया

पता- प्लॉट 01, ब्लॉक 01, जवाहर, नगर, सुपेला, भिलाई

2. संजय बुंदेला आ. निर्मल बुंदेला

पता- क्वा. 01, ब्लॉक 01, बाबादीप सिंह नगर, जवाहर, नगर, भिलाई

विषय :-

अवैध रूप से भूखण्डों का विक्रय किये जाने दुस्प्रेरण करने के संबंध में।

सन्दर्भ:-

1. कार्यालय मुख्यालय वरिष्ठ उप-पंजीयक दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) का पत्र क्रमांक/101/मु.व.उ.प./2025 दुर्ग, दिनांक 24.02.2025

2. कार्यालय मुख्यालय वरिष्ठ उप-पंजीयक दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) का पत्र क्रमांक/103/मु.व.उ.प./2025 दुर्ग, दिनांक 24.02.2025

*****0000*****

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है, कि नगर पालिक निगम, भिलाई क्षेत्रान्तर्गत आपके द्वारा अवैध प्लॉटिंग कार्य करने साक्ष्य के रूप में कार्यालय मुख्यालय वरिष्ठ उप पंजीयक दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) द्वारा संदर्भित पत्र क्रमांक (1) व (2) के माध्यम से आपके द्वारा अपने स्वामित्व की भूमि ग्राम-कुरुद खसरा क्रमांक 1047/44, 1047/45, 1047/46, 1047/47, 1047/48, 1047/49, 1047/50, 1047/51 को अवैध रूप से छोटे भूखण्डों में विघटित कर विक्रय किया जाने की जानकारी/दस्तावेज प्राप्त हुए हैं। जो कि उक्त खसरों का अवैध रूप से छोटे भूखण्डों में विघटित कर विक्रय किये जाने को स्पष्ट करता है। यह कृत्य छ.ग. नगर पालिक निगम तथा नगर पालिका (कॉलोनाईजर का रजिस्ट्रीकरण निर्बाधन तथा शर्तें) नियम 2013 व छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के प्रावधानों का उल्लंघन है, जिस हेतु छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के धारा 292(ग)(3) के अंतर्गत इस कृत्य हेतु कम से कम 03 वर्ष और अधिक से अधिक 07 वर्ष के कारावास से तथा न्यूनतम 01 लाख रु. के जुर्माना से दण्डित किये जाने का प्रावधान है।

अतः क्यों न आपके विरुद्ध भूमि के अवैध रूप से विखण्डन कर विक्रय करने एवं अवैध कॉलोनी के निर्माण करने का दुस्प्रेरण करने हेतु छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के धारा 292(ग)(3) के तहत कार्यवाही की जावे, इस संबंध में आप अपना पक्ष पत्र प्राप्ति के 15 दिवस के भीतर अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष उपस्थित होकर अथवा लिखित रूप से भू-स्वामी दस्तावेज एवं अन्य आवश्यक दस्तावेजों सहित प्रस्तुत करेंगे, उक्त समयावधि के भीतर अपना पक्ष प्रस्तुत नहीं किये जाने अथवा प्रस्तुत पक्ष तर्क संगत/सार्थक नहीं होने पर की स्थिति में यह मान लिया जावेगा कि आप उक्त कार्यवाही हेतु सहमत हैं।

सूचना जाने।

आयुक्त

नगर पालिक निगम
भिलाई

पृ.क्र./सात/दो/भ.अ./2025/671

भिलाई, दिनांक 29/05/2025

प्रतिलिपि :-

1. कलेक्टर, दुर्ग, जिला कार्यालय दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) को सादर सूचनार्थ।
2. पुलिस अधीक्षक, दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) को सादर सूचनार्थ।
3. जिला पंजीयक, पंजीयन कार्यालय दुर्ग, जिला- दुर्ग (छ.ग.) को सूचनार्थ।
4. अनुविभागीय अधिकारी (रा.), दुर्ग, जिला दुर्ग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
5. तहसीलदार, दुर्ग/अतिरिक्त तहसीलदार भिलाई नगर, जिला- दुर्ग (छ.ग.) को सूचनार्थ।
6. जोन आयुक्त, जोन क्रं. 02 वैशाली नगर, पालिक निगम, भिलाई को उपरोक्त स्थलों पर आवश्यक नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु प्रेषित।

आयुक्त

नगर पालिक निगम
भिलाई





कार्यालय, नगर पालिक निगम, भिलाई

आकाश गंगा, सुपेला, जी.ई.रोड, भिलाई, जिला-दुर्ग (छ.ग.) 490023,

ई-मेल : bhilai-nagar-nigam@cg.gov.in

क्रमांक/सात/दो/भ.अ./2025/672

भिलाई, दिनांक 29/05/2025

//नोटिस//

प्रति,

श्री आनंद जैन आ. महावीर जैन
पता- सड़क नं. 18 स्मृति नगर, मोतीलाल
नेहरू नगर, भिलाई, जिला-दुर्ग (छ.ग.)

विषय :-

सन्दर्भ:-

अवैध रूप से भूखण्डों का विक्रय किये जाने दुस्प्रेरण करने के संबंध में।

1. कार्यालय मुख्यालय वरिष्ठ उप-पंजीयक दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) का पत्र
क्रमांक/101/मु.व.उ.प./2025 दुर्ग, दिनांक 24.02.2025

2. कार्यालय मुख्यालय वरिष्ठ उप-पंजीयक दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) का पत्र
क्रमांक/103/मु.व.उ.प./2025 दुर्ग, दिनांक 24.02.2025

-----0000-----

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है, कि नगर पालिक निगम, भिलाई क्षेत्रान्तर्गत आपके द्वारा अवैध प्लानिंग कार्य करने साक्ष्य के रूप में कार्यालय मुख्यालय वरिष्ठ उप पंजीयक दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) द्वारा संदर्भित पत्र क्रमांक (1) व (2) के माध्यम से आपके द्वारा अपने स्वामित्व की भूमि ग्राम-कुरुद खसरा क्रमांक 1332/8, 1332/9, 1332/17, 1332/18, 1332/20 को अवैध रूप से छोटे भूखण्डों में विघटित कर विक्रय किया जाने की जानकारी/दस्तावेज प्राप्त हुए हैं। जो कि उक्त खसरो का अवैध रूप से छोटे भूखण्डों में विघटित कर विक्रय किये जाने को स्पष्ट करता है। यह कृत्य छ.ग. नगर पालिक निगम तथा नगर पालिका (कॉलोनाईजर का रजिस्ट्रीकरण निर्बाधन तथा शर्तों) नियम 2013 व छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के प्रावधानों का उल्लंघन है, जिस हेतु छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के धारा 292(ग)(3) के अंतर्गत इस कृत्य हेतु कम से कम 03 वर्ष और अधिक से अधिक 07 वर्ष के कारावास से तथा न्यूनतम 01 लाख रु. के जुर्माना से दण्डित किये जाने का प्रावधान है।

अतः क्यों न आपके विरुद्ध भूमि के अवैध रूप से विखण्डन कर विक्रय करने एवं अवैध कॉलोनी के निर्माण करने का दुस्प्रेरण करने हेतु छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के धारा 292(ग)(3) के तहत कार्यवाही की जावे, इस संबंध में आप अपना पक्ष पत्र प्राप्ति के 15 दिवस के भीतर अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष उपस्थित होकर अथवा लिखित रूप से भू-स्वामी दस्तावेज एवं अन्य आवश्यक दस्तावेजों सहित प्रस्तुत करेंगे, उक्त समयावधि के भीतर अपना पक्ष प्रस्तुत नहीं किये जाने अथवा प्रस्तुत पक्ष तर्क संगत/सार्थक नहीं होने पर की स्थिति में यह मान लिया जावेगा कि आप उक्त कार्यवाही हेतु सहमत हैं।

सूचना जाने।

आयुक्त

नगर पालिक निगम
भिलाई

पृ.क्र./सात/दो/भ.अ./2025/673

भिलाई, दिनांक 29/05/2025

प्रतिलिपि :-

1. कलेक्टर, दुर्ग, जिला कार्यालय दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) को सादर सूचनार्थ।
2. पुलिस अधीक्षक, दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) को सादर सूचनार्थ।
3. जिला पंजीयक, पंजीयन कार्यालय दुर्ग, जिला- दुर्ग (छ.ग.) को सूचनार्थ।
4. अनुविभागीय अधिकारी (रा.), दुर्ग, जिला दुर्ग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
5. तहसीलदार, दुर्ग/अतिरिक्त तहसीलदार भिलाई नगर, जिला- दुर्ग (छ.ग.) को सूचनार्थ।
6. जोन आयुक्त, जोन क्रं. 02 वैशाली नगर, पालिक निगम, भिलाई को उपरोक्त स्थलों पर आवश्यक नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु प्रेषित।

आयुक्त

नगर पालिक निगम
भिलाई





कार्यालय, नगर पालिक निगम, भिलाई

आकाश गंगा, सुपेला, जी.ई.रोड, भिलाई, जिला-दुर्ग (छ.ग.) 490023,

ई-मेल : bhilai-nagar-nigam@cg.gov.in

क्रमांक/सात/दो/भ.अ./2025/674

भिलाई, दिनांक 29/05/2025

//नोटिस//

प्रति,

खुशबु जैन / श्री पारस जैन
पता- सड़क नं. 18 स्मृति नगर, मोतीलाल
नेहरू नगर, भिलाई, जिला-दुर्ग (छ.ग.)

विषय :- अवैध रूप से भूखण्डों का विक्रय किये जाने दुस्प्रेरण करने के संबंध में।
सन्दर्भ:- 1. कार्यालय मुख्यालय वरिष्ठ उप-पंजीयक दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) का पत्र
क्रमांक/101/मु.व.उ.प./2025 दुर्ग, दिनांक 24.02.2025
2. कार्यालय मुख्यालय वरिष्ठ उप-पंजीयक दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) का पत्र
क्रमांक/103/मु.व.उ.प./2025 दुर्ग, दिनांक 24.02.2025

-----0000-----

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है, कि नगर पालिक निगम, भिलाई क्षेत्रान्तर्गत आपके द्वारा अवैध प्लॉटिंग कार्य करने साक्ष्य के रूप में कार्यालय मुख्यालय वरिष्ठ उप पंजीयक दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) द्वारा संदर्भित पत्र क्रमांक (1) व (2) के माध्यम से आपके द्वारा अपने स्वामित्व की भूमि ग्राम-कुरुद खसरा क्रमांक 1327/1, 1328/3 को अवैध रूप से छोटे भूखण्डों में विघटित कर विक्रय किया जाने की जानकारी/दस्तावेज प्राप्त हुए हैं। जो कि उक्त खसरों का अवैध रूप से छोटे भूखण्डों में विघटित कर विक्रय किये जाने को स्पष्ट करता है। यह कृत्य छ.ग. नगर पालिक निगम तथा नगर पालिका (कॉलोनाईजर का रजिस्ट्रीकरण निर्वाधन तथा शर्तों) नियम 2013 व छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के प्रावधानों का उल्लंघन है, जिस हेतु छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के धारा 292(ग)(3) के अंतर्गत इस कृत्य हेतु कम से कम 03 वर्ष और अधिक से अधिक 07 वर्ष के कारावास से तथा न्यूनतम 01 लाख रु. के जुर्माना से दण्डित किये जाने का प्रावधान है।

अतः क्यों न आपके विरुद्ध भूमि के अवैध रूप से विखण्डन कर विक्रय करने एवं अवैध कॉलोनी के निर्माण करने का दुस्प्रेरण करने हेतु छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के धारा 292(ग)(3) के तहत कार्यवाही की जावे, इस संबंध में आप अपना पक्ष पत्र प्राप्ति के 15 दिवस के भीतर अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष उपस्थित होकर अथवा लिखित रूप से भू-स्वामी दस्तावेज एवं अन्य आवश्यक दस्तावेजों सहित प्रस्तुत करेंगे, उक्त समयावधि के भीतर अपना पक्ष प्रस्तुत नहीं किये जाने अथवा प्रस्तुत पक्ष तर्क संगत/सार्थक नहीं होने पर की स्थिति में यह मान लिया जाएगा कि आप उक्त कार्यवाही हेतु सहमत हैं।

सूचना जाने।

आयुक्त
नगर पालिक निगम
भिलाई

पृ.क्र./सात/दो/भ.अ./2025/675

भिलाई, दिनांक 29/05/2025

प्रतिलिपि :-

1. कलेक्टर, दुर्ग, जिला कार्यालय दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) को सादर सूचनार्थ।
2. पुलिस अधीक्षक, दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) को सादर सूचनार्थ।
3. जिला पंजीयक, पंजीयन कार्यालय दुर्ग, जिला- दुर्ग (छ.ग.) को सूचनार्थ।
4. अनुविभागीय अधिकारी (रा.), दुर्ग, जिला दुर्ग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
5. तहसीलदार, दुर्ग/अतिरिक्त तहसीलदार भिलाई नगर, जिला- दुर्ग (छ.ग.) को सूचनार्थ।
6. जोन आयुक्त, जोन क्रं. 02 वैशाली नगर, पालिक निगम, भिलाई को उपरोक्त स्थलों पर आवश्यक नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु प्रेषित।

आयुक्त
नगर पालिक निगम
भिलाई





कार्यालय, नगर पालिक निगम, भिलाई

आकाश गंगा, सुपेला, जी.ई.रोड, भिलाई, जिला-दुर्ग (छ.ग.) 490023,

ई-मेल : bhilai-nagar-nigam@cg.gov.in

क्रमांक/सात/दो/भ.अ./2025/676

भिलाई, दिनांक 29/05/2025

//नोटिस//

प्रति,

अभयम एसोसिएट्स

पार्टनर 1 श्री सुभाष चन्द्र दुबे आ.स्व. लखन दुबे

2. श्री रमेश कुमार जैन आ. मंगलचंद जैन

3. श्री सुशांत दुखहरण सिंह आ. दुखहरण सिंह

पता- सड़क नं. 02 जवाहर नगर सुपेला, भिलाई

विषय :- अवैध रूप से भूखण्डों का विक्रय किये जाने दुस्प्रेरण करने के संबंध में।

सन्दर्भ:- 1. कार्यालय मुख्यालय वरिष्ठ उप-पंजीयक दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) का पत्र

क्रमांक/101/मु.व.उ.प./2025 दुर्ग, दिनांक 24.02.2025

2. कार्यालय मुख्यालय वरिष्ठ उप-पंजीयक दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) का पत्र

क्रमांक/103/मु.व.उ.प./2025 दुर्ग, दिनांक 24.02.2025

-----0000-----

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है, कि नगर पालिक निगम, भिलाई क्षेत्रान्तर्गत आपके द्वारा अवैध प्लानिंग कार्य करने साक्ष्य के रूप में कार्यालय मुख्यालय वरिष्ठ उप पंजीयक दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) द्वारा संदर्भित पत्र क्रमांक (1) व (2) के माध्यम से आपके द्वारा अपने स्वामित्व की भूमि ग्राम-कुरुद खसरा क्रमांक 1332/11 को अवैध रूप से छोटे भूखण्डों में विघटित कर विक्रय किया जाने की जानकारी/दस्तावेज प्राप्त हुए हैं। जो कि उक्त खसराओं का अवैध रूप से छोटे भूखण्डों में विघटित कर विक्रय किये जाने को स्पष्ट करता है। यह कृत्य छ.ग. नगर पालिक निगम तथा नगर पालिका (कॉलोनाईजर का रजिस्ट्रीकरण निर्बाधन तथा शर्तों) नियम 2013 व छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के प्रावधानों का उल्लंघन है, जिस हेतु छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के धारा 292(ग)(3) के अंतर्गत इस कृत्य हेतु कम से कम 03 वर्ष और अधिक से अधिक 07 वर्ष के कारावास से तथा न्यूनतम 01 लाख रु. के जुर्माना से दण्डित किये जाने का प्रावधान है।

अतः क्यों न आपके विरुद्ध भूमि के अवैध रूप से विखण्डन कर विक्रय करने एवं अवैध कॉलोनी के निर्माण करने का दुस्प्रेरण करने हेतु छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के धारा 292(ग)(3) के तहत कार्यवाही की जावे, इस संबंध में आप अपना पक्ष पत्र प्राप्ति के 15 दिवस के भीतर अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष उपस्थित होकर अथवा लिखित रूप से भू-स्वामी दस्तावेज एवं अन्य आवश्यक दस्तावेजों सहित प्रस्तुत करेंगे, उक्त समयावधि के भीतर अपना पक्ष प्रस्तुत नहीं किये जाने अथवा प्रस्तुत पक्ष तर्क संगत/सार्थक नहीं होने पर की स्थिति में यह मान लिया जावेगा कि आप उक्त कार्यवाही हेतु सहमत हैं।

सूचना जाने।

आयुक्त

नगर पालिक निगम

भिलाई

भिलाई, दिनांक 29/05/2025

पृ.क्र./सात/दो/भ.अ./2025/677

प्रतिलिपि :-

1. कलेक्टर, दुर्ग, जिला कार्यालय दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) को सादर सूचनार्थ।
2. पुलिस अधीक्षक, दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) को सादर सूचनार्थ।
3. जिला पंजीयक, पंजीयन कार्यालय दुर्ग, जिला- दुर्ग (छ.ग.) को सूचनार्थ।
4. अनुविभागीय अधिकारी (रा.), दुर्ग, जिला दुर्ग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
5. तहसीलदार, दुर्ग/अतिरिक्त तहसीलदार भिलाई नगर, जिला- दुर्ग (छ.ग.) को सूचनार्थ।
6. जोन आयुक्त, जोन क्रं. 02 वैशाली नगर, पालिक निगम, भिलाई को उपरोक्त स्थलों पर आवश्यक नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु प्रेषित।

आयुक्त

नगर पालिक निगम

भिलाई





कार्यालय, नगर पालिक निगम, भिलाई

आकाश गंगा, सूपेला, जी.ई.रोड, भिलाई, जिला-दुर्ग (छ.ग.) 490023,

ई-मेल : bhilai-nagar-nigam@cg.gov.in

क्रमांक/सात/दो/भ.अ./2025/678

भिलाई, दिनांक 29/05/2025

//नोटिस//

प्रति,

1. श्री इतवारी राम देवांगन आ.स्व. फिरंगी
2. श्रीमती ठगिया बाई देवांगन पति श्री इतवारी राम देवांगन
पता- 829 बाजार चौक भाठा पारा कुरुद
भिलाई, जिला-दुर्ग (छ.ग.)

विषय :-

अवैध रूप से भूखण्डों का विक्रय किये जाने दुस्प्रेरण करने के संबंध में।

सन्दर्भ:-

1. कार्यालय मुख्यालय वरिष्ठ उप-पंजीयक दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) का पत्र क्रमांक/101/मु.व.उ.प./2025 दुर्ग, दिनांक 24.02.2025
2. कार्यालय मुख्यालय वरिष्ठ उप-पंजीयक दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) का पत्र क्रमांक/103/मु.व.उ.प./2025 दुर्ग, दिनांक 24.02.2025

*****0000*****

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है, कि नगर पालिक निगम, भिलाई क्षेत्रान्तर्गत आपके द्वारा अवैध प्लॉटिंग कार्य करने साक्ष्य के रूप में कार्यालय मुख्यालय वरिष्ठ उप पंजीयक दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) द्वारा संदर्भित पत्र क्रमांक (1) व (2) के माध्यम से आपके द्वारा अपने स्वामित्व की भूमि ग्राम-कुरुद खसरा क्रमांक 1326/1 को अवैध रूप से छोटे भूखण्डों में विघटित कर विक्रय किया जाने की जानकारी/दस्तावेज प्राप्त हुए हैं। जो कि उक्त खसरों का अवैध रूप से छोटे भूखण्डों में विघटित कर विक्रय किये जाने को स्पष्ट करता है। यह कृत्य छ.ग. नगर पालिक निगम तथा नगर पालिका (कॉलोनाईजर का रजिस्ट्रीकरण निर्बाधन तथा शर्तों) नियम 2013 व छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के प्रावधानों का उल्लंघन है, जिस हेतु छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के धारा 292(ग)(3) के अंतर्गत इस कृत्य हेतु कम से कम 03 वर्ष और अधिक से अधिक 07 वर्ष के कारावास से तथा न्यूनतम 01 लाख रु. के जुर्माना से दण्डित किये जाने का प्रावधान है।

अतः क्यों न आपके विरुद्ध भूमि के अवैध रूप से विखण्डन कर विक्रय करने एवं अवैध कॉलोनी के निर्माण करने का दुस्प्रेरण करने हेतु छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के धारा 292(ग)(3) के तहत कार्यवाही की जावे, इस संबंध में आप अपना पक्ष पत्र प्राप्ति के 15 दिवस के भीतर अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष उपस्थित होकर अथवा लिखित रूप से भू-स्वामी दस्तावेज एवं अन्य आवश्यक दस्तावेजों सहित प्रस्तुत करेंगे, उक्त समयावधि के भीतर अपना पक्ष प्रस्तुत नहीं किये जाने अथवा प्रस्तुत पक्ष तर्क संगत/सार्थक नहीं होने पर की स्थिति में यह मान लिया जावेगा कि आप उक्त कार्यवाही हेतु सहमत हैं।

सूचना जाने।

आयुक्त

नगर पालिक निगम
भिलाई

पृ.क्र./सात/दो/भ.अ./2025/679

भिलाई, दिनांक 29/05/2025

प्रतिलिपि :-

1. कलेक्टर, दुर्ग, जिला कार्यालय दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) को सादर सूचनार्थ।
2. पुलिस अधीक्षक, दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) को सादर सूचनार्थ।
3. जिला पंजीयक, पंजीयन कार्यालय दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) को सूचनार्थ।
4. अनुविभागीय अधिकारी (रा.), दुर्ग, जिला दुर्ग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
5. तहसीलदार, दुर्ग/अतिरिक्त तहसीलदार भिलाई नगर, जिला-दुर्ग (छ.ग.) को सूचनार्थ।
6. जोन आयुक्त, जोन क्रं. 02 वैशाली नगर, पालिक निगम, भिलाई को उपरोक्त स्थलों पर आवश्यक नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु प्रेषित।

आयुक्त

नगर पालिक निगम
भिलाई





कार्यालय, नगर पालिक निगम, भिलाई

आकाश गंगा, सुपेला, जी.ई.रोड, भिलाई, जिला-दुर्ग (छ.ग.) 490023,
ई-मेल : bhilai-nagar-nigam@cg.gov.in

क्रमांक/सात/दो/भ.अ./2025/680

भिलाई, दिनांक 29/05/2025

//नोटिस//

प्रति,

1. श्री राजेश कुमार कश्यप आ. श्री रामहित कश्यप
 2. श्री बलदाउ आ.स्व. रामजी साहू
- पता- राजीव नगर सुपेला, पुरानी बस्ती कुरुद
भिलाई, जिला-दुर्ग (छ.ग.)

विषय :-

सन्दर्भ:-

अवैध रूप से भूखण्डों का विक्रय किये जाने दुस्प्रेरण करने के संबंध में।

1. कार्यालय मुख्यालय वरिष्ठ उप-पंजीयक दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) का पत्र क्रमांक/101/मु.व.उ.प./2025 दुर्ग, दिनांक 24.02.2025
2. कार्यालय मुख्यालय वरिष्ठ उप-पंजीयक दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) का पत्र क्रमांक/103/मु.व.उ.प./2025 दुर्ग, दिनांक 24.02.2025

00000000

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है, कि नगर पालिक निगम, भिलाई क्षेत्रान्तर्गत आपके द्वारा अवैध प्लॉटिंग कार्य करने साक्ष्य के रूप में कार्यालय मुख्यालय वरिष्ठ उप पंजीयक दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) द्वारा संदर्भित पत्र क्रमांक (1) व (2) के माध्यम से आपके द्वारा अपने स्वामित्व की भूमि ग्राम-कुरुद खसरा क्रमांक 383/1 को अवैध रूप से छोटे भूखण्डों में विघटित कर विक्रय किया जाने की जानकारी/दस्तावेज प्राप्त हुए हैं। जो कि उक्त खसराओं का अवैध रूप से छोटे भूखण्डों में विघटित कर विक्रय किये जाने को स्पष्ट करता है। यह कृत्य छ.ग. नगर पालिक निगम तथा नगर पालिका (कॉलोनाईजर का रजिस्ट्रीकरण निर्बाधन तथा शर्त) नियम 2013 व छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के प्रावधानों का उल्लंघन है, जिस हेतु छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के धारा 292(ग)(3) के अंतर्गत इस कृत्य हेतु कम से कम 03 वर्ष और अधिक से अधिक 07 वर्ष के कारावास से तथा न्यूनतम 01 लाख रु. के जुर्माना से दण्डित किये जाने का प्रावधान है।

अतः क्यों न आपके विरुद्ध भूमि के अवैध रूप से विखण्डन कर विक्रय करने एवं अवैध कॉलोनी के निर्माण करने का दुस्प्रेरण करने हेतु छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के धारा 292(ग)(3) के तहत कार्यवाही की जावे, इस संबंध में आप अपना पक्ष पत्र प्राप्ति के 15 दिवस के भीतर अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष उपस्थित होकर अथवा लिखित रूप से भू-स्वामी दस्तावेज एवं अन्य आवश्यक दस्तावेजों सहित प्रस्तुत करेंगे, उक्त समयावधि के भीतर अपना पक्ष प्रस्तुत नहीं किये जाने अथवा प्रस्तुत पक्ष तर्क संगत/सार्थक नहीं होने पर की स्थिति में यह मान लिया जावेगा कि आप उक्त कार्यवाही हेतु सहमत हैं।

सूचना जाने।

आयुक्त

नगर पालिक निगम
भिलाई

पु.क्र./सात/दो/भ.अ./2025/68।

भिलाई, दिनांक 29/05/2025

प्रतिलिपि :-

1. कलेक्टर, दुर्ग, जिला कार्यालय दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) को सादर सूचनार्थ।
2. पुलिस अधीक्षक, दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) को सादर सूचनार्थ।
3. जिला पंजीयक, पंजीयन कार्यालय दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) को सूचनार्थ।
4. अनुविभागीय अधिकारी (रा.), दुर्ग, जिला दुर्ग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
5. तहसीलदार, दुर्ग/अतिरिक्त तहसीलदार भिलाई नगर, जिला-दुर्ग (छ.ग.) को सूचनार्थ।
6. जोन आयुक्त, जोन क्रं. 02 वैशाली नगर, पालिक निगम, भिलाई को उपरोक्त स्थलों पर आवश्यक नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु प्रेषित।

आयुक्त

नगर पालिक निगम
भिलाई





कार्यालय, नगर पालिक निगम, भिलाई

आकाश गंगा, सुपेला, जी.ई.रोड, भिलाई, जिला-दुर्ग (छ.ग.) 490023,
ई-मेल : bhilai-nagar-nigam@cg.gov.in

क्रमांक/सात/दो/भ.अ./2025/682

भिलाई, दिनांक 29/05/2025

//नोटिस//

प्रति,

संगीता पिता जियालाल

पता- क्वा.नं. 9/ई, सड़क 28, सेक्टर-11

जोन-2, खुर्सीपार, भिलाई, जिला-दुर्ग (छ.ग.)

विषय :-

सन्दर्भ:-

अवैध रूप से भूखण्डों का विक्रय किये जाने दुस्प्रेरण करने के संबंध में।

1. कार्यालय मुख्यालय वरिष्ठ उप-पंजीयक दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) का पत्र क्रमांक/101/मु.व.उ.प./2025 दुर्ग, दिनांक 24.02.2025

2. कार्यालय मुख्यालय वरिष्ठ उप-पंजीयक दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) का पत्र क्रमांक/103/मु.व.उ.प./2025 दुर्ग, दिनांक 24.02.2025

*****0000*****

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है, कि नगर पालिक निगम, भिलाई क्षेत्रान्तर्गत आपके द्वारा अवैध प्लानिंग कार्य करने साक्ष्य के रूप में कार्यालय मुख्यालय वरिष्ठ उप पंजीयक दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) द्वारा संदर्भित पत्र क्रमांक (1) व (2) के माध्यम से आपके द्वारा अपने स्वामित्व की भूमि ग्राम-कुरुद खसरा क्रमांक 497/24 को अवैध रूप से छोटे भूखण्डों में विघटित कर विक्रय किया जाने की जानकारी/दस्तावेज प्राप्त हुए हैं। जो कि उक्त खसरों का अवैध रूप से छोटे भूखण्डों में विघटित कर विक्रय किये जाने को स्पष्ट करता है। यह कृत्य छ.ग. नगर पालिक निगम तथा नगर पालिका (कॉलोनाईजर का रजिस्ट्रीकरण निर्बाधन तथा शर्तों) नियम 2013 व छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के प्रावधानों का उल्लंघन है, जिस हेतु छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के धारा 292(ग)(3) के अंतर्गत इस कृत्य हेतु कम से कम 03 वर्ष और अधिक से अधिक 07 वर्ष के कारावास से तथा न्यूनतम 01 लाख रु. के जुर्माना से दण्डित किये जाने का प्रावधान है।

अतः क्यों न आपके विरुद्ध भूमि के अवैध रूप से विखण्डन कर विक्रय करने एवं अवैध कॉलोनी के निर्माण करने का दुस्प्रेरण करने हेतु छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के धारा 292(ग)(3) के तहत कार्यवाही की जावे, इस संबंध में आप अपना पक्ष पत्र प्राप्ति के 15 दिवस के भीतर अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष उपस्थित होकर अथवा लिखित रूप से भू-स्वामी दस्तावेज एवं अन्य आवश्यक दस्तावेजों सहित प्रस्तुत करेंगे, उक्त समयावधि के भीतर अपना पक्ष प्रस्तुत नहीं किये जाने अथवा प्रस्तुत पक्ष तर्क संगत/सार्वक नही होने पर की स्थिति में यह मान लिया जावेगा कि आप उक्त कार्यवाही हेतु सहमत हैं।

सूचना जाने।

आयुक्त

नगर पालिक निगम
भिलाई

पृ.क्र./सात/दो/भ.अ./2025/683

भिलाई, दिनांक 29/05/2025

प्रतिलिपि :-

1. कलेक्टर, दुर्ग, जिला कार्यालय दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) को सादर सूचनार्थ।
2. पुलिस अधीक्षक, दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) को सादर सूचनार्थ।
3. जिला पंजीयक, पंजीयन कार्यालय दुर्ग, जिला- दुर्ग (छ.ग.) को सूचनार्थ।
4. अनुविभागीय अधिकारी (रा.), दुर्ग, जिला दुर्ग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
5. तहसीलदार, दुर्ग/अतिरिक्त तहसीलदार भिलाई नगर, जिला- दुर्ग (छ.ग.) को सूचनार्थ।
6. जोन आयुक्त, जोन क्रं. 02 वैशाली नगर, पालिक निगम, भिलाई को उपरोक्त स्थलों पर आवश्यक नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु प्रेषित।

आयुक्त

नगर पालिक निगम
भिलाई





कार्यालय, नगर पालिक निगम, भिलाई

आकाश गंगा, सुपेला, जी.ई.रोड, भिलाई, जिला-दुर्ग (छ.ग.) 490023,
ई-मेल : bhilai-nagar-nigam@cg.gov.in

क्रमांक/सात/दो/भ.अ./2025/684

भिलाई, दिनांक 29/05/2025

//नोटिस//

प्रति,

श्री महेन्द्र कुमार मेश्राम आ. रोशन लाल महार
पता- मकान नं. 233 दुर्गा चौक, पो. जेवरा
सिरसा, भटगाँव, जिला-दुर्ग (छ.ग.)

विषय :-

सन्दर्भ:-

अवैध रूप से भूखण्डों का विक्रय किये जाने दुस्प्रेरण करने के संबंध में।

1. कार्यालय मुख्यालय वरिष्ठ उप-पंजीयक दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) का पत्र क्रमांक/101/मु.व.उ.प./2025 दुर्ग, दिनांक 24.02.2025
2. कार्यालय मुख्यालय वरिष्ठ उप-पंजीयक दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) का पत्र क्रमांक/103/मु.व.उ.प./2025 दुर्ग, दिनांक 24.02.2025

-----0000-----

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है, कि नगर पालिक निगम, भिलाई क्षेत्रान्तर्गत आपके द्वारा अवैध प्लानिंग कार्य करने साक्ष्य के रूप में कार्यालय मुख्यालय वरिष्ठ उप पंजीयक दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) द्वारा संदर्भित पत्र क्रमांक (1) व (2) के माध्यम से आपके द्वारा अपने स्वामित्व की भूमि ग्राम-कुरुद खसरा क्रमांक 497/30 को अवैध रूप से छोटे भूखण्डों में विघटित कर विक्रय किया जाने की जानकारी/दस्तावेज प्राप्त हुए हैं। जो कि उक्त खसरों का अवैध रूप से छोटे भूखण्डों में विघटित कर विक्रय किये जाने को स्पष्ट करता है। यह कृत्य छ.ग. नगर पालिक निगम तथा नगर पालिका (कॉलोनाईजर का रजिस्ट्रीकरण निर्बाधन तथा शर्तों) नियम 2013 व छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के प्रावधानों का उल्लंघन है, जिस हेतु छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के धारा 292(ग)(3) के अंतर्गत इस कृत्य हेतु कम से कम 03 वर्ष और अधिक से अधिक 07 वर्ष के कारावास से तथा न्यूनतम 01 लाख रु. के जुर्माना से दण्डित किये जाने का प्रावधान है।

अतः क्यों न आपके विरुद्ध भूमि के अवैध रूप से विखण्डन कर विक्रय करने एवं अवैध कॉलोनी के निर्माण करने का दुस्प्रेरण करने हेतु छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के धारा 292(ग)(3) के तहत कार्यवाही की जावे, इस संबंध में आप अपना पक्ष पत्र प्राप्ति के 15 दिवस के भीतर अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष उपस्थित होकर अथवा लिखित रूप से भू-स्वामी दस्तावेज एवं अन्य आवश्यक दस्तावेजों सहित प्रस्तुत करेंगे, उक्त समयावधि के भीतर अपना पक्ष प्रस्तुत नहीं किये जाने अथवा प्रस्तुत पक्ष तर्क संगत/सार्थक नहीं होने पर की स्थिति में यह मान लिया जावेगा कि आप उक्त कार्यवाही हेतु सहमत हैं।

सूचना जाने।

आयुक्त

नगर पालिक निगम
भिलाई

पृ.क्र./सात/दो/भ.अ./2025/685

भिलाई, दिनांक 29/05/2025

प्रतिलिपि :-

1. कलेक्टर, दुर्ग, जिला कार्यालय दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) को सादर सूचनार्थ।
2. पुलिस अधीक्षक, दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) को सादर सूचनार्थ।
3. जिला पंजीयक, पंजीयन कार्यालय दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) को सूचनार्थ।
4. अनुविभागीय अधिकारी (रा.), दुर्ग, जिला दुर्ग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
5. तहसीलदार, दुर्ग/अतिरिक्त तहसीलदार भिलाई नगर, जिला-दुर्ग (छ.ग.) को सूचनार्थ।
6. जोन आयुक्त, जोन क्रं. 02 वैशाली नगर, पालिक निगम, भिलाई को उपरोक्त स्थलों पर आवश्यक नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु प्रेषित।

आयुक्त

नगर पालिक निगम
भिलाई





कार्यालय, नगर पालिक निगम, भिलाई

आकाश गंगा, सुपेला, जी.ई.रोड, भिलाई, जिला-दुर्ग (छ.ग.) 490023,

ई-मेल : bhilai-nagar-nigam@cg.gov.in

क्रमांक/सात/दो/भ.अ./2025/686

भिलाई, दिनांक 29/05/2025

//नोटिस//

प्रति,

1. श्री निर्मल बुंदेला आ.स्व. चमनलाल बुंदेला
पता- बाबा दीपसिंह मार्ग जवाहर नगर सुपेला भिलाई
2. श्रीमती सविता महोबिया पति श्री प्रकाश महोबिया
पता- कैलाश नगर, कुरुद, भिलाई, जिला-दुर्ग (छ.ग.)

विषय :-

अवैध रूप से भूखण्डों का विक्रय किये जाने दुस्प्रेरण करने के संबंध में।

सन्दर्भ:-

1. कार्यालय मुख्यालय वरिष्ठ उप-पंजीयक दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) का पत्र क्रमांक/101/मु.व.उ.प./2025 दुर्ग, दिनांक 24.02.2025
2. कार्यालय मुख्यालय वरिष्ठ उप-पंजीयक दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) का पत्र क्रमांक/103/मु.व.उ.प./2025 दुर्ग, दिनांक 24.02.2025

0000

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है, कि नगर पालिक निगम, भिलाई क्षेत्रान्तर्गत आपके द्वारा अवैध प्लॉटिंग कार्य करने साक्ष्य के रूप में कार्यालय मुख्यालय वरिष्ठ उप पंजीयक दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) द्वारा संदर्भित पत्र क्रमांक (1) व (2) के माध्यम से आपके द्वारा अपने स्वामित्व की भूमि ग्राम-कुरुद खसरा क्रमांक 1047/131 को अवैध रूप से छोटे भूखण्डों में विघटित कर विक्रय किया जाने की जानकारी/दस्तावेज प्राप्त हुए हैं। जो कि उक्त खसरो का अवैध रूप से छोटे भूखण्डों में विघटित कर विक्रय किये जाने को स्पष्ट करता है। यह कृत्य छ.ग. नगर पालिक निगम तथा नगर पालिका (कॉलोनाइजर का रजिस्ट्रीकरण निर्बाधन तथा शर्तों) नियम 2013 व छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के प्रावधानों का उल्लंघन है, जिस हेतु छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के धारा 292(ग)(3) के अंतर्गत इस कृत्य हेतु कम से कम 03 वर्ष और अधिक से अधिक 07 वर्ष के कारावास से तथा न्यूनतम 01 लाख रु. के जुर्माना से दण्डित किये जाने का प्रावधान है।

अतः क्यों न आपके विरुद्ध भूमि के अवैध रूप से विखण्डन कर विक्रय करने एवं अवैध कॉलोनी के निर्माण करने का दुस्प्रेरण करने हेतु छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के धारा 292(ग)(3) के तहत कार्यवाही की जावे, इस संबंध में आप अपना पक्ष पत्र प्राप्ति के 15 दिवस के भीतर अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष उपस्थित होकर अथवा लिखित रूप से भू-स्वामी दस्तावेज एवं अन्य आवश्यक दस्तावेजों सहित प्रस्तुत करेंगे, उक्त समयवाधि के भीतर अपना पक्ष प्रस्तुत नहीं किये जाने अथवा प्रस्तुत पक्ष तर्क संगत/सार्थक नहीं होने पर की स्थिति में यह मान लिया जायेगा कि आप उक्त कार्यवाही हेतु सहमत हैं।

सूचना जाने।

आयुक्त

नगर पालिक निगम
भिलाई

पृ.क्र./सात/दो/भ.अ./2025/687

भिलाई, दिनांक 29/05/2025

प्रतिलिपि :-

1. कलेक्टर, दुर्ग, जिला कार्यालय दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) को सादर सूचनार्थ।
2. पुलिस अधीक्षक, दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) को सादर सूचनार्थ।
3. जिला पंजीयक, पंजीयन कार्यालय दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) को सूचनार्थ।
4. अनुविभागीय अधिकारी (रा.), दुर्ग, जिला दुर्ग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
5. तहसीलदार, दुर्ग/अतिरिक्त तहसीलदार भिलाई नगर, जिला-दुर्ग (छ.ग.) को सूचनार्थ।
6. जोन आयुक्त, जोन क्रं. 02 वैशाली नगर, पालिक निगम, भिलाई को उपरोक्त स्थलों पर आवश्यक नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु प्रेषित।

आयुक्त

नगर पालिक निगम
भिलाई





कार्यालय, नगर पालिक निगम, भिलाई

आकाश गंगा, सुपेला, जी.ई.रोड, भिलाई, जिला-दुर्ग (छ.ग.) 490023,

ई-मेल : bhilai-nagar-nigam@cg.gov.in

क्रमांक/सात/दो/भ.अ./2025/688

भिलाई, दिनांक 29/05/2025

//नोटिस//

प्रति,

1. श्री संजय बुंदेला आ. निर्मल बुंदेला
 2. श्री निर्मल बुंदेला आ.स्व. चमन लाल बुंदेला
- पता- बाबा दीपसिंह मार्ग जवाहर नगर सुपेला भिलाई

विषय :-

अवैध रूप से भूखण्डों का विक्रय किये जाने दुस्प्रेरण करने के संबंध में।

सन्दर्भ:-

1. कार्यालय मुख्यालय वरिष्ठ उप-पंजीयक दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) का पत्र क्रमांक/101/मु.व.उ.प./2025 दुर्ग, दिनांक 24.02.2025
2. कार्यालय मुख्यालय वरिष्ठ उप-पंजीयक दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) का पत्र क्रमांक/103/मु.व.उ.प./2025 दुर्ग, दिनांक 24.02.2025

*****0000*****

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है, कि नगर पालिक निगम, भिलाई क्षेत्रान्तर्गत आपके द्वारा अवैध प्लॉटिंग कार्य करने साक्ष्य के रूप में कार्यालय मुख्यालय वरिष्ठ उप पंजीयक दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) द्वारा संदर्भित पत्र क्रमांक (1) व (2) के माध्यम से आपके द्वारा अपने स्वामित्व की भूमि ग्राम-कुरुद खसरा क्रमांक 1047/113, 1047/125 को अवैध रूप से छोटे भूखण्डों में विघटित कर विक्रय किया जाने की जानकारी/दस्तावेज प्राप्त हुए हैं। जो कि उक्त खसरों का अवैध रूप से छोटे भूखण्डों में विघटित कर विक्रय किये जाने को स्पष्ट करता है। यह कृत्य छ.ग. नगर पालिक निगम तथा नगर पालिका (कॉलोनाईजर का रजिस्ट्रीकरण निर्वाधन तथा शर्तों) नियम 2013 व छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के प्रावधानों का उल्लंघन है, जिस हेतु छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के धारा 292(ग)(3) के अंतर्गत इस कृत्य हेतु कम से कम 03 वर्ष और अधिक से अधिक 07 वर्ष के कारावास से तथा न्यूनतम 01 लाख रु. के जुर्माना से दण्डित किये जाने का प्रावधान है।

अतः क्यों न आपके विरुद्ध भूमि के अवैध रूप से विखण्डन कर विक्रय करने एवं अवैध कॉलोनी के निर्माण करने का दुस्प्रेरण करने हेतु छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के धारा 292(ग)(3) के तहत कार्यवाही की जावे, इस संबंध में आप अपना पक्ष पत्र प्राप्ति के 15 दिवस के भीतर अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष उपस्थित होकर अथवा लिखित रूप से भू-स्वामी दस्तावेज एवं अन्य आवश्यक दस्तावेजों सहित प्रस्तुत करेंगे, उक्त समयावधि के भीतर अपना पक्ष प्रस्तुत नहीं किये जाने अथवा प्रस्तुत पक्ष तर्क संगत/सार्वक नही होने पर की स्थिति में यह मान लिया जावेगा कि आप उक्त कार्यवाही हेतु सहमत हैं।

सूचना जाने।

आयुक्त

नगर पालिक निगम

भिलाई

पृ.क्र./सात/दो/भ.अ./2025/689

भिलाई, दिनांक 29/05/2025

प्रतिलिपि :-

1. कलेक्टर, दुर्ग, जिला कार्यालय दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) को सादर सूचनार्थ।
2. पुलिस अधीक्षक, दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) को सादर सूचनार्थ।
3. जिला पंजीयक, पंजीयन कार्यालय दुर्ग, जिला- दुर्ग (छ.ग.) को सूचनार्थ।
4. अनुविभागीय अधिकारी (रा.), दुर्ग, जिला दुर्ग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
5. तहसीलदार, दुर्ग/अतिरिक्त तहसीलदार भिलाई नगर, जिला- दुर्ग (छ.ग.) को सूचनार्थ।
6. जोन आयुक्त, जोन क्रं. 02 वैशाली नगर, पालिक निगम, भिलाई को उपरोक्त स्थलों पर आवश्यक नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु प्रेषित।

आयुक्त

नगर पालिक निगम

भिलाई





कार्यालय, नगर पालिक निगम, भिलाई

आकाश गंगा, सुपेला, जी.ई.रोड, भिलाई, जिला-दुर्ग (छ.ग.) 490023,
ई-मेल : bhilai-nagar-nigam@cg.gov.in

क्रमांक/सात/दो/भ.अ./2025/690

//नोटिस//

भिलाई, दिनांक 29/05/2025

प्रति,

श्री निर्मल बूंदेला आ.स्व. चमन लाल बूंदेला
पता- बाबा दीपसिंह मार्ग जवाहर नगर सुपेला भिलाई

विषय :-
सन्दर्भ:-

- अवैध रूप से भूखण्डों का विक्रय किये जाने दुस्प्रेरण करने के संबंध में।
1. कार्यालय मुख्यालय वरिष्ठ उप-पंजीयक दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) का पत्र क्रमांक/101/मु.व.उ.प./2025 दुर्ग, दिनांक 24.02.2025
 2. कार्यालय मुख्यालय वरिष्ठ उप-पंजीयक दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) का पत्र क्रमांक/103/मु.व.उ.प./2025 दुर्ग, दिनांक 24.02.2025

*****0000*****

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है, कि नगर पालिक निगम, भिलाई क्षेत्रान्तर्गत आपके द्वारा अवैध प्लॉटिंग कार्य करने साक्ष्य के रूप में कार्यालय मुख्यालय वरिष्ठ उप पंजीयक दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) द्वारा संदर्भित पत्र क्रमांक (1) व (2) के माध्यम से आपके द्वारा अपने स्वामित्व की भूमि ग्राम-कुरुद खसरा क्रमांक 1047/09, 1047/112 को अवैध रूप से छोटे भूखण्डों में विघटित कर विक्रय किया जाने की जानकारी/दस्तावेज प्राप्त हुए हैं। जो कि उक्त खसराओं का अवैध रूप से छोटे भूखण्डों में विघटित कर विक्रय किये जाने को स्पष्ट करता है। यह कृत्य छ.ग. नगर पालिक निगम तथा नगर पालिका (कॉलोनाईजर का रजिस्ट्रीकरण निर्वाधन तथा शर्तों) नियम 2013 व छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के प्रावधानों का उल्लंघन है, जिस हेतु छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के धारा 292(ग)(3) के अंतर्गत इस कृत्य हेतु कम से कम 03 वर्ष और अधिक से अधिक 07 वर्ष के कारावास से तथा न्यूनतम 01 लाख रु. के जुर्माना से दण्डित किये जाने का प्रावधान है।

अतः क्यों न आपके विरुद्ध भूमि के अवैध रूप से विखण्डन कर विक्रय करने एवं अवैध कॉलोनी के निर्माण करने का दुस्प्रेरण करने हेतु छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के धारा 292(ग)(3) के तहत कार्यवाही की जावे, इस संबंध में आप अपना पक्ष पत्र प्राप्ति के 15 दिवस के भीतर अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष उपस्थित होकर अथवा लिखित रूप से भू-स्वामी दस्तावेज एवं अन्य आवश्यक दस्तावेजों सहित प्रस्तुत करेंगे, उक्त समयावधि के भीतर अपना पक्ष प्रस्तुत नहीं किये जाने अथवा प्रस्तुत पक्ष तर्क संगत/सार्थक नहीं होने पर की स्थिति में यह मान लिया जाएगा कि आप उक्त कार्यवाही हेतु सहमत हैं।

सूचना जाने।

आयुक्त

नगर पालिक निगम
भिलाई

भिलाई, दिनांक 29/05/2025

पृ.क्र./सात/दो/भ.अ./2025/691

प्रतिलिपि :-

1. कलेक्टर, दुर्ग, जिला कार्यालय दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) को सादर सूचनार्थ।
2. पुलिस अधीक्षक, दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) को सादर सूचनार्थ।
3. जिला पंजीयक, पंजीयन कार्यालय दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) को सूचनार्थ।
4. अनुविभागीय अधिकारी (रा.), दुर्ग, जिला दुर्ग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
5. तहसीलदार, दुर्ग/अतिरिक्त तहसीलदार भिलाई नगर, जिला-दुर्ग (छ.ग.) को सूचनार्थ।
6. जोन आयुक्त, जोन क्रं. 02 वैशाली नगर, पालिक निगम, भिलाई को उपरोक्त स्थलों पर आवश्यक नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु प्रेषित।

आयुक्त

नगर पालिक निगम
भिलाई





कार्यालय, नगर पालिक निगम, भिलाई

आकाश गंगा, सुपेला, जी.ई.रोड, भिलाई, जिला-दुर्ग (छ.ग.) 490023,

ई-मेल : bhilai-nagar-nigam@cg.gov.in

क्रमांक/सात/दो/भ.अ./2025/692

भिलाई, दिनांक 29/05/2025

//नोटिस//

प्रति,

1. श्री निर्मल बुंदेला आ.स्व. चमन लाल बुन्देला
 2. श्रीमती शीतल बुंदेला पति श्री संजय बुंदेला
- पता- बाबा दीपसिंह मार्ग, जवाहर नगर, सुपेला, भिलाई

विषय :-

अवैध रूप से भूखण्डों का विक्रय किये जाने दुस्प्रेरण करने के संबंध में।

सन्दर्भ:-

1. कार्यालय मुख्यालय वरिष्ठ उप-पंजीयक दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) का पत्र क्रमांक/101/मु.व.उ.प./2025 दुर्ग, दिनांक 24.02.2025
2. कार्यालय मुख्यालय वरिष्ठ उप-पंजीयक दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) का पत्र क्रमांक/103/मु.व.उ.प./2025 दुर्ग, दिनांक 24.02.2025

*****0000*****

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है, कि नगर पालिक निगम, भिलाई क्षेत्रान्तर्गत आपके द्वारा अवैध प्लानिंग कार्य करने साक्ष्य के रूप में कार्यालय मुख्यालय वरिष्ठ उप पंजीयक दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) द्वारा संदर्भित पत्र क्रमांक (1) व (2) के माध्यम से आपके द्वारा अपने स्वामित्व की भूमि ग्राम-कुरुद खसरा क्रमांक 1047/127 को अवैध रूप से छोटे भूखण्डों में विघटित कर विक्रय किया जाने की जानकारी/दस्तावेज प्राप्त हुए हैं। जो कि उक्त खसरों का अवैध रूप से छोटे भूखण्डों में विघटित कर विक्रय किये जाने को स्पष्ट करता है। यह कृत्य छ.ग. नगर पालिक निगम तथा नगर पालिका (कॉलोनाईजर का रजिस्ट्रीकरण निर्बाधन तथा शर्तों) नियम 2013 व छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के प्रावधानों का उल्लंघन है, जिस हेतु छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के धारा 292(ग)(3) के अंतर्गत इस कृत्य हेतु कम से कम 03 वर्ष और अधिक से अधिक 07 वर्ष के कारावास से तथा न्यूनतम 01 लाख रु. के जुर्माना से दण्डित किये जाने का प्रावधान है।

अतः क्यों न आपके विरुद्ध भूमि के अवैध रूप से विखण्डन कर विक्रय करने एवं अवैध कॉलोनी के निर्माण करने का दुस्प्रेरण करने हेतु छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के धारा 292(ग)(3) के तहत कार्यवाही की जावे, इस संबंध में आप अपना पक्ष पत्र प्राप्ति के 15 दिवस के भीतर अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष उपस्थित होकर अथवा लिखित रूप से भू-स्वामी दस्तावेज एवं अन्य आवश्यक दस्तावेजों सहित प्रस्तुत करेंगे, उक्त समयावधि के भीतर अपना पक्ष प्रस्तुत नहीं किये जाने अथवा प्रस्तुत पक्ष तर्क संगत/सार्थक नहीं होने पर की स्थिति में यह मान लिया जावेगा कि आप उक्त कार्यवाही हेतु सहमत हैं।

सूचना जाने।

आयुक्त

नगर पालिक निगम
भिलाई

पृ.क्र./सात/दो/भ.अ./2025/693

भिलाई, दिनांक 29/05/2025

प्रतिलिपि :-

1. कलेक्टर, दुर्ग, जिला कार्यालय दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) को सादर सूचनार्थ।
2. पुलिस अधीक्षक, दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) को सादर सूचनार्थ।
3. जिला पंजीयक, पंजीयन कार्यालय दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) को सूचनार्थ।
4. अनुविभागीय अधिकारी (रा.), दुर्ग, जिला दुर्ग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
5. तहसीलदार, दुर्ग/अतिरिक्त तहसीलदार भिलाई नगर, जिला-दुर्ग (छ.ग.) को सूचनार्थ।
6. जोन आयुक्त, जोन क्रं. 02 वैशाली नगर, पालिक निगम, भिलाई को उपरोक्त स्थलों पर आवश्यक नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु प्रेषित।

आयुक्त

नगर पालिक निगम
भिलाई

